



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
अध्याय 1		
राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेनदेनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.1.3	6
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	7
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.2.2	10
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.2.3	14
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	16
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.3.1	16
राजस्व व्यय	1.3.2	17
पूँजीगत व्यय	1.3.3	17
प्रतिबद्ध व्यय	1.3.4	17
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)	1.3.5	18
व्यय की गुणवत्ता	1.3.6	21
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.3.7	22
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.4	22
सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	1.4.1	22
निवेश एवं प्रतिलाभ	1.4.2	23
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.4.3	23
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को वित्तीय सहायता	1.4.4	24
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं	1.4.5	26
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.4.6	26
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.5	27
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना	1.5.1	27
आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन	1.5.2	27
ऋण प्रबंधन	1.6	32
ऋण रूपरेखा	1.6.1	32
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि	1.6.2	32
ऋण संधारणीयता	1.6.3	33

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)	1.6.4	34
अध्याय 2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	35
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.2	36
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.2.1	36
बचतें	2.2.2	36
सतत बचतें	2.2.3	37
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.2.4	37
अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.2.5	37
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	2.2.6	37
सारभूत समर्पण	2.2.7	38
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.8	38
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.2.9	38
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.2.10	39
व्यय की अत्यधिकता	2.2.11	39
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.2.12	39
चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम	2.3	40
सारांशीकृत स्थिति	2.3.1	40
सारभूत बचतें	2.3.2	41
विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.3	41
व्यक्तिगत जमा खाते में निधियों का रखा जाना	2.3.4	42
अनुपूरक/पुनर्विनियोग अनुदान के लिए त्रुटिपूर्ण प्रावधान	2.3.5	42
ब्याज के भुगतान के कारण राज्य की समेकित निधि पर अतिरिक्त भार	2.3.6	42
निष्पादन अनुदान के विरुद्ध बजट प्रावधान समर्पित नहीं किया जाना	2.3.7	43
अध्याय 3		
वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी		
सभी भौतिक वेतन प्रमाणकों और ₹ 20,000 तक के आकस्मिक प्रमाणकों को बंद किया जाना	3.1	45
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.2	45
असंचालित व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते	3.2.1	46
शासकीय धन को व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना	3.2.2	46
व्यक्तिगत जमा खातों के कोषालय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों का मिलान न होना	3.2.3	47
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.3	47
उपकर का लेखांकन	3.3.1	48

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
श्रम उपकर की उपयोगिता	3.3.2	48
एकत्रित उपकर मण्डल को अंतरित न किया जाना	3.3.3	49
कालातीत चैकों के कारण देयताओं की वसूली न होना	3.3.4	49
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.3.5	50
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता	3.4	50
आयोजना/आयोजनेत्तर के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष का गलत संचालन	3.5	51
पूँजीगत शीर्ष से राजस्व प्रकृति के होने वाले व्यय	3.5.1	52
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अप्रस्तुति	3.6	52
असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण	3.6.1	53
दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना	3.7	54
रोकड़ शेष में भिन्नता	3.8	55
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	56
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.10	56
पूर्व वर्ष के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्ष के बजट से किया जाना	3.11	57
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.12	58
बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना	3.12.1	58
पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न योजनाओं की निधि को रखा जाना	3.12.2	59
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.13	59
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.14	60
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.15	61
विभागों द्वारा रोकड़ पुस्तिकाओं का अनुचित संधारण	3.16	62
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब	3.17	62
लाभांश घोषित न किया जाना	3.18	64
समता पूँजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का मिलान न करना	3.19	64

परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	1.1	67
सरकारी लेखों की संरचना	1.2 (भाग-क)	68
वित्त लेखों की रूपरेखा	1.2 (भाग-ख)	68
चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा	1.2 (भाग-ग)	69
वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार	1.3	70
2017-18 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना	1.4	73
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	1.5	75
स्वयं के कर राजस्व 2013-18	1.6 (क)	78
करेतर राजस्व 2013-18	1.6 (ख)	78
31 मार्च 2018 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	1.7	79
31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.8	80
आरक्षित निधियों का विवरण	1.9	82
पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.1	84
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.2	85
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.3	87
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान	2.4	88
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.5	89
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.6	93
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.7	94
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.8	95
2017-18 के दौरान सारभूत समर्पण	2.9	99
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)	2.10	105
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	2.11	106

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण	2.12	107
समर्पण आदेश जो महालेखाकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये	2.13	110
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.14	111
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.15	112
व्यय की अत्यधिकता	2.16	113
8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.17	114
विभिन्न योजनाओं में सारभूत बचतें, जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक थी	2.18	115
व्यक्तिगत जमा खातों में रखे योजनाओं की निधि का विवरण	2.19	116
31 मार्च 2018 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतर	3.1	117
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (मण्डल) में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति	3.2	118
लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.3	120
लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.4	121
लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	3.5	122
दुर्विनियोग, हानि एवं गबन इत्यादि के प्रकरण	3.6	123
सरकारी सामग्रियों की चोरी, दुर्विनियोग, हानि के प्रकरण	3.7	125
2017-18 के दौरान अपलेखित प्रकरण	3.8	126
2017-18 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली	3.9	127
रोकड़ पुस्तिकाओं का अनुचित संधारण/संधारण न किया जाना	3.10	129
31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश	3.11	131
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण	3.12	133

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर राज्य के वित्तीय निष्पादन के आकलन तथा राज्य विधानसभा को वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित आदानों को प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा 2017-18 के बजट अनुमानों द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है। यह ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, राजसहायताओं तथा ऋण के पुनर्भुगतान एवं उधार पद्धतियों पर व्यय की प्रवृत्ति पर अंतर्दृष्टि डालता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोगों एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिवेदित आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के अनुपालन की एक सूची है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति को भी गणना में लेने पर 2013-14 से तुलना करने पर 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं बजट अनुमान 2017-18 में निर्धारित राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि, वास्तविक लेखापरीक्षा द्वारा संगणित राजस्व अधिशेष बजट अनुमान के निर्धारित लक्ष्य से कम था जबकि राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

(कंडिका 1.1.2)

संसाधन संग्रहण

2016-17 की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 11,568 करोड़ (नौ प्रतिशत) से बढ़ीं, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 4,241 करोड़ से कम थी।

2016-17 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 10,709 करोड़ (नौ प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 4,273 करोड़ से कम था।

2016-17 की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 3,625 करोड़ (13 प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 499 करोड़ से कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।

(कंडिकाएं 1.1.1 एवं 1.1.3)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

260 लेखापरीक्षित विद्यालयों में से 20 विद्यालयों में एन.पी.एस. का कटौती नहीं करना परिलक्षित हुआ। इसी प्रकार, 63 लेखापरीक्षित वन कार्यालयों में से चार वन कार्यालयों में महंगाई भत्ते के बकाया से एन.पी.एस. का कटौती नहीं होना परिलक्षित हुआ।

कुल अंशदान ₹ 3,321.38 करोड़ (2010-11 से 2017-18 की अवधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान एवं शासन का अंशदान) के विरुद्ध केवल ₹ 3,203.56 करोड़ अंतरित किया गया एवं शेष राशि ₹ 117.82 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अंतरित नहीं की गयी। 2017-18 के दौरान शासन ने कुल अंशदान ₹ 821.45 करोड़ में से एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 801.63 करोड़ ही अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2017-18 के लिए ₹ 19.82 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

अनुशंसा:— राज्य शासन को अंशदान का कटौती न किए जाने के कारणों की जांच किया जाना चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रक्रिया विकसित की जाए कि कर्मचारियों के अंशदान की पूर्णरूप से कटौती की जाती है, शासन पूर्णरूप से समरूप अंशदान करता है और सम्पूर्ण राशि समय से एन.एस.डी.एल. को अंतरित की जाती है। एन.एस.डी.एल. को अंतरण में विलंब होने के मामले में कम से कम सामान्य भविष्य निधि दर का ब्याज अंशदाता के खाते में जमा किया जाए। एन.पी.एस. अंशदान की कटौती न करना या इसका अंतरण (राज्य शासन के अंशदान के साथ) न किया जाना न केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है, यह योजना को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

(कंडिकाएं 1.3.5.1 एवं 1.3.5.2)

सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2017-18 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर उच्च था।

(कंडिका 1.3.6.1)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

अवधि 2015-18 के दौरान ₹ 5.04 करोड़ शेष की तीन आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं की गई थीं। तीन अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था, किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, कम से कम विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

समेकित निधि के अंतर्गत उपयुक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये केवल वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करते हैं यदि यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। यद्यपि मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित निधियों में कोई वास्तविक रोकड़ लेन-देन नहीं था, अतः लेखों में प्रदर्शित शेष मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ थे। यह आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

(कंडिका 1.5.2)

निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है। तथापि, अन्य राज्यों के विपरीत मध्य प्रदेश शासन ने ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 2017-18 में ₹ 779 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,55,800.12 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)। इससे 2017-18 का ₹ 779 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करे।

(कंडिका 1.5.2.1)

प्रत्याभूति शुल्क

2017-18 के दौरान, प्राप्य राशि ₹ 76.19 करोड़ में से ₹ 25.96 करोड़ (34.07 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे। तथापि, दो संस्थानों ने प्रत्याभूति शुल्क का आवश्यकता से अधिक भुगतान किया। शेष नौ संस्थानों, जिन पर ₹ 4,178.10 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी, ने निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी एवं राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण के

प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।

(कंडिका 1.5.2.2)

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य शासन द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना अपेक्षित है। पूर्व वर्ष की स्थिति में, ₹ 74.24 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में हुआ एवं राज्य शासन द्वारा ₹ 74.24 करोड़ का समरूप अंशदान किया जाना था। इस प्रकार 2017–18 में राज्य शासन द्वारा 148.48 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में किया जाना था, लेकिन राज्य शासन द्वारा कोई भी अंशदान निधि में नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 148.48 करोड़ का कम अंशदान हुआ। ₹ 14,002.99 करोड़ की बकाया प्रतिभूतियों के सापेक्ष निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 408.79 करोड़ का शेष था जो कि केंद्र सरकार की दिनांकित सिक्वोरिटी में निवेशित की गई।

अनुशंसा: राज्य सरकार को योजना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में अंशदान करना चाहिए।

(कंडिका 1.5.2.2)

बचतें

नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विभागीय व्यय के अनुवीक्षण में वित्त विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 2017–18 के दौरान राशि ₹ 34,337.14 करोड़ की बचतें अप्रयुक्त रहीं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुवीक्षण करना चाहिए ताकि निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा समर्पण हेतु अंतिम क्षण की प्रतीक्षा किए बिना एवं आवंटनों के व्यपगत हुए बिना तुरंत समर्पण किया जाए।

(कंडिका 2.1)

आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

राज्य सरकार ने 2003–17 की अवधि से सम्बंधित 16 अनुदानों एवं 15 विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹ 660.67 करोड़ का नियमन नहीं किया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेष वर्षों के आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा द्वारा शीघ्रतिशीघ्र नियमित किए जायें एवं बजट से अधिक व्यय करने वाले नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाये।

(कंडिका 2.2.1)

महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण आदेश

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने राशि ₹ 5,571.93 करोड़ की 74 समर्पण स्वीकृतियों को स्वीकार करने से मना कर दिया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के स्वीकृति आदेश सामयिक, पूर्ण एवं दिशानिर्देशों के अनुसार वैध हों।

(कंडिका 2.2.9.1)

व्यय की अत्यधिकता

मार्च 2018 के दौरान 10 अनुदानों/विनियोगों के 13 प्रकरणों में राशि ₹ 2,948.76 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को व्यय के स्वरूप की समीक्षा करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अत्यधिकता से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

(कंडिका 2.2.11)

व्यक्तिगत जमा खाते

31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश शासन के 847 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 5,370.06 करोड़ का अंतिम शेष था। आगे, सात कोषालयों में 43 व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते ₹ 10.79 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित रहे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित किया जाता है तथा वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

(कंडिकाएं 3.2 एवं 3.2.1)

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

31 मार्च 2018 को मण्डल के पास राशि ₹ 1,212.79 करोड़ उपलब्ध थी, जिसमें से ₹ 1,063.78 करोड़ बैंक खातों में रखे गए थे। ₹ 149.01 करोड़ का अन्तर मिलान के लिए लंबित था। तथापि, बैंक खातों में जमा राशि से उपार्जित ब्याज ₹ 326.94 करोड़ रोकड़ पुस्तिका में नहीं दर्शाया जा रहा था।

मण्डल के पास स्थायी परिसम्पत्ति पंजी नहीं है, इसके अभाव में निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अनुशंसा: राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल लेखों को अधिनियम के अनुसार अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियाँ सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे तथा उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जैसा कि अधिनियम में वर्णित है।

(कंडिका 3.3.1)

शासकीय लेखों में अपारदर्शिता

मध्य प्रदेश शासन के विभाग लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन करते हैं जिसे केवल यदा-कदा मामलों में ही परिचालित किया जाना है। 2017-18 के दौरान प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 35,479.51 करोड़ एवं व्यय के अंतर्गत ₹ 24,717.79 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लेन-देनों में अपारदर्शिता रही।

अनुशंसा: वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित सभी मदों की समग्र समीक्षा करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्ष में पुस्तांकित किए जाते हैं।

(कंडिका 3.4)

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अप्रस्तुति

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी राशि ₹ 17,793.21 करोड़ के सहायता अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2018 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (20,666) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

अनुशंसा: राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति रोकने सम्बन्धी मामलों की पहचान करनी चाहिए तथा संगठनों, जिनको अनुदान जारी किए गए थे, द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार के विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सशक्त बनाना चाहिए।

(कंडिका 3.6)

पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न योजनाओं की निधि को रखा जाना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न योजनाओं के ₹ 2.37 करोड़ बैंक खातों में जमा किए। आगे, योजनाओं के बंद/असंचालित होने के बावजूद यह राशि शासकीय खातों में जमा/समर्पित नहीं की गयी थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को राज्य शासन के विभागों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए सभी खातों को बंद करना चाहिए। शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना बैंक खातों में धन जमा करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

(कंडिका 3.12.2)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

सार्वजनिक क्षेत्र के 30 कार्यशील उपक्रमों/निगमों (62 लेखे) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के चार अकार्यशील उपक्रमों/निगमों (70 लेखे) के लेखे एक से 28 वर्षों तक बकाया हैं। इसके बावजूद, वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों को बकाया लेखों की अवधि के दौरान ₹ 8,315.39 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बकाया लेखे वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए, लेखे यथोचित अवधि में अद्यतन कर लिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं वहाँ सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता रोक देनी चाहिए।

(कंडिका 3.17)

लाभांश घोषित न किया जाना

राज्य सरकार की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के पश्चात् लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। उनके अंतिम रूप से लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 22 उपक्रमों ने कुल लाभ ₹ 998.37 करोड़ अर्जित किया, यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल छः उपक्रमों ने ₹ 45.63 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उपक्रमों ने लाभ अर्जित करने के बावजूद ₹ 139.56 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम सरकार को निर्धारित लाभांश का भुगतान करें।

(कंडिका 3.18)

अध्याय 1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 की तुलना में मुख्य राजकोषीय मात्रा परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे में सम्मिलित विवरणों पर आधारित है। राज्य की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹

भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को वर्तमान मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	1,12,33,522	1,24,45,128	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.97	10.79	10.60	10.82	9.96
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.37	9.25	10.48	20.51	10.61
स्थिर मूल्य ² पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,65,134	3,84,105	4,07,970	4,65,136	4,99,102
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.82	5.20	6.21	14.01	7.30

(स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2018 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 88,817 था जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,29,800 था। यह पड़ोसी राज्य झारखण्ड (₹ 74,390) एवं उत्तर प्रदेश (₹ 61,558) से बेहतर लेकिन छत्तीसगढ़ (₹ 1,10,628) से कम था।

परिशिष्ट 1.2 के **भाग (क)** में सरकारी लेखों की संरचना की व्याख्या की गई है तथा **भाग (ख)** में वित्त लेखे का अभिन्यास (layout) दिया गया है। चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है को **परिशिष्ट 1.2** के **भाग (ग)** में दिया गया है।

¹ सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः देश एवं राज्य के अन्दर परिभाषित अन्तिम माल एवं सेवाओं का दिए गए समय की अवधि में बाजार मूल्य है एवं यह देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

² स्थिर मूल्य का तात्पर्य आधार वर्ष 2011-12 पर मूल्य है।

1.1.1 राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

तालिका 1.2 एवं 1.3 अवधि 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत करती है। अवधि 2017-18 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण **परिशिष्ट 1.3** दर्शाता है।

तालिका 1.2: 2013-18 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अनुभाग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ	75,749.24	88,640.78	1,05,510.60	1,23,306.79	1,34,875.39
कर राजस्व	33,552.16	36,567.12	40,213.66	44,193.65	44,810.85
करेतर राजस्व	7,704.99	10,375.23	8,568.79	9,086.51	9,061.18
संघ करों/शुल्कों का अंश	22,715.27	24,106.99	38,397.84	46,064.10	50,853.07
भारत सरकार से अनुदान	11,776.82	17,591.44	18,330.31	23,962.53	30,150.29
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	35.98	27.73	26.47	24.19	19.35
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियाँ	93.22	6,765.05	162.32	772.05	5,069.53
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.44	0.91	1.93	0.01	-0.05
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,540.82	15,068.71	19,985.30	29,847.41	21,892.17
आकस्मिकता निधि	-	300.00	1.08	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ ³	94,811.32	1,10,294.74	1,32,772.19	1,61,078.58	1,71,664.83
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	7,074.81	4,477.03	5,401.96	10,898.72	10,993.66
योग	1,87,307.83	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3: 2013-18 के दौरान व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अनुभाग-क: राजस्व					
राजस्व व्यय	69,869.76	82,372.82	99,770.70	1,19,537.37	1,30,246.09
सामान्य सेवाएं	20,590.93	22,365.11	25,700.26	27,903.12	32,100.08
सामाजिक सेवाएं	27,768.21	32,067.15	42,650.93	47,942.43	58,346.17
आर्थिक सेवाएं	16,971.33	23,715.12	25,528.52	36,884.73	32,734.59
सहायतानुदान तथा अंशदान	4,539.29	4,225.44	5,890.99	6,807.09	7,065.24
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य					
पूंजीगत परिव्यय	10,812.52	11,877.68	16,835.47	27,288.31	30,913.22
संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	5,077.52	12,534.61	3,157.91	4,940.27	1,550.20
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.36	0.98	1.94	0.66	-0.01
लोक ऋण का पुनर्भूगतान	4,004.65	4,920.52	4,860.36	4,925.41	5,776.38
आकस्मिकता निधि	-	301.08	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	93,063.99	1,08,165.30	1,28,336.75	1,58,242.07	1,68,893.44
अन्तिम रोकड़ शेष	4,477.03	5,401.96	10,898.72	10,993.66	7,135.56
योग	1,87,307.83	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

³ मुख्य शीर्ष 8009 से 8782 तक को सम्मिलित करते हुए (वित्त लेखे का विवरण पत्रक-21)

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां नीचे तालिका 1.4 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियां

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियाँ					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.56	17.02	19.03	16.87	9.38
स्थिर मूल्य ⁴ पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	62,934	70,914	81,150	89,726	95,208
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-3.21	12.68	14.43	10.57	6.11
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	17.24	18.46	19.89	19.29	19.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	69,870	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.96	17.89	21.12	19.81	8.96
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	58,050	65,900	76,735	86,983	91,940
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-0.15	13.52	16.44	13.35	5.70
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	15.90	17.16	18.81	18.70	18.42
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित पूँजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	10,813	11,878	16,835	27,288	30,913
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-6.52	9.85	41.73	62.09	13.28
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	8,984	9,503	12,948	19,856	21,821
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-15.88	5.78	36.26	53.36	9.90
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	2.46	2.47	3.17	4.27	4.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2013-14 से तुलना करने पर 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

अवधि 2017-18 में बजट में दिए गए मुख्य घटकों, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दिए गए लक्ष्य के अंतर्गत राज्य का निष्पादन जिसमें राज्य की वास्तविक उपलब्धि तथा लेखापरीक्षा द्वारा गणना किए गए तालिका 1.5 में दिया गया है। लेखों में लेने पर कड़िका 3.14 एवं तालिका 3.12 में तथा इस प्रतिवेदन में उल्लेखित विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिशेष ₹ 1,602 करोड़ अधिक बताया गया जबकि राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएं क्रमशः ₹ 949 करोड़ एवं ₹ 929 करोड़ कम बताई गयी हैं।

⁴ वर्तमान मूल्य को स्थिर मूल्य में बदलने के लिए अवस्फीतिकारक (डिफ्लेटर) का प्रयोग किया जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर, वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात है (सकल राज्य घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर (वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 100)। चर (राजस्व प्राप्ति/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय) को स्थिर मूल्यों पर बदलने के लिए वांछित वर्ष के वर्तमान मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर से विभाजित कर 100 से गुणा किया जाता है।

तालिका 1.5: 2017-18 के दौरान राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य (मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण ⁵)	वास्तविक उपलब्धि	वास्तविक जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित किया गया
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं		सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.63 प्रतिशत {(+) ₹ 4,596 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.65 प्रतिशत {(+) ₹ 4,629 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.43 प्रतिशत {(+) ₹ 3,027 करोड़}
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.25 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत {(-) ₹ 25,689 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.22 प्रतिशत {(-) ₹ 22,745 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.35 प्रतिशत {(-) ₹ 23,694 करोड़}
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)	25.49 प्रतिशत	25.00 प्रतिशत	24.94 प्रतिशत	24.38 प्रतिशत (₹ 1,72,363 करोड़)	24.51 प्रतिशत (₹ 1,73,292 करोड़)

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015-20, 2017-18 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेख 2017-18)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं बजट अनुमान 2017-18 में निर्धारित राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि, वास्तविक लेखापरीक्षा द्वारा संगणित राजस्व अधिशेष बजट अनुमान के निर्धारित लक्ष्य से कम था जबकि राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों के कारण लेखापरीक्षा के वास्तविक संगणित आंकड़ों से असहमति व्यक्त की गई।

तथ्य यह है कि निधियों का कम हस्तांतरण, आरक्षित निधियों और जमाओं पर ब्याज का भुगतान न करने एवं राजस्व तथा पूंजीगत के मध्य गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष का अधिमूल्यन एवं राजकोषीय घाटे का अवमूल्यन क्रमशः ₹ 1,602 करोड़ एवं ₹ 949 करोड़ से रहा।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व एवं ऋणोत्तर प्राप्ति से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के (ऋण एवं अग्रिमों सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषित प्रतिमान (pattern) तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

⁵ मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

तालिका 1.6: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 ⁶	2017-18
राजकोषीय घाटा (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं)		9,882	11,352	14,065	27,664	22,745
		(2.26)	(2.36)	(2.59)	(4.32)	(3.22)
1	राजस्व आधिक्य	5,879	6,268	5,740	3,770	4,629
2	निवल पूंजीगत व्यय	-10,777	-11,850	-16,809	-27,265	-30,894
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-4,984	-5,770	-2,996	-4,169	3,520
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान*						
1	बाजार उधारियां	3,572	8,171	12,991	14,551	13,125
2	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज	450	536	414	249	824
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,270	1,184	922	1,266	1,348
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	245	258	798	1,590	913
5	आरक्षित निधियां	971	143	1,733	-498	-1,038
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	948	962	1,025	813	680
7	जमा एवं अग्रिम	-490	618	574	3,436	2,316
8	उचंत एवं विविध	32	462	1,457	-842	110
9	प्रेषण	286	-57	-352	-72	704
10	अन्य ⁷	2,598	-925	-5,497	+7,171	3,763
राजकोषीय घाटा		9,882	11,352	14,065	27,664	22,745

*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्वाह के परिणामी (नेट) हैं
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.1.2.2 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे⁸ का प्राथमिक राजस्व घाटा⁹ तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों के सहित) में अपघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि उधार ली गई निधियों को किस सीमा तक उपयोग किया गया था। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात दर्शाता है कि राज्य का सम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था एवं ऋण (राजकोषीय देयताएं) के एक भाग के लिए कोई सम्पत्ति बैकअप नहीं था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.7) यह दर्शाता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए वांछनीय हो सकता है।

⁶ उदय के प्रभाव को सम्मिलित कर

⁷ आकरिमकता निधि, रोकड़ शेष, निवेश एवं बंधपत्र के अधीन लेन-देन

⁸ प्राथमिक घाटा, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

⁹ प्राथमिक राजस्व घाटा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—यह राज्य के प्राथमिक राजस्व व्यय (राजस्व व्यय – ब्याज अदायगियों) एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों का अंतर है एवं यह प्रकट करता है कि किस सीमा तक ऋणोत्तर प्राप्तियाँ, राजस्व खाते के अंतर्गत, प्राथमिक व्यय को मिलाने के योग्य हैं।

तालिका 1.7: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)


वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा की तुलना में जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	0.79
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281	0.89
2015-16	1,05,701	91,680	16,835	3,160	1,11,675	14,021	-5,974	1.13
2016-17 [#]	1,24,103	1,10,458	27,288	4,942	1,42,688	13,645	-18,585	2.91
2017-18	1,39,964	1,19,201	30,913	1,550	1,51,664	20,763	-11,700	1.65

*अंतर्राज्यीय समायोजन सहित; [#]उदय के प्रभाव को शामिल कर (स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनवेक्षित घटनाओं या बजट तैयार करने के स्तर पर व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों को चार्ट 1.1 एवं परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट 2017-18)

- राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान (₹ 1,39,116 करोड़) से ₹ 4,241 करोड़ कम हुई।
- कर राजस्व में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 10,926 करोड़) एवं माल एवं यात्री कर (₹ 2,851 करोड़) के अंतर्गत थी।
- करेत्तर राजस्व में कमी मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,000 करोड़) के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में मुख्यतः कमी सामान्य सेवाएं (₹ 4,600 करोड़) में थी जो सामाजिक सेवाएं (₹ 1,935 करोड़) के अंतर्गत आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 499 करोड़ से कमी थी जो सामाजिक सेवाएं (₹ 1,395 करोड़) में कमी के कारण थी जो आर्थिक सेवाएं के अंतर्गत ₹ 1,076 करोड़ के आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007-08 में की गई थी। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: 2013-18 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68
2015-16	2,582.59	2,441.72	94.55	36,514.60	30,543.77	83.65
2016-17	2,359.33	1,422.27	60.28	40,848.26	36,327.84	88.93
2017-18	2,617.70	उपलब्ध नहीं*	—	44,391.09	उपलब्ध नहीं*	—

* वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित दो योजनाओं में जेण्डर बजट की उपयोगिता में कमी

महिला एवं बाल विकास विभाग (अक्टूबर-नवम्बर 2018) के अभिलेखों की नमूना जांच में योजना 5643 "आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को अतिरिक्त मानदेय" तथा 5033 "जबाली योजना (वेश्यावृत्ति उन्मूलन)" में अवधि 2013-14 से 2017-18 के दौरान जेण्डर बजट के उपयोग में कमी परिलक्षित हुई। विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: 2013-18 के दौरान योजना 5643 एवं 5033 के अंतर्गत प्रावधान एवं व्यय
(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना 5643			योजना 5033		
	आबंटन	व्यय	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)	आबंटन	व्यय	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)
2013-14	234.50	219.64	6.34	2.49	0.72	71.08
2014-15	290.34	268.62	7.48	1.10	0.93	15.45
2015-16	303.06	290.04	4.30	5.00	0.83	83.40
2016-17	302.96	279.88	7.62	31.91	1.07	96.65
2017-18	339.28	296.57	12.59	4.70	1.73	63.19
योग	1,470.14	1,354.75	7.85	45.20	5.28	88.32

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 1.9 से देखा जा सकता है कि 2013–18 की अवधि के दौरान योजना 5643 में जेण्डर बजट के उपयोग में 4.30 प्रतिशत से 12.59 प्रतिशत तक की कमी एवं योजना 5033 में 15.45 प्रतिशत से 96.65 प्रतिशत तक की कमी रही।

जेण्डर बजट के उपयोग में कमी के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि योजना 5033 के तहत धनराशि का प्रावधान प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के लिए किया गया था ताकि समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और रोजगार के समान अवसर पैदा किए जा सकें परन्तु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण जिला स्तर पर आवंटन नहीं किया जा सका। विभाग ने योजना 5643 के अन्तर्गत उपयोग में कमी के लिए रिक्त पदों को जिम्मेदार ठहराया।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि जेण्डर बजट के लिए एक पृथक खण्ड 6 तैयार कर विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें महिलाओं के कल्याण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं सम्मिलित हैं। इसलिए, महिला केंद्रित योजनाओं का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में ठीक प्रकार से हो रहा था। जहाँ तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंधित विशेष संदर्भ का आशय है उन विभागों को इस बारे में सूचित कर दिया जायेगा।

तथ्य यह है कि 2013–18 की अवधि के दौरान योजना 5643 एवं 5033 में जेण्डर बजट के उपयोग में कमी परिलक्षित हुई।


1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित हैं।


चार्ट 1.2, 1.3 एवं 1.4 क्रमशः कुल प्राप्तियों के संघटन, 2013–18 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों में प्रवृत्ति एवं 2017–18 के दौरान संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: 2017-18 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना




(स्रोत: 2017-18 के वित्त लेखे)

चार्ट 1.3: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: 2017-18 के वित्त लेखे)


1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन **परिशिष्ट 1.5** में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में चित्रित भी की गई हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2013-18 के अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व की औसत वृद्धि दर सात प्रतिशत थी। 2013-14, 2014-15, 2015-16, एवं 2016-17 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व की संवृद्धि दर क्रमशः 10 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, चार प्रतिशत तथा नौ प्रतिशत थी। 2013-14 में राज्य के कुल राजस्व में स्वयं के करों का अंश का 44.29 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 33.22 प्रतिशत हो गया। 2017-18 में स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर में कमी के कारण संवृद्धि दर एक प्रतिशत थी, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर में शामिल किया गया था। कर संग्रहण में कर्मियों को भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 2,511 करोड़) से क्षतिपूर्ति की। यदि भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति को राज्य के स्वयं के राजस्व में शामिल किया जाता है तो संवृद्धि दर छः प्रतिशत होगी।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 11,568 करोड़; नौ प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 6,187 करोड़; 26 प्रतिशत) एवं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई निवल प्राप्तियों (₹ 4,789 करोड़; 10 प्रतिशत) के कारण थी।

1.2.2.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है जिसमें केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं होता है जो कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होता है।

वर्ष 2013-18 के लिए कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 1.6** में प्रस्तुत किया गया है। इनमें 2013-14 में ₹ 41,257 करोड़ से 2017-18 में ₹ 53,872 करोड़, कुल ₹ 12,615 करोड़ (31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

कर राजस्व

2013-18 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,650	18,136	19,806	22,561	14,984
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	8,696
राज्य उत्पाद शुल्क	5,907	6,696	7,923	7,533	8,245
वाहन कर	1,599	1,824	1,933	2,252	2,692
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,400	3,893	3,868	3,925	4,789
भू-राजस्व	366	243	277	407	491
माल तथा यात्री पर कर	2,579	2,686	3,085	3,805	1,159
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,972	2,010	2,258	2,621	2,590
अन्य कर*	1,079	1,079	1,064	1,090	1,165
योग	33,552	36,567	40,214	44,194	44,811
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व	7.63	7.62	7.58	6.91	6.34

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* अन्य करों में कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 644 करोड़), आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 342 करोड़), एवं माल एवं सेवाओं पर शुल्क (₹ 179 करोड़) सम्मिलित है

- वर्ष 2017-18 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पड़ोसी राज्यों जैसे झारखण्ड (4.84 प्रतिशत), गुजरात (5.42 प्रतिशत), राजस्थान (6.02 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (6.82 प्रतिशत) एवं उत्तर प्रदेश (7.08 प्रतिशत) की तुलना में 6.34 प्रतिशत था।
- जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण पूर्व वर्ष की तुलना में, 2017-18 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में केवल 1.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत सरकार ने माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुए नुकसान भरपाई हेतु ₹ 2,511 करोड़ का सहायता अनुदान दिया। यदि भारत सरकार से प्राप्त नुकसान भरपाई को स्वयं के कर राजस्व में जोड़ लिया जाये तो वृद्धि 7.08 प्रतिशत होगी।
- 2016-17 में संग्रहित राजस्व ₹ 26,366 करोड़ की तुलना में 2017-18 के दौरान माल एवं सेवा कर में समाहित करों से राजस्व आय ₹ 27,350 करोड़ (₹ 2,511 करोड़ की नुकसान भरपाई सहित) हुई।

करेत्तर राजस्व

2013-18 के दौरान करेत्तर राजस्व से प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: करेत्तर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अलौह खनिज एवं धातु	2,306	2,814	3,060	3,168	3,641
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,008	3,276	1,292	1,824	1,310
वन एवं वन्य जीवन	1,037	969	1,002	918	1,112
ब्याज प्राप्तियाँ	318	1,261	429	582	639
लाभांश एवं लाभ	379	80	130	231	622
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1,657	1,975	2,656	2,363	1,737
योग	7,705	10,375	8,569	9,086	9,061

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.2 संग्रहण लागत

2017-18 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण एवं उसकी लागत का विवरण नीचे तालिका 1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: संग्रहण लागत

विवरण	कुल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	कुल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत का प्रतिशत	विगत वर्ष का अखिल भारतीय औसत
	(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,984.04	182.34	1.22	0.69
वाहन कर	2,691.62	49.91	1.85	2.61
राज्य उत्पाद शुल्क	8,245.01	118.80	1.44	2.01
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,788.51	77.80	1.62	2.99

(स्रोत: 2017-18 के वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के सापेक्ष मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना में अखिल भारतीय कर के सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद (राज्य बिक्री

कर के अधीन प्राप्तियाँ) का अनुपात भी अधिक अनुपात इंगित करता है जो कि नीचे तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: बिक्री, व्यापार आदि पर कर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ करोड़ में)	16,650	18,136	19,806	22,561	14,984
बिक्री, व्यापार आदि पर कर /मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अंतर्गत प्राप्तियाँ) का सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01

2013-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर के बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों के विवरण तालिका 1.14 में नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.14: बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बजट अनुमान	16,500	19,500	21,300	22,000	25,910
वास्तविक आंकड़े	16,650	18,136	19,806	22,561	14,984

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएँ)

जुलाई 2017 से प्रभावी माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण, 2017-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर का वास्तविक संग्रह बजट अनुमान से ₹ 10,926 करोड़ कम हो गया। राज्य माल एवं सेवा कर में बिक्री, व्यापार आदि के करों में से कुछ कर सम्मिलित कर दिए गए। 2017-18 के दौरान, राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ₹ 8,696 करोड़ थी।

1.2.2.3 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान का विवरण नीचे तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: भारत सरकार से सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	3,540	4,425	3,990	5,473	4,408
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5,536	9,011	13,371	17,702	23,164
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	153	1,263	359	257	67
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,548	2,893	610	531	-
राज्य को अन्य अनुदान ¹⁰	-	-	-	-	2,511
योग	11,777	17,592	18,330	23,963	30,150
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	(-) 2.18	49.38	4.19	30.73	25.82
राजस्व प्राप्तियाँ	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	15.55	19.85	17.37	19.43	22.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

¹⁰ माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि के लिये प्रतिपूर्ति

1.2.2.4 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2013-18 के दौरान भारत सरकार से राज्य सरकार को अंतरण का विवरण तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16: केन्द्रीय कर/शुल्क अंतरण में प्रवृत्तियाँ

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	22,715	24,107	38,398	46,064	50,853
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	716
समन्वित माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	5,132
सेवा कर	3,701	3,554	6,656	7,434	5,795
निगम कर से भिन्न आय पर कर	5,030	6,011	8,400	10,252	13,147
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,618	2,202	5,100	7,246	5,363
निगम कर	7,639	8,418	12,078	14,752	15,569
सम्पत्ति पर कर	21	23	3	34	0
सीमा शुल्क	3,706	3,899	6,134	6,346	5,131
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	0	27	0.13	0

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.5 विभाग द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाना

31 मार्च 2018 को खनन विभाग और पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग द्वारा प्रतिवेदित किए गए कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिए गए प्रकरण और अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगों का विवरण तालिका 1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: कर अपवंचन

राजस्व की प्रकृति	31 मार्च 2017 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2017-18 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया		31 मार्च 2018 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ में)	
खनन	2,260	16,139	18,399	14,739	43.76	3,660
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16,629	9,249	25,878	12,525	93.06	13,353
योग	18,889	25,388	44,277	27,264	136.82	17,013

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

1.2.3 पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

अवधि 2013-18 के दौरान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.18 में दी गई हैं:

तालिका 1.18: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	9,672	21,863	20,175	30,643	26,981
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ	131	6,794	190	796	5,089
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	36	28	26	24	19
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	1	2	-	-
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	93	6,765 ¹¹	162	772 ¹²	5,070 ¹³
लोक ऋण प्राप्ति	9,541	15,069	19,985	29,847	21,892
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	79.45	5,086.26	(-97.20)	318.95	539.32
पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	9.12	126.04	(-7.72)	51.89	(-11.95)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है:

तालिका 1.19: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार उधारियाँ	5,000	10,300	14,700	16,100	15,000
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,332	1,483	2,075	2,602	2,101
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड	-	-	-	7,360	-
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	1,996	1,914	1,884	2,518	2,874

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों की अपेक्षा उधारियों पर अदा किए गए ज्यादा ब्याज दर के प्रभाव पर कड़िका 1.4.2 में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.2.3.2 भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

अवधि 2013-14 से 2017-18 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिमों का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	1,212	1,372	1,326	1,267	1,917

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्ति

अल्प बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधियों इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। लोक लेखों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण

¹¹ इसमें से ₹ 6,694 करोड़ विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज की वसूली से सम्बन्धित है।

¹² इसमें से ₹ 507 करोड़ कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिये कर्ज की वसूली से सम्बन्धित है।

¹³ इसमें से ₹ 4,622 करोड़ विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज की वसूली से सम्बन्धित है।

पत्रक 21 में दर्शाई गई है एवं लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक लेखे (निवल)	1,747	2,130	4,435	2,837	2,772
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	948	963	1,024	813	680
(ख) आरक्षित निधि	971	144	1,733	(-498)	(-1,038)
(ग) जमा एवं अग्रिम	(-490)	618	574	3,436	2,316
(घ) उचंत एवं विविध	32	462	1,457	(-842)	110
(ङ) प्रेषण	286	(-57)	(-353)	(-72)	704

(₹ करोड़ में)


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देनों के प्रभाव पर कड़िका 1.5.2 में चर्चा की गई है।


1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.3.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

2013-18 के दौरान कुल व्यय तथा गतिविधिवार व्यय की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.22 में दिया गया है:

तालिका 1.22: राजस्व व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	69,870	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246
राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.96	17.89	21.12	19.81	8.96

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2016-17 की तुलना में 2017-18 में राजस्व व्यय में ₹ 10,709 करोड़ (नौ प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि मुख्यतः जलपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 6,135 करोड़ से) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,510 करोड़ से) तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 1,617 करोड़ से) के अन्तर्गत थी।

1.3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय का विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है:

तालिका 1.23: पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत व्यय	10,813	11,878	16,835	27,288	30,913
पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)6.52	9.85	41.73	62.09	13.28
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता (प्रतिशत में)	2.46	2.47	3.17	4.27	4.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त)

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो राजस्व आधिक्य के पूंजीगत व्यय में उपयोग को प्रकट करता है। 2013-14 में पूंजीगत व्यय ₹ 10,813 करोड़ था जो कि 286 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2017-18 में ₹ 30,913 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय 2013-14 में 2.46 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 4.37 प्रतिशत हो गया।
- पूंजीगत व्यय में 2017-18 में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,625 करोड़ (13 प्रतिशत) से वृद्धि ऊर्जा (₹ 2,813 करोड़ से) के कारण हुई।
- पूंजीगत व्यय में 2015-16 में वृद्धि मुख्यतः वृहद् सिंचाई (₹ 2,020 करोड़ से) के कारण हुई। आगे, 2016-17 में वृद्धि ऊर्जा (₹ 4,117 करोड़ से) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,097 करोड़ से) के कारण हुई।
- वर्ष 2017-18 के दौरान पड़ोसी राज्यों गुजरात (1.99 प्रतिशत), राजस्थान (2.45 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (2.84 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (3.43 प्रतिशत) एवं झारखण्ड (4.68 प्रतिशत) की तुलना में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय 4.37 प्रतिशत था।

1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 11,045 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 24,026 करोड़), पेंशन (₹ 9,290 करोड़) एवं राजसहायता (₹ 19,381 करोड़) शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 63,742 करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य संघटक है एवं इसमें राजस्व व्यय (₹ 1,30,246 करोड़) का 49 प्रतिशत प्रयुक्त हुआ।

तालिका 1.24 में अवधि 2013-18 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.24: प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन* एवं मजदूरी जिसमें	18,361 (24.24)	19,997 (22.56)	20,554 (19.48)	21,577 (17.50)	29,424 (21.15)	24,026 (17.81)
ब्याज भुगतान	6,391 (8.44)	7,071 (7.98)	8,091 (7.67)	9,079 (7.36)	11,541 (8.36)	11,045 (8.19)
पेंशन भुगतान	5,932 (7.83)	6,836 (7.71)	7,819 (7.41)	8,793 (7.13)	12,369 (8.89)	9,290 (6.89)
राजसहायता	6,567 (8.67)	9,954 (11.23)	11,725 (11.11)	16,512 (13.39)	17,813 (12.80)	19,381 (14.37)
कुल	37,251 (49.18)	43,858 (49.48)	48,189 (45.67)	55,961 (45.38)	71,147 (51.14)	63,742 (47.26)

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं

*सहायतानुदान से भुगतान किए गए वेतन भी सम्मिलित है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े)

पेंशन भुगतान

वर्ष 2017-18 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 9,290.25 करोड़ था, जिसमें से ₹ 8,861.44 करोड़, 31 दिसंबर 2004 को या इससे पूर्व भर्ती हुए राज्य कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर खर्च हुए और शेष ₹ 428.81 करोड़ शासकीय अंशदान पर, 01 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए खर्च हुए।

राजसहायताएं

2017-18 के दौरान राजसहायताओं पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई राजसहायताओं का विभाग/शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। वर्ष के दौरान राशि ₹ 19,381 करोड़ का भुगतान किया गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 14 प्रतिशत था। मुख्य गतिविधियां जिन्हें राजसहायता दी गई वे ऊर्जा गतिविधियां: ₹ 9,484 करोड़ (49 प्रतिशत), कृषक कल्याण एवं कृषि विकास गतिविधियां: ₹ 3,950 करोड़ (20 प्रतिशत) एवं सहकारिता गतिविधियां: ₹ 1,473 करोड़ (आठ प्रतिशत) के अंतर्गत थीं।

1.3.5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा अंतरित की जाती है। एन.पी.एस. की शुरुआत के समय कर्मचारियों के अंशदान एवं शासन के अंशदान को मध्यप्रदेश शासन ने शीर्ष 8342-117-अन्य जमा परिभाषित पेंशन योजना के अंतर्गत जमा किया एवं 30 सितम्बर 2009 तक इसका पालन किया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 अक्टूबर 2009 से मध्य प्रदेश शासन ने कर्मचारियों के अंशदान को शीर्ष 0071 500 'अन्य लघु शीर्षों के अंतरण के लिये प्रतीक्षित प्राप्तियाँ', शासकीय अंशदान, शीर्ष 2071-117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना शासकीय अंशदान से नामे किया एवं बाद में

शासकीय अंशदान शीर्ष 0071 – 500 'अन्य लघु शीर्ष के अंतरण के लिये प्रतीक्षित प्राप्तियाँ' में अंतरित कर वर्गीकृत किया।

1.3.5.1 लेखापरीक्षा के दौरान वेतन/बकाया से सरकारी कर्मचारियों के एन.पी.एस. अंशदान में कटौती में विसंगतियां

मध्य प्रदेश में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) के कुल 314 कार्यालयों में से 78 बी.ई.ओ. की लेखापरीक्षा की गई। 78 बी.ई.ओ. की लेखापरीक्षा के दौरान 260 विद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई जहाँ पर लेखापरीक्षा ने चार¹⁴ बी.ई.ओ. के 20 विद्यालयों (लेखापरीक्षित विद्यालयों का 7.69 प्रतिशत) में एन.पी.एस. का कटौती होना नहीं पाया गया। विवरण तालिका 1.25 के खण्ड क में दिया गया है।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 133 वन कार्यालयों (एफ.ओ.) में से 63 एफ.ओ. की लेखापरीक्षा की गई। चार¹⁵ एफ.ओ. कार्यालय (कुल चयनित वन कार्यालयों के 6.35 प्रतिशत) में राज्य शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों के बकाया से एन.पी.एस. के अंशदान में कटौती की विफलता के प्रकरण प्रकाश में आए। विवरण तालिका 1.25 के खण्ड ख में दिया गया है।

तालिका 1.25: वेतन एवं मंहगाई भत्ते के बकायों से कर्मचारी अंशदान की नहीं की गई कटौती के नमूना जाँच प्रकरणों का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संस्थान का नाम	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी अंशदान जिसकी कटौती नहीं की गई	नियोक्ता का समरूप अंशदान	एन.एस.डी. एल. को अंतरित नहीं की गई राशि
(क) वेतन से कर्मचारियों के अंशदान की कटौती न करना					
(अ) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, छैगांव माखन, खंडवा					
1.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, छैगांव, खण्डवा	27	8.83	8.83	17.66
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिचगोहन, खंडवा	21	6.69	6.69	13.38
3.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खंडवा	13	5.09	5.09	10.18
योग (अ)		61	20.61	20.61	41.22
(ब) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्सवाह					
1.	शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,	15	3.93	3.93	7.86
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डरगौन	9	6.91	6.91	13.82
3.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बमहौरी	32	9.46	9.46	18.92
4.	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बक्सवाह	8	3.25	3.25	6.50
5.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बजना	3	1.22	1.22	2.44
योग (ब)		67	24.77	24.77	49.54
(स) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलदेवगढ़					
1.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हटा	36	5.83	5.83	11.66
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देरी	27	8.26	8.26	16.52
3.	शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरगापुर	45	11.35	11.35	22.70
4.	शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलदेवगढ़	31	8.20	8.20	16.40
योग (स)		139	33.64	33.64	67.28
(द) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़					
1.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मवाई	14	5.90	5.90	11.80
2.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अजनोर	34	10.22	10.22	20.44

¹⁴ 1. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, छैगांव माखन, खंडवा, 2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्सवाह, 3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलदेवगढ़, टीकमगढ़, 4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़

¹⁵ 1. संभागीय वन अधिकारी, दक्षिण सिवनी, 2. संभागीय वन अधिकारी, पश्चिमी छिंदवाड़ा, 3. क्षेत्र निदेशक, पंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, 4. संभागीय वन अधिकारी, पूर्वी छिंदवाड़ा

स. क्र.	संस्थान का नाम	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी अंशदान जिसकी कटौती नहीं की गई	नियोक्ता का समरूप अंशदान	एन.एस.डी. एल. को अंतरित नहीं की गई राशि
3.	शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,	2	1.29	1.29	2.58
4.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, क्रमांक 2	5	1.39	1.39	2.78
5.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अस्तौन	11	3.39	3.39	6.78
6.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुण्डेश्वर	18	5.57	5.57	11.14
7.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बुढ़ेरा	17	5.42	5.42	10.84
8.	शासकीय बुनियादी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टीकमगढ़	34	9.57	9.57	19.14
9.	शंकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पठा	8	3.18	3.18	6.36
योग (द)		143	45.93	45.93	91.86
योग (क)		410	124.95	124.95	249.90
(ख) महंगाई भत्तों के बकाया से कर्मचारियों के अंशदान की कटौती न करना					
1.	संभागीय वन अधिकारी, दक्षिण सिवनी	71	1.38	1.38	2.76
2.	क्षेत्र निदेशक, पंच टाइगर रिजर्व, सिवनी	69	3.43	3.43	6.86
3.	संभागीय वन अधिकारी, पूर्वी छिंदवाड़ा	80	0.45	0.45	0.90
4.	संभागीय वन अधिकारी, पश्चिमी छिंदवाड़ा	111	13.04	13.04	26.08
		108	2.97	2.97	5.94
योग (ख)		439	21.27	21.27	42.54
महायोग (क + ख)		849	146.22	146.22	292.44

(स्रोत: संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं वन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी)

तालिका 1.25 से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:-

- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों ने 410 राज्य शासकीय कर्मचारियों जो एन.पी.एस. के अंतर्गत थे उनकी नियुक्ति से न तो कर्मचारी अंशदान के ₹ 1.25 करोड़ की उनके वेतनों से कटौती की और न ही राज्य शासन ने समरूप राशि का अंशदान किया।

इसके बारे में पूछे जाने पर, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्सवाहा एवं बलदेवगढ़ ने उत्तर दिया कि अंशदानों की कटौती स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (प्रान) की प्राप्ति नहीं होने के कारण नहीं की जा सकी जबकि, खंड शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़ ने बताया कि प्रान के आवेदन के लिये कार्यवाही की गयी है तथा प्रान के आवंटन पश्चात् नियमानुसार अंशदानों का कटौती किया जाएगा।

- आगे, वन अधिकारी भी 439 कर्मचारियों के महंगाई भत्तों के बकाया से ₹ 21.27 लाख की लागत के एन.पी.एस. अंशदान की कटौती करने में विफल रहें।

महंगाई भत्तों के बकायों से कर्मचारी अंशदान की कटौती में विफलता के बारे में पूछे जाने पर क्षेत्र निदेशक, पंच टाइगर रिजर्व सिवनी एवं वन मण्डल अधिकारी, पूर्वी छिंदवाड़ा ने उत्तर दिया कि बकायों से एन.पी.एस. अंशदान की कटौती के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं है। वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण सिवनी ने बताया कि एन.पी.एस. अंशदान की सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः वेतन से कटौती हो जाती है, परन्तु महंगाई भत्तों के बकायों से एन.पी.एस. अंशदान की कटौती के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, चूंकि एन.पी.एस. के लिए दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि एन.पी.एस. के अंतर्गत कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे। इस प्रकार 849 कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ₹ 1.46 करोड़ का कटौती किये जाने में विफल रहने के कारण कर्मचारी एन.पी.एस. के लाभ से वंचित रहे एवं इसके परिणामस्वरूप एन.एस.डी.एल. को भी ₹ 2.92 करोड़ का कम अन्तरण हुआ।

1.3.5.2 वित्तीय लेखों के आधार पर एन.पी.एस.का विश्लेषण

2010–11 से 2017–18 की अवधि से संबंधित वित्तीय लेखों पर आधारित एन.पी.एस. के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) के अनुसार लेखाशीर्ष 8342–117–अन्य जमा–परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कोई भी अंशदान अस्थायी तौर भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2018 को ₹ 20.49 करोड़ की राशि, उपरोक्त शीर्ष में रखी है। इसके फलस्वरूप, ब्याज सहित शेषों को व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंतरित करना शेष रहा।
- 2010–11 से 2017–18 के दौरान कर्मचारी अंशदान के ₹ 1,590.17 करोड़ के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा वास्तविक अंशदान ₹ 1,731.22 करोड़ किया गया।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुल अंशदान ₹ 3,321.38 करोड़ (2010–11 से 2017–18 की अवधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान एवं शासन का अंशदान) के विरुद्ध केवल ₹ 3,203.56 करोड़ अंतरित किया गया एवं शेष राशि ₹ 117.82 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अंतरित नहीं की गई।
- 2017–18 के दौरान शासन ने कुल अंशदान ₹ 821.45 करोड़ में से एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 801.63 करोड़ ही अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2017–18 के लिए ₹ 19.82 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया। कम अंतरण निश्चित रूप से एन.पी.एस. कोष का दिवालियापन और योजना की विफलता का कारण बन जायेगा।

इस प्रकार सरकार के अंश सहित संपूर्ण अंशदान को एन.एस.डी.एल. को अंतरण करने में असफल होने के कारण राज्य सरकार की देयताओं में वृद्धि हुई।

अनुशंसा: राज्य शासन को अंशदान का कटौती न किए जाने के कारणों की जांच किया जाना चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रक्रिया विकसित की जाए कि कर्मचारियों के अंशदान की पूर्णरूप से कटौती की जाती है, शासन पूर्णरूप से समरूप अंशदान करता है और सम्पूर्ण राशि समय से एन.एस.डी.एल. को अंतरित की जाती है। एन.एस.डी.एल. को अंतरण में विलंब होने के मामले में कम से कम सामान्य भविष्य निधि दर का ब्याज अंशदाता के खाते में जमा किया जाए। एन.पी.एस. अंशदान की कटौती न करना या इसका अंतरण (राज्य शासन के अंशदान के साथ) न किया जाना न केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है, यह योजना को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

1.3.6 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्यतः तीन दृष्टिकोण शामिल होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने को पर्याप्त प्रावधान), उपयोगित व्यय की दक्षता और प्रभावशीलता (परिव्यय का आकलन–सेवाओं के लिए परिणाम संबंध)।

1.3.6.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2013–14 एवं 2017–18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण **तालिका 1.26** में किया गया है।

तालिका 1.26: 2013-14 एवं 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय# / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	14.70	66.50	37.60	28.90	13.60	17.20	4.50
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2013-14	19.51	70.46	34.67	35.79	12.61	16.14	4.02
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	16.10	67.90	36.70	29.60	14.40	15.50	4.90
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2017-18	23.01	75.38	39.28	36.10	19.00	14.54	3.94
# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा सवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।							

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017-18 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर उच्च था।

1.3.7 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण नीचे तालिका 1.27 में दिया गया है:

तालिका 1.27: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2016-17			2017-18		
	कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
कुल (सामाजिक सेवाएं)	6.40	11,461	406	8.38	12,565	429
कुल (आर्थिक सेवाएं)	35.83	3,360	1,503	42.25	3,842	1,250
कुल (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	22.85	14,821	1,909	24.60	16,408	1,679
सामाजिक सेवा के मुख्य संघटक						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3.36	7,490	26	2.82	8,232	28
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	9.51	2,602	12	13.96	2,828	19
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	9.02	315	359	11.91	323	363
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.85	1,054	9	10.35	1,183	19
आर्थिक सेवा के मुख्य संघटक						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	5.69	2,099	13	3.18	2,424	16
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	92.49	586	72	92.51	660	74
विद्युत तथा ऊर्जा	22.98	1	6	36.84	1	19
परिवहन	78.96	76	777	85.31	82	490
अन्य आर्थिक सेवाएं	27.48	598	635	20.98	676	651

(स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी. आंकड़े 2016-17 एवं 2017-18)

1.4 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.4.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारता के आकलन हेतु किया था। 2013-18 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.28 में दर्शित है।

तालिका 1.28: सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली स्थिति

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	तेरहवें वित्त आयोग (2010-15)/चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) के लागत वसूली आकलन	राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में	
2013-14	358	779	60	46
2014-15	437	839	75	52
2015-16	483	625	35	77
2016-17	574	680	35	84
2017-18	524	637	35	82

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

उपरोक्तानुसार देखा गया कि राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली 2013-14 तथा 2014-15 में तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन से कम था। यद्यपि, 2015-16 से इसमें सुधार हुआ है, 2015-18 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के अनुमान से अधिक था।

1.4.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2018 तक, सरकार ने 43 सरकारी कंपनियों (₹ 20,521.26 करोड़), 33 सांविधिक निगमों (₹ 8,760.96 करोड़), 130 सहकारी संस्थाओं (₹ 254.93 करोड़), 23 संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी (₹ 0.11 करोड़) में ₹ 29,537.26 करोड़ निवेश किया।

2013-18 के दौरान निवेशों पर प्रतिलाभ/प्राप्त ब्याज की स्थिति तालिका 1.29 में दी गई है।

तालिका 1.29: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अंत में निवेश* (₹ करोड़ में)	14,199	15,029	15,524	21,827	29,537
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	378.72	80.35	129.64	231.50	622.36
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	2.67	0.53	0.83	1.06	2.11
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर ¹⁶ (प्रतिशत)	6.84	6.88	6.86	6.42	6.73
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	4.17	6.35	6.03	5.36	4.62

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

(* 31 मार्च 2018 को वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच अविभाजित निवेश शामिल नहीं है)

2017-18 के दौरान, इन निवेशों पर प्रतिलाभ 2.11 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.73 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। हालांकि, इन संस्थानों में सरकार का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं था, बल्कि लोकहित को देखना था।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेकों को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा रही है। विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है

¹⁶ ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

तालिका 1.30: राज्य सरकार द्वारा बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियाँ एवं भुगतान
(₹ करोड़ में)

कर्ज/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत की प्रमात्रा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कर्ज एवं अग्रिम का प्रारंभिक शेष	27,088	32,072	37,842	40,827¹⁷	44,989¹⁸
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,077	12,535	3,158	4,941	1,550
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	93	6,765	162	772	5,070
कर्ज तथा अग्रिम का अंतिम शेष	32,072	37,842	40,838	44,996	41,469
कर्ज तथा अग्रिम का निवल संयोजन	4,984	5,770	2,996	4,169	(-) 3,520
ब्याज प्राप्तियाँ	12	1,058	139	62	97
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	0.04	2.80	0.34	0.14	0.23
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.84	6.88	6.86	6.42	6.73
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.80	4.08	6.52	6.28	6.50

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान 6.73 प्रतिशत की दर से उधार पर दिये गये औसत ब्याज को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.23 प्रतिशत थी।

सरकार द्वारा दिए गए कर्जों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्रक 18 के अनुभाग 1 में विस्तार से दिया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में अपने निवेशों एवं अग्रिम कर्जों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ कम से कम सरकार की उधारी लागत से साम्य रखे।

1.4.4 मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को वित्तीय सहायता

मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को सामान्य कर्ज, पूंजीगत कर्ज, कार्यकारी पूंजीगत कर्ज तथा लघु अवधि कार्यकारी पूंजीगत कर्जों इत्यादि के रूप में दी गई वित्तीय सहायताओं की स्थिति अभिनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के कर्जों एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल (कम्पनी) के अभिलेखों की समीक्षा (अक्टूबर 2018) की।

2013-14 से 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्पनी को संवितरित किए गए कर्जों का विवरण तालिका 1.31 में दिया गया है।

¹⁷ छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण के कारण आरंभिक शेष में ₹ 10.21 करोड़ की कमी हुई।

¹⁸ छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण के कारण आरंभिक शेष में ₹ 6.74 करोड़ की कमी हुई।

तालिका 1.31: 2013–18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सवितरित किए गए कर्जों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कर्ज/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत की प्रमात्रा	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	कम्पनी को दिए गए कर्ज का प्रारम्भिक शेष	6,596.25	8,060.86	10,049.80	11,103.17	12,029.16
2	वर्ष के दौरान कम्पनी को दिया गया कर्ज	1,464.61	4,518.16	1,053.37	925.99	215.24
3	सतत कर्ज में परिवर्तित मध्य प्रदेश शासन के कर्ज पर ब्याज	0.00	427.88	0.00	0.00	0.00
4	सतत कर्ज में परिवर्तित मध्य प्रदेश शासन का कर्ज	0.00	2,957.10	0.00	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चुकाया गया कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	उदय के अंतर्गत इक्विटी/अनुदान में परिवर्तित कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.37
7	अंतिम शेष (1+2+3-4-5-6)	8,060.86	10,049.80	11,103.17	12,029.16	10,662.03
8	निवल संयोजन (7-1)	1,464.61	1,988.94	1,053.37	925.99	-1,367.13
9	कम्पनी द्वारा कर्जों पर किया गया ब्याज भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

मध्य प्रदेश शासन ने वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2012 के दौरान वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ.आर.पी.) आरंभ की। एफ.आर.पी. के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने 31 मार्च 2011 की स्थिति में कंपनी द्वारा देय बकाया कर्ज एवं ब्याज की राशि ₹ 3,315.20¹⁹ करोड़ को, 31 मार्च 2014 तक तीन वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित सतत कर्ज में परिवर्तित किया।

मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2015 के दौरान एफ.आर.पी. को पुनः बढ़ाया तथा कंपनी द्वारा देय के बकाया कर्ज एवं ब्याज की राशि ₹ 3,384.98²⁰ करोड़ को 31 मार्च 2017 तक के तीन वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित सतत कर्ज में परिवर्तित किया।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- मध्य प्रदेश शासन ने कंपनी को 31 मार्च 2014 (यथा एफ.आर.पी. की विस्तारित अवधि) के पश्चात् विभिन्न कर्जों के रूप में ₹ 4,183.54²¹ करोड़ का कर्ज वितरित किया था, जो कि मध्य प्रदेश शासन को पुनर्भुगतान किए जाने थे, किंतु कंपनी ने मार्च 2018 तक मध्य प्रदेश शासन को किसी भी राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया था। तथापि, 2017-18 के दौरान, उदय के अंतर्गत ₹ 1,582.37 करोड़ के कर्ज को इक्विटी/अनुदान में परिवर्तित किया था। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2014 से मार्च 2018 के दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर ₹ 2,601.17 करोड़ की कर्ज की राशि कंपनी से बिना वसूली के पड़ी हुई थी।
- इसके अतिरिक्त, विस्तारित एफ.आर.पी. (मार्च 2015) के अनुसार ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि मार्च 2017 तक थी तथा बकाया कर्ज

¹⁹ इसमें ₹ 2,911.69 करोड़ कर्ज के एवं ₹ 403.51 ब्याज के सम्मिलित है।

²⁰ इसमें ₹ 2,957.10 करोड़ कर्ज के एवं ₹ 427.88 ब्याज के सम्मिलित है।

²¹ ₹ 2,957.10 करोड़ की कर्ज में वृद्धि को छोड़कर एवं ₹ 427.88 करोड़ के ब्याज को शामिल कर यह स्थायी ऋण में परिवर्तित हुआ।

पर ब्याज अप्रैल 2017 एवं उसके पश्चात से देय थी किंतु कंपनी ने 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन को कर्ज पर ब्याज की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, मार्च 2018 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के सतत कर्ज पर ब्याज के ₹ 834.63 करोड़ की राशि अदत्त पड़ी रही। इसके अलावा, मार्च 2018 की स्थिति में राशि ₹ 728.46²² करोड़ का ब्याज भी अदत्त पड़ा हुआ था।

- मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम से लिए गए विभिन्न कर्जों के लिए भी प्रत्याभूति प्रदान की थी। इन प्रत्याभूतियों के लिए मध्य प्रदेश शासन कम्पनी से प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी था, किंतु कंपनी ने मध्य प्रदेश शासन को किसी भी प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, कंपनी से प्रत्याभूति शुल्क की राशि ₹ 95.45²³ करोड़ बिना वसूली के पड़ी हुई थी।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि कंपनी से बिना वसूली के पड़ी हुई राशि ₹ 2,601.17 करोड़ को सतत कर्ज में परिवर्तित कर दिया गया था। ब्याज के भुगतान न करने के संबंध में, ऊर्जा विभाग ने नई एफ.आर.पी. के अंतर्गत अधिस्थगन प्रस्तावित किया, जो कि विचाराधीन था।

1.4.5 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2018 तक प्रारम्भ की गई 197 सार्वजनिक निजी भागेदारी परियोजनाओं (लागत: ₹ 23,643.69 करोड़) में से, ₹ 9,713.56 करोड़ लागत की 101 परियोजनाओं (51.27 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 8,096.33 करोड़ लागत वाली 42 परियोजनाओं (21.32 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 5,833.80 करोड़ लागत वाली 54 परियोजनाएं (27.41 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। विवरण **परिशिष्ट 1.7** में दिया गया है।

1.4.6 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.32 2017-18 के दौरान रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों में से राज्य शासन द्वारा किए गए निवेशों का चित्रण करती है।

तालिका 1.32: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 52.99	(-) 693.65
पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	--	--
कुल	(-) 52.99	(-) 693.65
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	10,628.22	7,412.19
कुल (अ)	10,575.23	6,718.54
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	1.18	(-) 0.23

²² 1. एस.एस.टी.डी./टी.एस.पी./एस.सी.एस.पी. कर्ज के ₹ 131.39 करोड़, 2. आई.पी.डी.एस. कर्ज के ₹ 2.32 करोड़, 3. ए. डी.बी. कर्ज के ₹ 164.97 करोड़, 4. कार्यशील पूंजी कर्ज के ₹ 429.78 करोड़

²³ 1. 2015-16 तक के ₹ 73.97 करोड़, 2. 2016-17 के लिये ₹ 18.48 करोड़, 3. 2017-18 के लिए तीन करोड़

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
स्थायी पेशगी	0.83	0.83
उद्दिष्ट निधि से निवेश	416.42	416.42
कुल (ब)	418.43	417.02
महायोग (अ)+(ब)	10,993.66	7,135.56

(स्रोत: 2016-17 एवं 2017-18 के वित्त लेखे)

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को नवीन उधारी लेने से पहले अपने मौजूदा वृहद् नकदी शेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

31 मार्च 2017 को निवेश लेखे में रोकड़ शेष ₹ 10,628 करोड़ था जो 31 मार्च 2018 तक घटकर ₹ 7,412 करोड़ हो गया। 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹ 10,628 करोड़ और ₹ 7,412 करोड़ का रोकड़ शेष होने के बावजूद राज्य सरकार ने इन वर्षों में क्रमशः ₹ 16,100 करोड़ और ₹ 15,000 करोड़ की बाजार उधारी ली।

अनुशंसा: राज्य शासन को (i) इस बात की जांच करनी चाहिए कि ब्याज की ऊंची दरों पर धनराशि उधार लेना आवश्यक है या नहीं, जब उनके साथ उपलब्ध बड़ी रोकड़ शेष ब्याज की कम दरें अर्जित करें (ii) आवश्यकता आधारित उधार की नीति को अपनाएं और न्यूनतम रोकड़ शेष संतुलन बनाए रखें।

1.5 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.5.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना

यद्यपि विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखांकन प्रस्तुत नहीं करती है, तथापि सरकारी लेखे वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2017 को समतुल्य स्थिति की तुलना करते हुए 31 मार्च 2018 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार **परिशिष्ट 1.8** प्रस्तुत करता है। जबकि देयताओं के अंतर्गत मुख्यतः आंतरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ निहित होती हैं, परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय एवं राज्य शासन द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित होते हैं।

1.5.2 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

राज्य शासन के लेखों में 10 आरक्षित निधियां हैं जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हैं। विवरण **परिशिष्ट 1.9** में दिया गया है एवं **तालिका 1.33** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.33: 2015-18 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ लाख में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2015 को प्रारम्भिक शेष	2015-18 के दौरान प्राप्तियाँ	2015-18 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
सब्याज आरक्षित निधियाँ							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	00	10,246.44	5,81,089.00	5,14,289.00	10,246.44 ²⁴
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ							
1	8223-सूखा राहत निधि	01	00	585.07	13.08	00	598.15
2	8226-मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	00	01	463.58	00	00	463.58
3	8228- राजस्व आरक्षित निधि	01	00	2,289.10	120.17	00	2,409.27
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	03	01	5,85,964.44	2,85,305.26	3,33,858.12	5,37,411.58
5	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	01	01	2.21	1420.72	1420.72	2.21
कुल		07	03	5,99,550.84	8,67,948.23	8,49,567.84	5,51,131.23²⁴
या ₹ 5,511.31 करोड़							

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2015-18 के दौरान ₹ 5.04 करोड़ वाली तीन²⁵ आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं की गई थीं। तीन²⁶ अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था, किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, कम से कम विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

मुख्य शीर्ष 8223-102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को दर्शित ऋणात्मक निवेश ₹ 5.34 लाख शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह पुस्तकीय त्रुटि है और इसे शेष को बट्टे खाते में डाला जाना प्रक्रियाधीन है।

आरक्षित निधि 8229-विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत पड़े हुए ₹ 5,374 करोड़ में से केवल ₹ 0.07 करोड़ 31 मार्च 2018 के अंत में निवेश किए गए थे।

उपर्युक्त के तारतम्य में यह बताया जाना है कि आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण समेकित निधि के अंतर्गत उपयुक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये केवल वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करती है यदि यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। चूंकि निवेश इत्यादि के माध्यम से कोई वास्तविक रोकड़ वहिर्प्रवाह नहीं था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित निधि के सापेक्ष बिना किसी निवेश के इन लेन-देनों का चित्रण मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि थी। उसका एकमात्र प्रभाव तब होगा जब इसका उपयोग आरक्षित निधियों में अंतरण के वर्षों में राजकोषीय घाटे की अतियुक्ति एवं राजस्व अधिशेष की न्यूनोक्ति के द्वारा भविष्य के वर्षों में कोई अनुचित हितकारी राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे की स्थिति को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक जमा को प्रभावित किए बिना आरक्षित निधियों में लेन-देनों को मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि

²⁴ प्रोफार्मा सुधार के कारण अन्त शेष ₹ 66,800 लाख कम हो गया

²⁵ 1. 8226-102, सरकारी गैर वाणिज्यिक विभागों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि, 2. 8229-103-कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ, 3. 8235-200- अन्य निधियाँ

²⁶ 1. राजस्व आरक्षित निधियाँ, 2. कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियाँ, 3. अन्य निधियाँ

के रूप में मानना आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

तथापि इन शेषों का वर्षों तक बकाया पड़े रहना राज्य की वृहद् देयता को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

1.5.2.1 समस्त कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है।

तथापि राज्य शासन ने, पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड से भिन्न समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य शासन ने 2017-18 में ₹ 779 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,55,800.12 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)। इससे ₹ 779 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि निक्षेप निधि की स्थापना का निर्णय प्रतीक्षित था।

अनुशंसा: राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करे।

1.5.2.2 आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार ग्रहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, द्वारा चूक होने की स्थिति में आवश्यक होती है। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य शासकीय प्रत्याभूति नियम 2009 (यथा संशोधित) अधिसूचित किया है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। 2017-18 के दौरान वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूतियां एवं कुल बकाया प्रत्याभूतियां, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम²⁷ के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अंदर थीं।

वित्त लेखे के विवरण पत्रक 9 में दर्ज अनुसार राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियों और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 1.34** में दी गई हैं।

²⁷ 2016-17 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,23,307 करोड़) का 80 प्रतिशत: ₹ 98,646 करोड़, 2017-18 हेतु वार्षिक संवृद्धि प्रत्याभूतियां: ₹ 14,003 करोड़

तालिका 1.34: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	40,171	40,395	31,653
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,511	1,23,307	1,34,875
वर्ष के अंत में प्रत्याभूतियों की बकाया राशि (ब्याज सहित)	27,530	33,397	14,003
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	38.07	32.76	23.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक विद्युत क्षेत्र की छह²⁸ इकाईयां (₹ 9,533 करोड़), सहकारी क्षेत्र का एक²⁹ संस्थान (₹ 5,851 करोड़), शहरी विकास एवं आवास के छह³⁰ संस्थान (₹ 4,171 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच³¹ संस्थान (₹ 10,798 करोड़) एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम (₹ 1,300 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी पर प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्य राशि ₹ 76.19 करोड़ में से ₹ 25.96 करोड़ (34.07 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। तथापि, दो संस्थानों ने प्रत्याभूति शुल्क का आवश्यकता से अधिक भुगतान किया। शेष नौ संस्थानों, जिन पर ₹ 4,178.10 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी, ने निर्धारित³² प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण तालिका 1.35 में दिया गया है।

²⁸ 1. मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादक कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 2. मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 3. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 4. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, 5. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, 6. मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

²⁹ 1. क्रेडिट सहकारिता

³⁰ 1. नगर निगम, 2. नगर पालिका, 3. नगर पंचायत, 4. राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, 5. नगर परिषद, 6. मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

³¹ 1. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 2. मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, 3. मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, 4. लोक निर्माण विभाग, 5. उच्च शिक्षा

³² एक वर्ष के लिये प्रत्याभूति— एक प्रतिशत, एक वर्ष से अधिक तीन वर्ष तक — 2.5 प्रतिशत, तीन वर्ष से अधिक पाँच वर्ष तक — चार प्रतिशत, पाँच वर्ष से अधिक दस वर्ष तक— 7.5 प्रतिशत एवं 10 वर्ष से अधिक — 10 प्रतिशत

तालिका 1.35: 2017–18 के दौरान प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण
(₹ करोड़ में)

स.क्र.	संस्थान का नाम	प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क	प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क
1	मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	0.10	18.46
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	36.48	--
3	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	3.00	--
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	23.05	--
5	मध्य प्रदेश वित्त निगम	2.50	--
6	नगर निगम	1.47	--
7	नगर पालिका	0.94	--
8	राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण	0.04	7.50
9	नगर परिषद	0.31	--
10	मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	8.08	--
11	मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	0.22	--
योग		76.19	25.96

(स्रोत: वित्त लेखे 2017–18)

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभागों/संस्थाओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान पूर्व प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी एवं राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण के प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।

मध्य प्रदेश वित्त निगम (निगम) द्वारा प्रत्याभूति शुल्क ₹ 76.25 करोड़ अदा न किया जाना

निगम के अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि अवधि 2009–10 से 2016–17 के दौरान निगम ने ₹ 1,050 करोड़ की राशि सिडबी, हुडको एवं वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थानों से मध्य प्रदेश शासन की प्रत्याभूति पर बॉण्ड एवं ऋण के द्वारा जुटाई। प्रत्याभूति की अवधि 10 वर्ष थी एवं निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन को 7.50 प्रतिशत की दर से ₹ 78.75 करोड़ (₹ 1,050 करोड़ का 7.50 प्रतिशत) की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था।

2012–13 से 2014–15 की अवधि के दौरान, निगम ने मध्यप्रदेश शासन को ₹ 2.50 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया परंतु बाद के वर्ष से इसे बंद कर दिया। निगम ने प्रत्याभूति शुल्क माफ करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के साथ पत्राचार शुरू किया, हालांकि निगम के अनुरोध संबंधी मध्य प्रदेश शासन का निर्णय निगम के अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप निगम ने मध्यप्रदेश शासन को ₹ 76.25 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

निगम ने जवाब (जून 2019) दिया कि मध्यप्रदेश शासन प्रत्याभूति शुल्क के माफी के प्रस्ताव पर सहमत नहीं था और नियमानुसार प्रत्याभूति शुल्क को अदा करने का निश्चय किया। निगम अब मामले को निदेशक मंडल के समक्ष रखेगा एवं मण्डल के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करेगा।

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य शासन द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना अपेक्षित है। पूर्व वर्ष की स्थिति में, ₹ 74.24 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में प्राप्त हुआ एवं राज्य सरकार द्वारा ₹ 74.24 करोड़ का समरूप अंशदान किया जाना था। इस प्रकार 2017–18 में राज्य शासन द्वारा ₹ 148.48 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में किया जाना था परंतु राज्य शासन द्वारा कोई भी अंशदान निधि में नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 148.48 करोड़ का कम अंशदान हुआ। इसके कारण ₹ 148.48 करोड़ से राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटा को कम कर बताया गया। ₹ 14,002.99 करोड़ की बकाया प्रतिभूतियों के सापेक्ष निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 408.79 करोड़ का शेष था जो कि केंद्र सरकार की दिनांकित सिक्क्योरिटी में निवेशित की गई।

अनुशंसा: राज्य शासन को योजना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में अंशदान करना चाहिए।

1.6 ऋण प्रबंधन

1.6.1 ऋण रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता³³ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण³⁴, ऋणोत्तर प्राप्ति³⁵ की पर्याप्तता³⁵, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता³⁶, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्ति³⁵ की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.6.2 लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि

2013–18 के दौरान लोक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि का विस्तृत विवरण तालिका 1.36 में दिया गया है।

³³ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है। यह अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

³⁴ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो।

³⁵ संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति³⁵ की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति³⁵ से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।

³⁶ कुल ऋण प्राप्ति³⁵ की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियों) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्ति³⁵ ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

तालिका 1.36: लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधि
(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियाँ	23,701	35,552	49,524	64,106	52,579
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	23,132	30,759	39,157	44,528	45,551
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निवल निधियाँ *	569	4,793	10,367	19,578	7,028
उपलब्ध निवल निधियाँ (प्रतिशत में)	2.40	13.48	20.93	30.54	13.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

*लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के कारण उपलब्ध निधियाँ = लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के तहत कुल प्राप्तियाँ – (लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं का पुनर्भुगतान + मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज भुगतान)

जैसा कि तालिका 1.36 से देखा जा सकता है कि ऋण एवं ब्याज चुकाने के बाद निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान 2.40 प्रतिशत से 30.54 प्रतिशत के बीच रहा एवं विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन छोड़ दिया गया।

1.6.3 ऋण संधारणीयता

ऋण संधारणीयता भविष्य में अपने ऋण की सेवा के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करता है। तालिका 1.37 2013–14 से शुरू होकर पाँच वर्ष की अवधि के लिए ऋण संधारणीयता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.37: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण-संधारणीयता के संकेतक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 ³⁷	2017-18
लोक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों के कारण उपलब्ध निवल निधि	569	4,793	10,367	19,578	7,028
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियों का अनुपात) (प्रतिशत में)	8.44	7.98	7.67	7.36	8.19
राजस्व प्राप्तियाँ	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
बकाया ऋण (राजकोषीय देनदारियाँ)	96,826	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363
बकाया ऋण की वृद्धि दर (राजकोषीय दायित्व) (प्रतिशत में)	7.38	12.25	16.98	22.54	10.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.37	9.25	10.48	20.51	10.61
बकाया ऋण (राजकोषीय देनदारियाँ) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.03	22.64	23.97	24.37	24.38
ब्याज भुगतान	6,391	7,071	8,091	9,079	11,045
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.84	6.88	6.86	6.42	6.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

³⁷ उदय के प्रभाव को जोड़कर

1.6.4 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों³⁸ एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के 75 प्रतिशत ऋण को पाँच³⁹ वर्षों में ले लेगी। 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों का कुल ऋण ₹ 34,739 करोड़ था एवं इसका 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 26,055 करोड़ इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए जाने हेतु सहमति दी गई थी। 2016-17 और 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए गए मध्य प्रदेश डिस्कॉम के ऋण का विवरण तालिका 1.38 दिया गया है।

तालिका 1.38: 2016-18 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिये जाने वाले मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	समझौता ज्ञापन के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि		विद्युत वितरण कम्पनियों को वास्तविक रूप से हस्तांतरित की गई राशि	
	अनुदान के रूप में	इक्विटी के रूप में	अनुदान के रूप में	इक्विटी के रूप में
2016-17	-	7,568	4,011	3,557
2017-18	4,622	-	611	4,011
योग	4,622	7,568	4,622	7,568

(स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के मध्य समझौता ज्ञापन एवं संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 1.38 से देखा जा सकता है मध्य प्रदेश शासन ने अब तक समझौता ज्ञापन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

³⁸ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

³⁹ 1. 2016-17 के दौरान ₹ 7,568 करोड़, 2. 2017-18 के दौरान ₹ 4,622 करोड़, 3. 2018-19 के दौरान ₹ 4,622 करोड़, 4. 2019-20 के दौरान ₹ 4,622 करोड़, 5. 2020-21 के दौरान ₹ 4,621 करोड़

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा के सम्पादन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये बजट में प्राधिकृत थीं एवं संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत होने वाला व्यय उस पर भारत था तथा विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए व्यय की गयी है।

2.1 विनियोग लेखे का सारांश

2017-18 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति
(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+) (प्रतिशत कोष्ठक में कॉल. 4/2)	समर्पित राशि (प्रतिशत कोष्ठक में कॉल. 5/4)	31 मार्च 2018 को समर्पित राशि (प्रतिशत कोष्ठक में कॉल. 6/5)	
1	2	3	4	5	6	
दत्तमत	I-राजस्व	1,39,818.81	1,20,096.13	(-)19,722.68 (14.11)	10,437.30 (52.92)	7,924.02 (75.92)
	II-पूँजीगत	39,495.34	32,537.34	(-)6,958.00 (17.62)	4,618.96 (66.38)	4,591.64 (99.41)
	III-ऋण एवं अग्रिम	4,135.15	1,550.20	(-)2,584.95 (62.51)	0.10 (0.0039)	0.10 (100)
योग दत्तमत	1,83,449.30	1,54,183.67	(-)29,265.63 (15.95)	15,056.36 (51.45)	12,515.76 (83.13)	
प्रभारित	IV-राजस्व	13,412.53	12,121.40	(-)1,291.13 (9.63)	61.50 (4.76)	61.49 (99.98)
	V-पूँजीगत	61.45	50.96	(-)10.49 (17.07)	10.34 (98.57)	10.00 (96.71)
	VI-लोक ऋण-पुनर्भुगतान	9,546.27	5,776.38	(-)3,769.89 (39.49)	6.09 (0.16)	6.09 (100)
योग प्रभारित	23,020.25	17,948.74	(-)5,071.51 (22.03)	77.93 (1.54)	77.58 (99.55)	
महायोग	2,06,469.55	1,72,132.41	(-)34,337.14 (16.63)	15,134.29 (44.08)	12,593.34 (83.21)	

नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 1,852.03 करोड़), भारित राजस्व व्यय (₹ 119.41 करोड़) और दत्तमत पूँजीगत व्यय (₹ 1,675.09 करोड़) के अंतर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2017-18)

तथ्य यह है कि बचतों को अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्विनियोग हेतु वित्त विभाग को उपलब्ध कराये बिना बचतों का 16.63 प्रतिशत (राशि ₹ 34,337.14 करोड़) वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया अथवा वित्त वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि वित्त विभाग ने बहुत कम वित्तीय नियंत्रण का उपयोग किया।

आगे, यह भी देखा गया कि वेतन/स्थापना खर्चों⁴⁰ में कटौती के बाद कुल बजट ₹ 1,79,985.30 करोड़ था, जिसमें से बचत ₹ 30,877.47 करोड़ थी। वस्तुतः, वित्त विभाग ने विकासात्मक व्यय/परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए बजट में निश्चित की गई राशि का उपयोग करने में बजटीय नियंत्रण की अनदेखी की।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुवीक्षण करना चाहिए ताकि निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा समर्पण हेतु अंतिम क्षण की प्रतीक्षा किए बिना एवं आवंटनों के व्यपगत हुए बिना तुरंत समर्पण किया जाए।

2.2 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.2.1 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने 2003-17 की अवधि से सम्बंधित 16 अनुदानों एवं 15 विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹ 660.67 करोड़ का नियमन नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि लोक लेखा समिति की अनुशंसा अनुसार आधिक्य व्यय के नियमितीकरण का कार्य किया जा रहा था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेष वर्षों के आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा द्वारा शीघ्रतिशीघ्र नियमित किए जायें एवं बजट से अधिक व्यय करने वाले नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाये।

2.2.2 बचतें

50 प्रकरणों में जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है। 21 अनुदानों/विनियोगों से सम्बंधित 24 प्रकरणों में ₹ 20,190.63 करोड़ की बचत हुई जहां प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी, जिनका विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

चार अनुदानों/विनियोग के अंतर्गत लेखा शीर्ष राजस्व दत्तमत के अंतर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें अनुदान संख्या 6-वित्त, 13-किसान कल्याण एवं कृषि विकास, 47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय तथा लेखा शीर्ष राजस्व प्रभारित के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत एक विनियोग 25-खनिज साधन में हुई।

इसी प्रकार, लेखा शीर्ष पूंजीगत दत्तमत के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें छः अनुदानों/विनियोग के अंतर्गत अनुदान संख्या 6-वित्त, 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, 22-नगरीय विकास एवं पर्यावरण, 27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा), 30-ग्रामीण विकास, 33-आदिम जाति कल्याण तथा लेखा शीर्ष पूंजीगत प्रभारित के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत एक विनियोग-लोक ऋण में हुई।

उक्त वर्णित अनुदानों में से दो अनुदानों एवं एक विनियोग के तीन प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2016-17 के दौरान भी बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक) हुईं, जिसका विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

⁴⁰ उद्देश्य शीर्ष 11- वेतन, 16-अखिल भारतीय सेवाओं के वेतन भत्ते, 17-मंत्रियों के लिए वेतन एवं भत्ते, 18-राज्यपाल, उच्च न्यायालयों, न्यायालयों, लोकायुक्त, अधिकरण, राज्य निर्वाचन एवं सूचना आयोग इत्यादि के लिए वेतन एवं भत्ते।

तालिका 2.2: बचत दर्शाने वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचतें (₹ 500 करोड़ से अधिक)	
			2016-17	2017-18
1	पी.डी.	लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)	4,180.22 (45.91)	3,769.89 (39.49)
2	6	वित्त (राजस्व दत्तमत)	2,352.81 (20.81)	3,115.23 (24.76)
3	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	1,113.97 (26.77)	3,199.77 (38.17)

(स्रोत: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के विनियोग लेखे)

नोट: कोषक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित) के अंतर्गत 39 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक लगातार बचतें दो योजनाओं⁴¹ में राशि ₹ 4,000 करोड़ का 100 प्रतिशत उपयोग न होने के कारण हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधानों का उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए एवं भविष्य के वर्षों में अधिक औचित्यपूर्ण प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

2.2.3 सतत बचतें

यह संज्ञान में आया कि 16 अनुदानों एवं तीन विनियोगों के अन्तर्गत 19 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों के दौरान सतत बचतें (₹ एक करोड़ और अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक) ₹ 1.49 करोड़ एवं ₹ 4,256.48 करोड़ के मध्य थी, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

2.2.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

75 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान कुल ₹ 8,408.46 करोड़ अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है।

2.2.5 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2017-18 के दौरान, 24 प्रकरणों में राशि ₹ 899.06 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए जैसा कि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुआ था जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 29 प्रकरणों में राशि ₹ 19,965.29 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) ₹ 8,346.82 करोड़ की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 11,618.47 करोड़ अत्यधिक सिद्ध हुए जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

2.2.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

25 अनुदानों के 77 उप-शीर्षों में, जहाँ पुनर्विनियोग प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक था, वहाँ ₹ 905.57 करोड़ की बचतें एवं ₹ 597.08 करोड़ का आधिक्य वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग दर्शाता है (**परिशिष्ट 2.8**)।

⁴¹ 1. उपाय तथा साधन अग्रिम (₹ 2,000 करोड़), 2. कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम (₹ 2,000 करोड़)

2.2.7 सारभूत समर्पण

वर्ष 2017-18 के दौरान, 123 उप-शीर्षों में सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) राशि ₹ 3,053.36 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 3,969.53 करोड़ का 77 प्रतिशत) किया गया, जिसमें 22 योजनाओं/कार्यक्रमों (₹ 448.20 करोड़) का 100 प्रतिशत समर्पण सम्मिलित है। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है। इस प्रकार सारभूत धनराशियों के समर्पण से दर्शित हुआ कि या तो बजट बनाने में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गम्भीर चूक हुई।

2.2.8 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

वर्ष 2017-18 के दौरान, चार अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 लाख या अधिक) में ₹ 303.86 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 310.47 करोड़ धनराशि का समर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 6.61 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक समर्पण से दर्शित हुआ कि विभागों ने मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर निगरानी द्वारा पर्याप्त बजटीय नियंत्रण नहीं रखा।

2.2.9 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

अनुदानों/विनियोगों के 33 प्रकरणों में यद्यपि ₹ 4,098.35 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) की बचतें हुई, लेकिन व्ययी विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 94 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत ₹ 33,569.51 करोड़ में से कुल धनराशि ₹ 19,198.64 करोड़ (57 प्रतिशत) समर्पित नहीं की गयी (**परिशिष्ट 2.12**), जो कुल बचत ₹ 34,337.14 करोड़ का 56 प्रतिशत थी। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं परिणामी निधियों का अवरोधन दर्शाता है।

2.2.9.1 महालेखाकार द्वारा स्वीकृत न किये गये समर्पण आदेश

राज्य शासन के अनुदेशों (फरवरी 2012) के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, (ii) योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए, (iii) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग स्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि ₹ 19,202.85 करोड़ के समर्पित न किए गए प्रावधान में 74 समर्पण के लिए स्वीकृतियां सम्मिलित थीं जिन्हें 44 अनुदानों/विनियोगों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था जो कि राज्य शासन के अनुदेशों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 5,571.93 करोड़ के समर्पण मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृतियाँ जारी होने तथा महालेखाकार कार्यालय में स्वीकृतियाँ विलम्ब अर्थात् लेखे बन्द हो जाने एवं अंतिम रूप दिये जाने के बाद प्राप्त होने के कारण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किये जा सके (विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है)।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के स्वीकृति आदेश सामयिक, पूर्ण एवं दिशानिर्देशों के अनुसार वैध हों।

2.2.10 व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई.जी.ए.एस-2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति की सामग्री मूल परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यद्यपि, वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये लघु निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹ 79.05 करोड़ को राजस्व शीर्ष के स्थान पर विभिन्न पूंजीगत शीर्षों में दर्ज किया गया। सहायता अनुदानों पर व्यय धनराशि ₹ 232.77 करोड़ तथा अन्य व्यय राशि ₹ 636.72 करोड़ (कुल ₹ 948.54 करोड़) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाना चाहिए। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 319.10 करोड़ एवं ₹ 13.68 करोड़ (कुल ₹ 332.78 करोड़) क्रमशः 'मशीनरी' एवं 'मुख्य निर्माण कार्य' (Major works) राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया, जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट तैयार करते समय सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.2.11 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

यह संज्ञान मे आया कि मार्च 2018 के दौरान 10 अनुदानों/विनियोगों के 13 प्रकरणों⁴² में ₹ 2,948.76 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.16** में दिया गया है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया था कि मार्च 2018 में राशि ₹ 1,027.95 करोड़ आहरित कर व्यक्तिगत जमा खातों में स्थानांतरित की गयी। इससे यह पता लगाया जाना संभव नहीं है, कि वास्तव में व्यय उस उद्देश्य पर किया गया, जिस हेतु निर्दिष्ट था। राज्य सरकार व्यक्तिगत जमा खातों के शेषों की समग्र रूप से समीक्षा करें। प्रतिवेदन में व्यक्तिगत जमा खातों पर विस्तृत कंडिका, **कंडिकाएं 3.2.1, 3.2.2 एवं 3.2.3** पर है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को व्यय के स्वरूप की समीक्षा करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अत्यधिकता से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

2.2.12 निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

2017-18 के दौरान, 31 मार्च 2018 को धनराशि ₹ 93.72 करोड़ आहरित की गयी थी एवं लेखे में संबंधित केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443-सिविल

⁴² जहां अंतिम तिमाही में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ।

जमा-800-अन्य जमा में अंतरित की गयी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग ने बताया कि सिविल जमा में निधियों को रखना हतोत्साहित किया गया था। समेकित निधि से लोक लेखे में अंतरण केवल अपवादात्मक प्रकरणों में किया गया था तथा विशेष प्रकरणों पर गौर किया जाएगा।

2.3 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान पूर्ण होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में दर्शायी गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती हैं।

हमने बजटीय प्रक्रिया एवं अनुदान संख्या 53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (जुलाई-अगस्त 2018) की।

2.3.1 सारांशीकृत स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या 53 के अंतर्गत बजट की राशि, किये गये व्यय एवं बचतों के विवरण **तालिका 2.3** में सारांशीकृत हैं।

तालिका 2.3: 2017-18 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	बजट नियंत्रण अधिकारी को आवंटित वास्तविक बजट	व्यय		बचत	
					बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	24,968.71	6,436.69	31,405.40	31,216.48	28,795.53	28,792.44	2,420.95	2,612.96
पूंजीगत (दत्तमत)	221.50	—	221.50	221.50	138.43	7.02	83.07	214.48
कुल	25,190.21	6,436.69	31,626.90	31,437.98	28,933.96	28,799.46	2,504.02	2,827.44

(स्रोत: बी.सी.ओ. से प्राप्त जानकारी एवं विनियोग लेखे वर्ष 2017-18)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, अनुभाग राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत विधानसभा द्वारा अनुमोदित बजट ₹ 31,405.40 करोड़ था तथा वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों (बी.सी.ओ.) को आवंटित वास्तविक बजट ₹ 31,216.48 करोड़ था। इस प्रकार, बी.सी.ओ. को राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत विधानसभा द्वारा अनुमोदित वास्तविक बजट से ₹ 188.92 करोड़ कम जारी किये गये थे।

आगे, अनुभाग राजस्व (दत्तमत) एवं पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत बी.सी.ओ. द्वारा सूचित किया गया व्यय, विनियोग लेखे में दर्शित व्यय की तुलना में क्रमशः ₹ 3.09 करोड़ एवं ₹ 131.41 करोड़ अधिक था, जो बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण एवं संवितरण

अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा महालेखाकार के लेखों के साथ नियमित मिलान के प्रति उत्तरदायित्वों में कमी दर्शाता है।

2.3.2 सारभूत बचतें

हमने देखा कि 2017-18 के दौरान 30 योजनाओं में ₹ 2,193.25 करोड़ की सारभूत बचतें जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत 10 करोड़ या अधिक थी, जो कुल अनुदान/विनियोग के पांच से 100 प्रतिशत तक थी। विवरण **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

आगे, बजट आवंटन के विरुद्ध हुए व्यय के संबंध में बी.सी.ओ. की निगरानी से संबंधित अभिलेख यथा मध्य प्रदेश बजट नियमावली (एम.पी.बी.एम) खंड-1 के अनुसार बी.सी.ओ. स्तर पर पंजियों के रूप में अभिलेख नहीं पाये गये/संधारित नहीं थे। तथापि, बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बताया कि डी.डी.ओ. से बजट की मांग के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त किये गये थे तथा योजनाओं में बचत से बचने के लिए प्रभारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और इस संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे।

तथ्य यह है कि बी.सी.ओ. स्तर पर योजनाओं के अंतर्गत बजट की मांग एवं व्यय की निगरानी अकुशलतापूर्वक की गयी, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें थीं।

2.3.3 विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान

छः प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया गया कुल ₹ 72.20 करोड़ का सम्पूर्ण बजट आवंटन अप्रयुक्त रहा। 2017-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: 2017-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	कुल बजट आवंटन	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2501-02-7466-0703-V-42-009 (नीरांचल परियोजना)	3.15	0	3.15	100
2	2216-03-198-5131-0102-V-42-009 (मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना)	14.40	0	14.40	100
3	2216-03-198-5131-0103-V-42-009 (मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना)	15.87	0	15.87	100
4	2515-00-198-0647-0701-V-42-007 (ग्राम स्वराज अभियान)	18.67	0	18.67	100
5	2515-00-198-0647-0702-V-42-009 (ग्राम स्वराज अभियान)	11.49	0	11.49	100
6	2515-00-198-0647-0703-V-42-009 (ग्राम स्वराज अभियान)	8.62	0	8.62	100
योग		72.20		72.20	

(स्रोत: संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

यह इंगित किए जाने पर, बी.सी.ओ. (विकास आयुक्त एवं संचालनालय, पंचायती राज) ने बताया कि केंद्रांश की समान गैर-प्राप्ति, योजनांतर्गत जिलों को लक्ष्य के गैर-आवंटन, कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अनुदान जारी करने तथा इसके विरुद्ध कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय न किए जाने के कारण, इन योजनाओं के अंतर्गत बचतें थीं, जिन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में समर्पण कर दिया गया था।

तथ्य यह है कि योजनाओं की राशि प्राप्त नहीं हुई थी एवं बचतें समय-सीमा के भीतर यथा 15 जनवरी से पहले समर्पित नहीं की गई थीं, जैसा कि बजट नियमावली में निर्दिष्ट है।

2.3.4 व्यक्तिगत जमा खाते में निधियों का रखा जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता का नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का सहायक नियम 284 यह प्रावधान करता है कि बिना तत्काल आवश्यकता के राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः निषिद्ध है। वित्त विभाग ने पंचायतों को ई-भुगतान के माध्यम से निधियों के अंतरण के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत जमा खाते में निधियाँ जमा करने की अनुमति (मार्च 2015) प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न योजनाओं की ₹ 538.56 करोड़ की राशि 28 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2018 को आहरित की गई तथा व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई, जैसा की परिशिष्ट 2.19 में विवरण दिया गया है।

संयुक्त निदेशक (वित्त), संचालनालय, पंचायती राज ने बताया (नवंबर 2018) कि विभिन्न योजनाओं की आहरित राशि, वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से व्यक्तिगत जमा खाते में रखी की गई थी।

तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में व्यक्तिगत जमा खाते में निधियों के अंतरण से राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष का व्यय और परिणामस्वरूप राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ा।

2.3.5 अनुपूरक/पुनर्विनियोग अनुदान के लिए त्रुटिपूर्ण प्रावधान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) से संबंधित व्यय योजना शीर्ष 2505-01-198-6923 के अंतर्गत लेखांकित किया गया था। 2017-18 के दौरान, इस योजना की ₹ 600 करोड़ की अनुदान राशि को प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम. ए.वाई) में पुनर्विनियोजित (अक्टूबर 2017) किया गया था तथा अनुपूरक अनुदान-II के माध्यम से ₹ 600 करोड़ की राशि एन.आर.ई.जी.एस. को प्रदान की गई थी।

आगे, पी.एम.ए.वाई. में पुनर्विनियोजित एन.आर.ई.जी.एस. का ₹ 600 करोड़ का अनुदान अप्रयुक्त रहा क्योंकि पी.एम.ए.वाई. के अंतर्गत ₹ 758.14 करोड़ की बचत, इसमें पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत ₹ 531.47 करोड़ की वृहद् बचत से परिलक्षित हुआ कि इन दोनों योजनाओं में पुनर्विनियोजन के साथ-साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान आवश्यक नहीं था।

यह इंगित किए जाने पर बी.सी.ओ. ने बताया (जुलाई 2018) कि एन.आर.ई.जी.एस. में पूर्व आवंटन के अनुसार केंद्रीय अनुदान जारी न करने के कारण बचत थी।

बी.सी.ओ. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुनर्विनियोजन की आवश्यकता के लिए व्यय को प्रभावित करने वाले सभी संभावित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

2.3.6 ब्याज के भुगतान के कारण राज्य की समेकित निधि पर अतिरिक्त भार

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) के अनुसार, भारत सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत मूल अनुदान (2017-18) के द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 1,17,078.50 लाख स्वीकृत किया था। पत्र के अनुसार, स्वीकृत राशि जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर निर्गमित की जानी चाहिए थी।

तथापि, हमने पाया कि स्वीकृत राशि बी.सी.ओ. द्वारा ग्राम पंचायत को तीन से नौ दिन तक के विलंब से जारी की गयी थी। परिणामस्वरूप, राज्य की समेकित निधि पर जनवरी 2019 में ग्राम पंचायतों को ब्याज का भुगतान करने के कारण ₹ 64.38 लाख का अतिरिक्त भार था।

संयुक्त संचालक (वित्त) संचालनालय पंचायती राज ने बताया (नवंबर 2018) कि राशि जारी करने में विलंब कुछ ग्राम पंचायतों के बैंक खातों का ऑनलाइन भुगतान गेटवे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) के एकीकरण में विलंब के कारण था।

तथ्य यह है कि राज्य के बजट में चौदहवें वित्त आयोग के पूर्व प्रावधान के बावजूद ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान जारी करने में हुए विलम्ब के कारण ब्याज का भुगतान राज्य की समेकित निधि पर एक अतिरिक्त भार था।

2.3.7 निष्पादन अनुदान के विरुद्ध बजट प्रावधान समर्पित नहीं किया जाना

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत ₹ 2,642.40 करोड़ (सामान्य मूल अनुदान ₹ 2,341.57 करोड़, निष्पादन अनुदान ₹ 300.83 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार से निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, संचालनालय, पंचायती राज ने राज्य बजट से चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 300.83 करोड़ आहरित (31 मार्च 2018) किये तथा वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर (31 मार्च 2018) व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किये।

तथ्य यह है कि भारत सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया गया था तथा ₹ 300.83 करोड़ की राशि बजट प्रावधान के विरुद्ध आहरित की गई, जिसे व्यक्तिगत जमा खाते में रखा गया।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी

प्रस्तावना

इस अध्याय में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 सभी भौतिक वेतन प्रमाणकों और ₹ 20,000 तक के आकस्मिक प्रमाणकों को बंद किया जाना

मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर 2015 के द्वारा मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खण्ड-। एवं खण्ड-।। में संशोधन किया गया जिसके अनुसार शासन की ओर से सभी भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से किये जायेंगे। शासन ने सितम्बर 2012 में मध्य प्रदेश कोषालय संहिता में संशोधन कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित नहीं किये जाने वाले प्रमाणकों/उप-प्रमाणकों की सीमा को भी ₹ 1,000 से ₹ 20,000 तक बढ़ा दिया था।

राज्य शासन ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहमति के बिना अक्टूबर 2016 से महालेखाकार को सभी भौतिक वेतन प्रमाणक और ₹ 20,000 तक के आकस्मिक प्रमाणक भेजना जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत आवश्यक है, एकपक्षीय रूप से बंद कर दिया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) इन प्रमाणकों से संबंधित भौतिक देयक कोषालयों को नहीं भेज रहे हैं। कोषालय महालेखाकार को इलेक्ट्रॉनिक देयक अग्रेषित करते हैं, जो डिजिटल रूप से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों या कोषालय अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होते हैं।

भौतिक प्रमाणकों या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्रमाणकों के अभाव में 2017-18 के दौरान वेतन के ₹ 20,596 करोड़ और ₹ 377 करोड़ के आकस्मिक व्यय के संबंध में लेखों की प्रामाणिकता, शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.2 व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रक/बजट के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर विधायी वित्तीय नियंत्रण का प्रावधान है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को व्यय की प्रत्याशित बचतों के विवरण पत्रक 15 जनवरी तक प्रस्तुत करने होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार-बार टिप्पणी की जाती है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत खातों में अंतरित कर दिया जाता है। व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहते हैं, उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए एवं शेषों को शासकीय खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश शासन के 847 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 5,370.06 करोड़ का अंतिम शेष था। वर्ष 2017-18 के दौरान राशि ₹ 19.69 करोड़ के 48 व्यक्तिगत जमा खातों की निवल की वृद्धि हुई थी। आगे, ₹ 3,565.60 करोड़ और ₹ 1,784.77 करोड़ क्रमशः एक से तीन वर्ष और तीन से अधिक वर्षों से अव्ययित पड़े हुए थे।

3.2.1 असंचालित व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते

कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल से जून 2018) में परिलक्षित हुआ कि सात कोषालयों में 43 व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते ₹ 10.79 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित रहे। विवरण नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: मार्च 2018 को अप्रचलित व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों का विवरण (₹ लाख में)

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खातों की संख्या	राशि
1	अलीराजपुर	02	2.83
2	दमोह	03	35.87
3	जबलपुर	06	3.08
4	जबलपुर सिटी	02	106.69
5	खरगौन	15	910.80
6	नरसिंहपुर	10	17.64
7	उमरिया	05	2.19
योग		43	1,079.10

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस ओर इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारियों ने उत्तर दिया कि सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे और मामले में प्रगति से उचित रूप से सूचित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों के शेषों को राजस्व जमा खातों में हस्तांतरित न किये जाने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि असंचालित खातों को बंद करने के लिए विभागों को निर्देश जारी किए गए थे।

3.2.2 शासकीय धन को व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड 1 यह प्रावधान करता है कि जब तक किसी कानून, नियम या कानूनी आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत न किया जाए, वित्त विभाग की अनुमति के बिना संचित निधि तथा लोक लेखा से शासकीय धन निवेश के लिए या कहीं और जमा करने के लिए नहीं निकाले जायेंगे। आगे, वित्त विभाग ने अनुदेश (मार्च 2015) जारी किये कि बैंक खातों में भूमि अधिग्रहण के लिए रखी गई निधियों को आहरित कर व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया जाना चाहिए।

जिलाध्यक्ष, भिण्ड (अगस्त 2017) एवं शहडोल (जुलाई 2016) के अभिलेखों की नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि भू-अर्जन से संबंधित राशि ₹ 2.13 करोड़ एवं ₹ 7.74 करोड़ क्रमशः जिलाध्यक्ष, भिण्ड के भारतीय स्टेट बैंक के बैंक खाते (संख्या 5302088472) एवं जिलाध्यक्ष, शहडोल के नाम से नौ⁴³ बैंक खातों में पड़ी हुई थी।

⁴³ (1) एक्सिस बैंक, शहडोल (सं 916010018290375): ₹ 1.01 करोड़, (2) बैंक ऑफ बड़ौदा, शहडोल (सं 12930100006582): ₹ 0.64 करोड़, (3) सेन्ट्रल बैंक, सोहागपुर, (सं 1486852217): ₹ 0.20 करोड़, (4) सेन्ट्रल बैंक, सोहागपुर, (सं 1486892045): ₹ 0.00* करोड़, (5) सेन्ट्रल बैंक, सोहागपुर, (सं 1486891154): ₹ 0.49 करोड़, (6) केन्द्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (सं 2002041030020900): ₹ 0.52 करोड़, (7) आई.डी.बी.आई. बैंक, (सं 1596110400006934): ₹ 2.75 करोड़, (8) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैतपुर, (सं 2373790011): ₹ 1.21 करोड़, (9) सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक, जयसिंह नगर, (सं 2002071010001055): ₹ 0.92 करोड़,
* ₹ 9,659

इस ओर इंगित किये जाने पर, जिलाध्यक्ष, भिण्ड ने उत्तर दिया कि यह राशि अटेर उप-संभाग के भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी तथा इसे आवश्यकतानुसार वितरित किया जाएगा, जबकि जिलाध्यक्ष, शहडोल ने उत्तर दिया कि सरकार के निर्देशानुसार बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा और भविष्य में धनराशि बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भू-अर्जन से संबंधित राशि बैंक खाते के स्थान पर व्यक्तिगत जमा खातों में जमा की जानी चाहिए थी। इससे सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग और कपट का जोखिम रहता है। यह वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के भी विपरीत था।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (नवम्बर 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित (जून 2019) था।

3.2.3 व्यक्तिगत जमा खातों के कोषालय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों का मिलान न होना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खण्ड I का सहायक नियम 590 प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता धारक को महालेखाकार को एक वार्षिक शेष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई अंतर हो तो उसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए।

कोषालय, इंदौर के निरीक्षण के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम मध्य प्रदेश के कोषालय निरीक्षण दल ने पाया कि महालेखाकार (₹ 172.68 करोड़) एवं कोषालय (₹ 7.61 करोड़) के मध्य व्यक्तिगत जमा खातों के शेष में ₹ 165.07 करोड़ के अन्तर का मिलान नहीं हुआ। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

इस ओर इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारी, इन्दौर ने उत्तर दिया कि कम्प्यूटरीकरण (2005) के समय प्रारम्भिक शेष की गलत प्रविष्टि के कारण शेष का मिलान नहीं हुआ था तथा मिलान की प्रक्रिया प्रगति में है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक द्वारा आवधिक रूप से अन्तरों का मिलान नहीं किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन के विरुद्ध था।

व्यक्तिगत जमा खातों में आवधिक रूप से शेष राशि का मिलान न होना और वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समेकित निधि में व्यक्तिगत जमा खातों में रखे अव्ययित शेष को हस्तांतरित नहीं करना लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के जोखिम को बढ़ाता है।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि आयुक्त, कोषालय एवं लेखा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित किया जाता है तथा वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

3.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मध्य प्रदेश शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। अधिनियम के अनुसार, मण्डल को कर्मकारों की कार्य स्थितियाँ सुधारने एवं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माण की लागत का एक प्रतिशत की दर से एकत्रित उपकर प्राप्त करने की पात्रता है।

3.3.1 उपकर का लेखांकन

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करने थे। लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुआ कि मण्डल के लेखे 2013-14 से तैयार नहीं किये गये थे। 2013-18 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण तालिका 3.2 में दिये गये हैं।

तालिका 3.2: 2013-18 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	उपकर की एकत्रित राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत
2013-14	571.37	264.49	0.01	0	835.87	110.07	725.80	13
2014-15	725.80	303.93	0.01	0	1,029.74	63.00	966.74	6
2015-16	966.74	286.44	0.001	0	1,253.18	120.18	1,133.00	10
2016-17	1,133.00	346.99	0.00008	0	1,479.99	261.17	1,218.82	18
2017-18	1,218.82	281.95	0.0003	0	1500.77	287.98	1,212.79	19

(स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी) मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैं तथा विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

- मण्डल द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2018 की स्थिति में ₹ 1,212.79 करोड़ की राशि उपलब्ध थी जिसमें से ₹ 1,063.78 करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों की 29 शाखाओं में रखे गये थे। ₹ 149.01 करोड़ का अन्तर मिलान के लिए लंबित था। बैंक खातों में जमा राशि से उपार्जित ब्याज ₹ 326.94 करोड़ रोकड़ पुस्तिका में नहीं दर्शाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित उपकर की राशि सुनिश्चित नहीं किया जा सकी।
- प्राप्त निधियों से निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण मण्डल की स्थायी अचल परिसम्पत्ति पंजी में लेखांकित नहीं किया गया था, इसके अभाव में, निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 श्रम उपकर की उपयोगिता

राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि से कर्मकारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएँ/गतिविधियाँ अर्थात् मातृत्व हितलाभ, पेंशन, घरों के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, हितग्राहियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि अधिसूचित की थीं। 2013-18 के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: उपलब्ध निधियों के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध निधियां	योजनाओं का बजट आवंटन		संचालित योजना		पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार	प्रतिशतता	
		योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय			सम्मिलित कर्मकार	उपलब्ध निधियों का उपयोग
2013-14	835.87	12	127.60	6	105.05	25,15,516	5,55,899	22.10	12.57
2014-15	1,029.74	15	86.80	8	58.59	24,65,939	3,14,298	12.75	5.69
2015-16	1,253.18	20	125.80	17	101.24	24,81,926	5,16,958	20.83	8.08
2016-17	1,479.99	26	151.60	24	240.58	25,28,255	4,34,225	17.17	16.26

वर्ष	उपलब्ध निधियां	योजनाओं का बजट आवंटन		संचालित योजना		पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार	प्रतिशतता	
		योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय			सम्मिलित कर्मकार	उपलब्ध निधियों का उपयोग
2017-18	1,500.77	24	233.10	21	210.02	25,87,175	4,98,182	19.26	14.00
	योग	97	724.90	76	715.48	1,25,78,811	23,19,562	18.44	

(स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका 3.3 से यह स्पष्ट है कि 2017-18 के दौरान मण्डल उपलब्ध निधि का केवल 14 प्रतिशत का उपयोग कर सका है एवं विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत श्रमिकों में से केवल 19 प्रतिशत को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार, उपलब्ध निधियों में से धनराशि ₹ 1,290.75 करोड़ का उपयोग न करने के कारण पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रहे। पड़ोसी राज्यों से तुलना करने पर, मध्य प्रदेश (14 प्रतिशत) ने उपलब्ध निधियों का उपयोग छत्तीसगढ़ (42 प्रतिशत) से कम और उत्तर प्रदेश (सात प्रतिशत) से अधिक किया है और साथ ही श्रमिकों को उत्तर प्रदेश (आठ प्रतिशत) से अधिक और छत्तीसगढ़ (34 प्रतिशत) से कम लाभान्वित किया।

3.3.3 एकत्रित उपकर मण्डल को अंतरित न किया जाना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) का नियम 5(3) प्रावधान करता है कि एकत्रित की गयी उपकर की राशि, एकत्रीकरण के 30 दिन के भीतर मण्डल को अंतरित की जायेगी।

10⁴⁴ इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2017 से अगस्त 2018) से परिलक्षित हुआ कि अगस्त 2008 से फरवरी 2018 के दौरान एकत्रित उपकर की राशि ₹ 1.40 करोड़ मण्डल को निर्धारित 30 दिन की अवधि में अंतरित नहीं की गयी थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर आहरण एवं संवितरण आधिकारियों ने उत्तर दिया कि भविष्य में उपकर, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जमा किया जायेगा तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकत्रित उपकर, उपकर नियमों के अनुसार मण्डल को अंतरित किया जाना था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (दिसंबर 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित (जून 2019) था।

3.3.4 कालातीत चैकों के कारण देयताओं की वसूली न होना

बैंकिंग मानदंडों के अनुसार, एक चैक जारी होने की तिथि से तीन माह के लिए वैध होता है उसके पश्चात् वह कालातीत हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल ने क्षेत्रीय कार्यालयों से चैक प्राप्त किये और बैंको में जमा किये। इनमे से, 2003-04 से 2017-18 की अवधि से संबंधित ₹ 17.34 करोड़ के 1656 चैक कालातीत हो गये।

⁴⁴ (1) कार्यपालन यंत्र (का.यं), ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (ग्रा.यां.से.), दमोह: ₹ 2.25 लाख, (2) का.यं ग्रा.यां.से., झाबुआ: ₹ 2.45 लाख, (3) का.यं, ग्रा.यां.से., होशंगाबाद: ₹ 3.79 लाख, (4) का.यं, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी (लो.स्वा.यां.), सिंगरौली: ₹ 17.87 लाख, (5) का.यं, लो.स्वा.यां., छिन्दवाड़ा: ₹ 69.17 लाख, (6) का.यं, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, जबलपुर: ₹ 4.11 लाख, (7) का.यं, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, भोपाल: ₹ 14.20 लाख, (8) जिला कार्यक्रम समन्वयक, (जि.का.स.), राजीव गांधी शिक्षा केन्द्र (आर. जी. एस. के.) ग्वालियर: ₹ 8.15 लाख, (9) जि.का.स., रा.गा.शि.के., रतलाम: ₹ 7.97 लाख, (10) डी.पी.सी, आर. जी. एस. के., शिवपुरी: ₹ 10.37 लाख,

मण्डल ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि कुछ बैंक प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण व्यपगत हुए और कुछ खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादृत हुए। इन बैंकों को सम्बन्धित इकाइयों/विभाग को बैंकों के नवीकरण के लिए वापस किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कालातीत चेकों के मामलों में, राजस्व की हानि से बचने हेतु राशि संबंधित वादियों से वसूली की जानी चाहिए थी। तथापि, मण्डल ने कालातीत चेकों के नवीकरण के लिये समयोचित अनुस्मारक जारी नहीं किये थे।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019), के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि ये मामले संबंधित विभागों के साथ चर्चा में लिये जायेंगे।

3.3.5 लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 238(1) प्रावधान करता है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित संस्थानों या संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 12 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मण्डल ने श्रम कार्यालयों को निधि प्रदान की, तत्पश्चात श्रम कार्यालयों ने संबंधित कार्यान्वयन कार्यालयों को निधि प्रदान की। आवंटन पत्र के अनुसार आवंटित निधि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने थे।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2018) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल ने ₹ 1,100.10 करोड़ की राशि श्रम विभाग के 53 जिला कार्यालयों को आवंटित की थी तथा यही राशि विभिन्न कार्यान्वयन इकाइयों को अंतरित की गयी थी। तथापि, 31 मार्च 2018 की स्थिति में, 47 जिला कार्यालयों से राशि ₹ 315.45 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

यह कार्यान्वयन इकाइयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना निधि जारी करने में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी दर्शाता है।

अनुशंसा: राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल लेखों को अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियाँ सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे तथा उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेँ जैसा कि अधिनियम में वर्णित है। आगे, मण्डल की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त किया जाना चाहिए जिससे कि मण्डल द्वारा जिसे निधि जारी की गई थी, उनके समयोचित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण पर मण्डल द्वारा नजर रखी जाए।

3.4 शासकीय लेखों में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है, जब लेखों में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2017-18 के दौरान विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 35,479.51 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,875.39 करोड़) का लगभग 26.31 प्रतिशत था, को विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

इसी प्रकार, ₹ 24,717.79 करोड़, जो कुल व्यय ₹ 1,61,159.31 करोड़ का लगभग 15.34 प्रतिशत था, को विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

ऐसे दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 10 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत

वर्गीकृत किए गए थे, **परिशिष्ट 3.3** एवं **3.4** में दिये गये हैं और **तालिका 3.4** में सारांशीकृत किए गए हैं।

तालिका 3.4: लघु शीर्ष 800—'अन्य प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	550.88	0059, 0217, 0404, 0702, 1452	656.88	2852, 4070, 4852, 4853, 4875, 5055, 5425
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	23,690.02	0056, 0211, 0220, 0235, 0403, 0435, 0810, 1601	10,201.64	2075, 2217, 2250, 2702, 4700, 4701
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	4,806.06	0035, 0039, 0055, 0215, 0401, 0515, 0851	3,941.24	2204, 2705, 2851, 3454, 4215, 4225, 4515
25 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत के मध्य	2,283.77	0029, 0070, 0210, 0406, 0700, 0853, 0875	5,385.26	2401, 2701, 4702, 5054
10 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत के मध्य	1,199.27	0030, 0043, 0049, 0071, 0230, 0405, 0408, 0425, 0701	3,232.34	2216, 2225, 2245, 2403, 2515, 2700, 3054, 4202, 4217, 4403
योग	32,530.00		23,417.36	

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे)

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बजट तैयार करते समय सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित सभी मदों की समग्र समीक्षा करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

3.5 आयोजना/आयोजनेतर के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष का गलत संचालन

मुख्य एवं लघु शीर्ष सूची (एल.एम.एम.एच) में यह अधिसूचित किया गया था कि 01.04.2017 से एल.एम.एम.एच. के अनुसार मुख्य शीर्ष '1601' तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष 01—'योजनेतर अनुदान', 02—'राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान', 03—'केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान', 04—'केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान', 05—'विशिष्ट योजनागत आयोजना के लिये अनुदान' अप्राधिकृत है। इसी प्रकार, मुख्य शीर्ष '6004' के अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष 01—'योजनेतर ऋण', 02—'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋण', 03—'केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋण', 04—'केन्द्रीय रूप से प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण', 05—'विशिष्ट योजनाओं के लिये ऋण', 06—'अर्थोपाय अग्रिम', एवं '07—1984-85 पूर्व के ऋण' तथा उनके अंतर्गत लघु शीर्ष नये लेन-देनों के लिये संचालित नहीं होंगे।

वित्त लेखे 2017-18 की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि ये उप-मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष बजट दस्तावेजों में इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के कारण अभी भी संचालित है। वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार, राशि ₹ 27,639.29 करोड़ जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है तथा ₹ 191.68 करोड़ क्रमशः मुख्य शीर्ष 1601 एवं 6004-02-101 के अंतर्गत दर्ज किये गये थे, जो कि अनुचित प्रतीत होता है।

तालिका 3.5: 1601—केंद्र सरकार से सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

उप मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान प्राप्ति
उप मुख्य शीर्ष-01	गैर योजनागत अनुदान	
लघु शीर्ष-109	राज्य आपदा मोचन निधि में योगदान के लिए अनुदान	725.25
लघु शीर्ष-110	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	502.09
लघु शीर्ष-800	अन्य अनुदान	3,180.78
उप मुख्य शीर्ष-02	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजनागत आयोजना के लिये अनुदान	
लघु शीर्ष-101	एक मुश्त अनुदान	4.69
लघु शीर्ष-104	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	63.65
लघु शीर्ष-800	अन्य अनुदान	23,095.46
उप मुख्य शीर्ष-03	केन्द्रीय योजनागत आयोजना के लिये अनुदान	
लघु शीर्ष-800	अन्य अनुदान	67.37
योग-1601		27,639.29

(स्रोत:- वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे)

3.5.1 पूंजीगत शीर्ष से राजस्व प्रकृति के होने वाले व्यय

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के खण्ड-1 के नियम 11 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को न केवल यह देखना कि सम्पूर्ण व्यय प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा गया है बल्कि यह भी देखना चाहिए कि व्यय करने वाली इकाईयों को आवंटित निधि जनहित में खर्च की गयी तथा उन उद्देश्यों पर खर्च की गयी, जिसके लिये राशि प्रदान की गयी थी।

कार्यपालन निदेशक, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, भोपाल (एम.पी.जे.ए.पी.) के अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, भोपाल (बजट नियंत्रण अधिकारी) ने 2010-11 से 2016-17 के दौरान अनुदान संख्या-64 मुख्य शीर्ष-4515 तथा अनुदान संख्या-41-मुख्य शीर्ष-4515 के अंतर्गत पूंजीगत बजट से ₹ 56.47 करोड़ आहरित किये थे। एम.पी.जे.ए.पी. द्वारा उक्त राशि राजस्व प्रकृति के क्रियाकलापों यथा वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय, परिषद् की योजनाएँ जैसे नवांकुर, प्रस्फुटन, संवाद, संवृद्धि के साथ नर्मदा सेवा यात्रा एवं एकात्म यात्रा के संचालन पर व्यय की गयी थी।

आयुक्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने उत्तर दिया (जून 2019) कि विभिन्न योजनाएँ जैसे नवांकुर, प्रस्फुटन, संवाद, नर्मदा सेवा एवं एकात्म यात्रा योजना इत्यादि का संचालन, जन-हित में राज्य के विकास में जन सहभागिता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है यथा-जल संरक्षण, वृक्षारोपण, नर्मदा नदी का संरक्षण इत्यादि। चूंकि नदी का संरक्षण राज्य के आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, इन योजनाओं के संचालन में संलग्न कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के साथ-साथ योजनाओं पर हुए व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस राशि का उपयोग लघु निर्माण कार्यों के लिये पूंजीगत व्यय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिये था परन्तु इसका उपयोग राजस्व व्यय के रूप में किया गया जो कि मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बजट तैयार करते समय सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

3.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अप्रस्तुति

वित्तीय नियमों के अनुसार जहाँ सहायतानुदान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं वहां संबंधित विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त

करने चाहिए तथा सत्यापन करने के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषित करना चाहिए कि निधियों का नियत उद्देश्यों के लिए उपयोग कर लिया गया है। तथापि, यह देखा गया है कि 31 मार्च 2018 को राशि ₹ 17,793.21 करोड़ के 20,666 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, जिनका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति तालिका 3.6 में दी गयी है।

तालिका 3.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च 2017 की स्थिति		31 मार्च 2018 की स्थिति	
	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	निहित राशि	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	निहित राशि
2015-16 तक	21,092	18,075.25	20,664	17,788.36
2016-17	02	4.85	02	4.85
2017-18	निरंक	निरंक
योग	21,094	18,080.10	20,666	17,793.21

(स्रोत: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के वित्त लेखे)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने सम्बन्धी मुख्य प्रकरण मुख्य शीर्ष 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (₹ 8,711 करोड़), 2408—खाद्य, भंडारण एवं भांडागार (₹ 4,577 करोड़), 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (₹ 1,022 करोड़), 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 748 करोड़) एवं 2401—फसल कृषि-कर्म (₹ 440 करोड़) से संबंधित थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने से सार्वजनिक कोष पर विधायिका के नियंत्रण का मूल उद्देश्य भंग होता है तथा यह विभिन्न बंद योजनाओं या परिवर्तित की गयी कार्यक्रमों के लिए निर्मुक्त निधियों हेतु जोखिम भरा होता है।

31 मार्च 2018 की स्थिति में राशि ₹ 17,793.21 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (20,666) प्रस्तुत न करना विभागों द्वारा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत अनुदानों के उपयोग की उचित निगरानी में कमी का सूचक है।

3.6.1 असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद (एम.पी.जे.ए.पी.) की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि एम.पी.जे.ए.पी. ने 2006-07 से 2017-18 की अवधि के दौरान, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन से परिषद की गतिविधियों एवं प्रशासनिक व्यय के लिये अनुदान के रूप में ₹ 338 करोड़ प्राप्त किये थे। तथापि, एम.पी.जे.ए.पी. ने लेखापरीक्षा को 2010-11 से 2017-18 की अवधि से संबंधित मात्र राशि ₹ 305.89 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभिलेख प्रस्तुत किये। 2006-07 से 2009-10 की अवधि से संबंधित ₹ 32.11 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

आगे, वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक लेखों के अनुसार, एम.पी.जे.ए.पी. के राज्य कार्यालय के बैंक खाते में ₹ 23.30 करोड़ का अंतिम शेष उपलब्ध था, जिसमें से ₹ 20.80 करोड़, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त सहायतानुदान (2007-08 से 2017-18 के दौरान) से संबंधित था। तथापि, विभाग को प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र में शत-प्रतिशत उपयोग दर्शाया गया था। यह दर्शाता है कि

संबंधित प्राधिकारियों द्वारा राशि ₹ 20.80 करोड़ के असत्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर, एम.पी.जे.ए.पी ने बताया (मार्च 2019) कि एम.पी.जे.ए.पी अनुदान प्राप्त संस्था है तथा यह अपने खर्चों की पूर्ति प्राप्त अनुदान से करती है। एम.पी.जे.ए.पी राज्य/खंड/जिला कार्यालयों द्वारा संचालित की जाती है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य कार्यालय द्वारा खण्ड/जिला कार्यालयों को अनुदान जारी करने के पश्चात् किया जाता है। वित्त वर्ष के अंत में खंडीय/जिला कार्यालय के पास उपलब्ध शेष का उपयोग अगले वित्त वर्ष के खर्चों/व्ययों की पूर्ति करने के लिये किया जाता है, क्योंकि वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में अनुदान प्राप्ति में विलंब होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय के आधार पर प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

अनुशंसा: राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति रोकने सम्बन्धी मामलों की पहचान करनी चाहिए तथा संगठनों, जिनको अनुदान जारी किए गए थे, द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार के विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सशक्त बनाना चाहिए।

3.7 दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना

वित्तीय नियमों के अनुसार गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को दी जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2018 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3,295 प्रकरण सूचित किये थे जिनमें ₹ 38.30 करोड़ समाविष्ट थे, जिन पर जून 2018 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इन प्रकरणों में से 2017-18 के दौरान ₹ 1.35 करोड़ के 504 प्रकरण सूचित किये गये थे। मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन एवं 2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन में क्रमशः 2,736 प्रकरण (₹ 16.03 करोड़) एवं 11 प्रकरण (₹ 8.30 करोड़) वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। वर्ष 2017-18 के अंत में दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार/अवधिवार विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। इन प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार और अनियमितता की प्रकृति के अनुसार विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को **तालिका 3.7** एवं **तालिका 3.8** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.7: लंबित प्रकरणों की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा		
विस्तार वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि
0 - 5	902	9.36
5 - 10	238	14.93
10 - 15	304	5.22
15 - 20	388	3.55
20 - 25	280	1.99
25 और उससे अधिक	1,183	3.25
योग	3,295	38.30

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 3.8: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि की श्रेणीवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि
चोरी	167	6.20
दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	3,128	32.10
योग	3,295	38.30

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि प्रकरण तालिका 3.9 में दर्शाये गये कारणों से बकाया थे।

तालिका 3.9: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विलंब/बकाया प्रकरणों के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित थी	01	0.00*
(ii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3,224	37.24
(iii)	न्यायालयों में लंबित	70	1.06
योग		3,295	38.30

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*राशि ₹ 47,165

₹ 38.30 करोड़ के 3,295 प्रकरणों में से, ₹ 14.01 करोड़ के 2,155 प्रकरण (65 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक से लंबित थे। 3,224 प्रकरणों (98 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे। 3,295 प्रकरणों में से 348 प्रकरणों में प्राथमिकी सूचना प्रतिवेदित की गयी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के दौरान राशि ₹ 20.30 लाख की हानि के 92 प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में विवरण दिया गया है। 2017-18 के दौरान 320 प्रकरणों से संबंधित राशि ₹ 55.34 लाख की वसूली की गयी थी तथा शासकीय खाते में जमा कर दी गई थी। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

अनुशंसा: सरकार को अपेक्षित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए एवं ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने/कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

3.8 रोकड़ शेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी शेषों की पुष्टि के प्रमाण-पत्र के अनुसार, राज्य के पास 31 मार्च 2018 को ₹ 699.83 करोड़ का नामे शेष था जबकि माह मार्च 2018 के लिए राज्य का अंतिम रोकड़ शेष ₹ 693.65 करोड़ था जैसा कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सत्यापित किया गया। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा गणना किए गए राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित 31 मार्च 2018 की स्थिति में कोषालय स्तर पर 2006-07 से 707 प्रकरणों में एवं भारतीय रिजर्व बैंक स्तर पर 2008-09 से 405 प्रकरणों में मिलान न होने के कारण रोकड़ शेष के मध्य ₹ 6.18 करोड़ (निवल नामे) का अंतर था।

3.9 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी संधारित किये गये लेखों को जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में प्रदर्शित हैं उनका मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं सुधार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

वर्ष 2017-18 के दौरान सभी 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल प्राप्तियों ₹ 1,41,881.03 करोड़ ("लोक ऋण" के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर) के विरुद्ध ₹ 25,914.75 करोड़ (18.27 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल व्यय ₹ 1,63,802.35 करोड़ ("लोक ऋण" के पुनर्भुगतान को छोड़कर) के विरुद्ध ₹ 80,505.33 करोड़ (49.15 प्रतिशत) व्यय का आंशिक मिलान किया गया।

यद्यपि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागीय आंकड़ों के ऐसे मिलान न किए जाने के बारे में नियमित रूप से उल्लेख किया जाता है, तथापि यह चूक निरन्तर प्रकट हो रही है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए कि सभी बजट नियंत्रण अधिकारी प्रत्येक माह अपने लेखों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से करें।

3.10 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में समायोजन में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम, 1971 का नियम 112 (2) निर्दिष्ट करता है कि जब तक व्यय एक माह के भीतर होना संभावित नहीं हो, तब तक कोई अग्रिम आहरित नहीं किया जायेगा।

31 मार्च 2018 को पाँच⁴⁵ विभागों द्वारा कुल ₹ 7.06 करोड़ के 1,216 प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे। सामान्य प्रशासन (निर्वाचन) विभाग (₹ 1.73 करोड़), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (₹ 3.18 करोड़) तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (₹ 2.13 करोड़) में ₹ एक करोड़ से अधिक के अस्थायी अग्रिम लंबित थे। विवरण निम्न तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: मार्च 2018 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	495	1.02
2	पाँच वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	250	1.35
3	एक वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष तक	363	3.32
4	एक वर्ष तक	108	1.37
योग		1,216	7.06

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

⁴⁵ (1) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (₹ 1.35 लाख), (2) सामान्य प्रशासन (निर्वाचन) विभाग (₹ 172.93 लाख), (3) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग (₹ 213.26 लाख), (4) सिंचाई विभाग (₹ 0.83 लाख) एवं (5) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (₹ 317.63 लाख)

- चार जिलाधीशों (बालाघाट, दमोह, अशोक नगर एवं टीकमगढ़) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि कार्यालय कार्य, चुनाव कार्य इत्यादि के लिए अस्थायी अग्रिम के रूप में प्रदत्त कुल ₹ 95.44 लाख के 380 प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे।

इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि अग्रिम के समायोजन के पश्चात इसकी सूचना दी जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अस्थायी अग्रिमों की राशि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के अनुसार समायोजित नहीं की गयी थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित (जून 2019) था।

- नगर निगम (सागर, सतना, एवं उज्जैन) तथा नगर परिषद (चंदिया, जिला—उमरिया एवं ओरछा, जिला—टीकमगढ़) के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर—दिसम्बर 2017) से परिलक्षित हुआ कि 1984 से 2017 के बीच नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा खरीद, निर्माण, सर्वेक्षण, खेलकूद गतिविधियों, वाहनों के रख-रखाव, न्यायालयीन प्रकरणों, यात्रा खर्च इत्यादि के लिए व्यक्तियों को 230 प्रकरणों में कुल ₹ 3.18 करोड़ अस्थायी अग्रिम के रूप में प्रदान किए गए थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर, आयुक्त, सागर (सितम्बर 2017) ने बताया कि अग्रिमों के समायोजन के लिए पत्र जारी किये जा रहे थे। जबकि आयुक्त, उज्जैन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2017) कि अग्रिम वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित किये जायेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ओरछा (जुलाई 2017), चंदिया (अक्टूबर 2017) एवं सतना (दिसम्बर 2017) ने बताया कि अग्रिम समायोजित किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अस्थायी अग्रिम की राशि मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम के प्रावधान के अनुसार समायोजित नहीं की गई थी।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (दिसम्बर 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित (जून 2019) था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को संबंधित विभागों में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.11 पूर्व वर्ष के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्ष के बजट से किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 के अनुसार वास्तविक रूप से किये गये समस्त भारों का अविलंब आहरण तथा भुगतान किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में अगले वर्ष के अनुदान से भुगतान के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो, व्यय को नए बजट की स्वीकृति प्राप्त होने तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह एक वर्ष के भार को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

पाँच⁴⁶ जिलों के कार्यालय पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया कि 59 प्रकरणों में पूर्व वर्ष (2016–17) से संबंधित राशि ₹ 203.72 लाख के देयक वित्तीय वर्ष (2017–18) में भुगतान के लिए लंबित थे। इस प्रकार, एक वर्ष में किये गये

⁴⁶ (1) अशोक नगर: ₹ 14.80 लाख, (2) जबलपुर: ₹ 55.75 लाख, (3) रायसेन: ₹ 22.95 लाख, (4) रीवा: ₹ 80.03 लाख एवं (5) सीधी: ₹ 30.19 लाख

व्यय को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ दिया गया था, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 का उल्लंघन था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, एस.पी., अशोक नगर, रायसेन एवं सीधी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट की अनुपलब्धता के कारण, वित्तीय वर्ष 2017-18 में भुगतान किया गया था। एस.पी., रीवा ने बताया कि बजट 2017-18 में आवंटित किया गया था एवं भुगतान किया जा रहा था। एस.पी., जबलपुर ने बताया कि बजट प्रावधान की कमी एवं शासन द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण, मार्च 2017 में भुगतान नहीं किया जा सका था, यही भुगतान 2017-18 के लिए बजट प्रावधान के विरुद्ध किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जनवरी 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित (जून 2019) था।

अनुशंसा: शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि विभागों द्वारा किये गये सभी प्रभारों का आहरण एवं भुगतान आवश्यक रूप से तुरन्त किया जाये तथा उन्हें किसी भी परिस्थिति में अन्य वर्ष के अनुदान से भुगतान के लिए अनुमति नहीं दी जाये।

3.12 बैंक खातों का अनियमित संधारण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार, सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर, शासकीय सेवक राज्य की समेकित निधि और लोक लेखा से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है।

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2018 की स्थिति में समेकित निधि से मछुआ किसान विकास एजेंसी योजनाओं इत्यादि के लिए ₹ 88.65 लाख आहरित किये गये तथा वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना पाँच बैंक खातों में जमा किए गए थे, जो कि तीन⁴⁷ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संचालित किये जा रहे थे।

3.12.1 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना

कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, शिवपुरी के अभिलेखों की नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि 2016-17 से 2017-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं नामतः गणवेश (वर्दी), छात्रवृत्ति इत्यादि की ₹ 9.18 करोड़ की राशि कोषालय से आहरित की गई थी तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना जिला संयोजक आदिम जाति, शिवपुरी के नाम से पांच बैंक खातों⁴⁸ में जमा की गई थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण ने बताया कि राशि शासकीय खाते में जमा की जायेगी।

तथ्य यह है कि राशि बिना तत्काल आवश्यकता के आहरित की गई थी जिससे निधियों का अवरोधन होता है तथा मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधान का उल्लंघन है।

⁴⁷ (1) सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, मंडला: ₹ 54.37 लाख, (2) सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, नरसिंहपुर : ₹ 2.11 लाख, (3) मत्स्य किसान विकास एजेंसी, शहडोल: ₹ 32.17 लाख

⁴⁸ (1) भारतीय स्टेट बैंक, (सं 10547193121): ₹ 0.30 करोड़, (2) एक्सिस बैंक, (सं 911020002506994): ₹ 5.85 करोड़, (3) एक्सिस बैंक, (सं 911010020719975): ₹ 1.57 करोड़, (4) आई.सी.आई.सी.आई बैंक, (सं 14905000621): ₹ 0.05 करोड़ एवं (5) एच.डी.एफ.सी बैंक, (सं 50200008698785): ₹ 1.41 करोड़

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभाग को आवश्यक अनुदेश जारी किए जायेंगे।

3.12.2 पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न योजनाओं की निधि को रखा जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड—। के अध्याय 9 के नियम 173 के अनुसार, जब तक शासन द्वारा अन्यथा आदेश न हो, विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान, निहित शर्तों के अधीन है कि राशि का कोई भी भाग, जो अंततः उस उद्देश्य पर व्यय करने के लिए आवश्यक नहीं है, विधिवत् शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत⁴⁹/जनपद पंचायत⁵⁰ के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2017 एवं दिसम्बर 2017) से परिलक्षित हुआ कि 18 योजनाओं⁵¹ की राशि ₹ 2.37 करोड़ जिला पंचायत/जनपद पंचायतों के बैंक खातों में जमा की गई थी। आगे, योजनाओं के बंद/असंचालित होने के बावजूद राशि शासकीय खातों में समर्पित/जमा नहीं की गयी थी।

इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा के दिनांक तक योजनाओं के ₹ 2.37 करोड़ बैंक खातों में पड़े रहे।

इस ओर इंगित किए जाने पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अशोक नगर, ठीकरी, झिरनिया, सबलगढ़, पवई, सांची ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि बंद योजनाओं की राशि शासकीय खाते में जमा करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

तथ्य यह है कि निधियों का जमा रहना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि उस उद्देश्य के लिए निधियों के प्रवाह को भी प्रभावित करता है, जिसके लिए वह प्रदान किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी किये जायेंगे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक प्रक्रिया विकसित कर सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीन शासकीय विभाग एवं इकाईयाँ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोषालय से धन का आहरण नहीं करती हैं। वित्त विभाग को राज्य शासन के विभागों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की समीक्षा भी करनी चाहिए एवं वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए सभी खातों को बंद करना चाहिए। शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना बैंक खातों में धन जमा करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

3.13 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छः स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2018 को

⁴⁹ दतिया

⁵⁰ अशोक नगर, झिरनिया (खरगौन), पवई (पन्ना), सबलगढ़ (मुरैना), सांची (रायसेन) एवं ठीकरी (बड़वानी)

⁵¹ दसवें तथा ग्यारहवें वित्त आयोग (₹ 18.32 लाख), इन्दिरा आवास योजना (₹ 0.19 लाख), जैव विविधता (₹ 2.07 लाख), मध्यान्ह भोजन (₹ 44.84 लाख), राष्ट्रीय सम विकास योजना (₹ 3.27 लाख), निर्मल भारत अभियान (₹ 3.19 लाख), पंचायत निर्वाचन नामांकन शुल्क (₹ 3.48 लाख), पेंशन योजना (₹ 139.86 लाख), राष्ट्रीय मातृत्व योजना (₹ 0.09 लाख), राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (₹ 2.61 लाख), शहरी विकास अभिकरण (₹ 0.43 लाख), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (₹ 0.24 लाख), सर्व शिक्षा अभियान (₹ 0.24 लाख), एस.जी.एस वार्ड(कुप) (₹ 9.66 लाख), शिक्षा कर्मी (₹ 0.53 लाख), स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (₹ 6.80 लाख), आदिम जाति कल्याण (₹ 0.35 लाख), जिला शिक्षा केन्द्र (₹ 0.56 लाख)

लेखापरीक्षा संबंधी अधिनियम, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति की स्थिति तालिका 3.11 में दी गई है।

तालिका 3.11: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति

स. क्र.	निकाय का नाम	अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किये गये थे	अवधि जब तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब ⁵² (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम की धारा 19(3)	2015-16	2013-14	2013-14 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 07.03.2018)	2014-15 (31) 2015-16 (19) 2016-17 (15) 2017-18 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम की धारा 19(2)	2016-17	2015-16	2014-15 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 30.11.2017)	2015-16 (15) 2016-17 (03) 2017-18 (03)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम की धारा 19(2)	2012-13	2011-12	वर्ष 2003-04 से 2011-12 तक के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी।	2011-12 (20) 2012-13 (59) 2013-14 (51) 2014-15 (39) 2015-16 (27) 2016-17 (15) 2017-18 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम की धारा 19(2)	2006-07 से 2009-10	2001-02 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक के लेखे अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे।	वर्ष 1997-98 के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 13.10.2017 को जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में 1997-98 से 2012-13 तक के बिना लेखापरीक्षा किये हुए लेखे राज्य विधानमंडल में दिनांक 25.02.2016 को प्रस्तुत कर दिये गये।	1997-98 (205) to 2012-13 (25) 2013-14 (51) 2014-15 (39) 2015-16 (27) 2016-17 (15) 2017-18 (03)
5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम की धारा 19(3)	2017-18	2016-17	2015-16 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 18.07.2017)	2016-17 (02)
6	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल	नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम की धारा 19(2)	2017-18	2016-17	2016-17 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 21.03.2018)	-

अनुशंसा: सरकार को स्वायत्त निकायों के लेखे लेखापरीक्षा को समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.14 राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों पर की गई चर्चा एवं वित्त लेखे के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा गणना किये गये व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन का प्रभाव निम्न तालिका 3.12 में दिया गया है।

⁵² विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2018 तक ली गई है।

तालिका 3.12: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना के अनुसार राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताओं पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन एवं कम अंतरण/अंशदान का विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	बकाया देयताओं पर प्रभाव
	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
एन.एस.डी.एल. को अंशदान का कम अंतरण	19.82	19.82	-
समेकित निक्षेप निधि में अंशदान न करना	779.00	779.00	779.00
प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान	148.48	148.48	148.48
आरक्षित निधियों एवं सब्याज जमा पर ब्याज का भुगतान न करना	1.23	1.23	1.23
राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	653.12	-	-
योग	1,601.65	948.53	928.71

(स्रोत: 2017-18 के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के तारतम्य में, वर्ष 2017-18 के लिए राज्य का राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएँ ₹ 4,629 करोड़, ₹ 22,745 करोड़ एवं ₹ 1,72,363 करोड़ जैसा कि वित्त लेखे में दर्शाया गया है, वास्तव में क्रमशः ₹ 3,027 करोड़, ₹ 23,694 करोड़ एवं ₹ 1,73,292 करोड़ होंगी।

3.15 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवम्बर 2000 से पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद भी पूंजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 5,750.38 करोड़, प्रत्याभूति ₹ 967.43 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 1,297.35 करोड़ के साथ लोक लेखों के अंतर्गत राशि ₹ 118.28 करोड़ के शेषों को परवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजित किया जाना है। विवरण निम्न तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: मार्च 2018 को अविभाजित शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	31 मार्च 2017 को अविभाजित शेष	31 मार्च 2018 को अविभाजित शेष
लोक लेखा	669.76	118.28
पूंजीगत अनुभाग	5,755.20	5,750.38
प्रत्याभूतियाँ	967.43	967.43
ऋण एवं अग्रिम	2,176.05	1,297.35

(स्रोत: 2016-17 एवं 2017-18 के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने 2016-17 में अविभाजित शेष की तुलना में 2017-18 में लोक लेखा के अन्तर्गत 82 प्रतिशत (₹ 551.48 करोड़) तथा ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत (₹ 878.70 करोड़) का विभाजन किया था।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इसे छत्तीसगढ़ शासन एवं दोनों राज्यों के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ बैठक में हल कर लिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि लोक लेखा, पूंजीगत भाग, प्रत्याभूति तथा ऋण एवं अग्रिमों का विभाजन अभी भी अविभाजित पड़ा है जैसा कि वित्त लेखे 2017-18 में दर्शित है तथा इसे अभी तक राजपत्र अधिसूचना में भी प्रकाशित नहीं किया गया है।

अनुशंसा: राज्य शासन को दो परवर्ती राज्यों के मध्य लोक लेखों, पूंजीगत भाग प्रत्याभूतियों तथा ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत शेषों का शीघ्र विभाजन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सम्पर्क करना आवश्यक है।

3.16 विभागों द्वारा रोकड़ पुस्तिकाओं का अनुचित संधारण

प्राप्तियों एवं संवितरणों के वित्तीय संब्यहारों के लिये रोकड़ पुस्तिका प्राथमिक अभिलेख है जिसे प्रत्येक कार्यालय में प्राप्तियों एवं शासकीय धन की अभिरक्षा को उचित ढंग से सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य रूप से संधारित किया जाना आवश्यक है। रोकड़ पुस्तिका का संधारण न किया जाना/अनुचित संधारण से न केवल शुद्धता एवं लेखे की पूर्णता प्रभावित होती है, अपितु शासकीय निधियों के सम्भावित कपट, दुर्विनियोग एवं गबन का संकेतक भी है।

विभिन्न विभागों को जारी महालेखाकार के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों द्वारा रोकड़ पुस्तिका का संधारण न किये जाने/अनुचित संधारण से संबंधित कई प्रकरणों को दर्शाया गया है। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है।

3.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 एवं 210 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनियों को सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के अन्दर अर्थात् सितम्बर अंत तक, वित्तीय विवरण पत्रक को, अंतिम रूप देना होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) सहपठित धारा 129(2) के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रावधान विद्यमान हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर कम्पनी अधिनियम 2013⁵³ की धारा 129(7) के अंतर्गत दंडिक प्रावधानों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके अनुसार जिम्मेदार चूककर्ता कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी को कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थदंड जो कि पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं।

संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक निगमों के लेखों को अंतिम रूप देना, लेखापरीक्षा करना तथा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।

उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन होने से मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के 46 प्रतिशत उपक्रमों के लेखे बकाया हैं जैसा कि तालिका 3.14 में विवरण दिया गया है।

⁵³ पूर्व में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210 (5) के अनुसार, यदि कम्पनी के निदेशक के रूप में कोई व्यक्ति इस धारा के अनुपालन में उचित कदम उठाने में विफल रहता है तो प्रत्येक अपकार के लिए एक अवधि के कारावास जिसे छः माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदंड जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हेतु दंडनीय होगा।

तालिका 3.14: 31 दिसम्बर 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अवधिवार बकाया लेखे

स.क्र.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	योग
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या	58	16	74
2(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	30	04	34
2(ख)	बकाया लेखों की संख्या	62	70	132
3(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे पांच से कम वर्षों से बकाया हैं	28	0	28
3(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	41	0	41
4(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे पांच से 10 वर्ष तक बकाया हैं	01	02	03
4(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	07	16	23
5(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की संख्या जिनके लेखे 10 या अधिक वर्षों से बकाया हैं	01	02	03
5(ख)	उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में बकाया लेखों की संख्या	14	54	68
6	लेखों के बकाया की सीमा (वर्षों में)	1-14	1-28	1-28

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

लेखों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र के 34 उपक्रमों की, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 28 वर्ष तक की अवधि से कम्पनी अधिनियम के अनुसार कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं संबंधित अधिनियमों के अनुसार निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने में असमर्थ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 28 उपक्रमों में पांच वर्ष से कम के एवं छः से 28 वर्षों तक के सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों के लेखे बकाया थे।

उपरोक्त से इंगित होता है कि संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा है कि चूककर्ता कम्पनियां एवं निगम सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन करते हैं।

यह विशिष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों की ओर से वित्तीय सहायता की मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिए लेखों के अभाव के बावजूद वित्त विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को समता पूंजी, ऋण एवं सहायतानुदान/राजसहायता, प्रत्याभूतियां प्रदान करने के माध्यम से नियमित रूप से बजटीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। राज्य शासन ने 13 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को (समता पूंजी: ₹ 2,089.73 करोड़, ऋण: ₹ 88.92 करोड़, पूंजीगत अनुदान: ₹ 564.21 करोड़, प्रत्याभूति: ₹ 115.23 करोड़ एवं अन्य (राजसहायता): ₹ 5,457.30 करोड़) लेखे बकाया होने की अवधि के दौरान ₹ 8,315.39 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की, जिनके लेखे एक से 14 वर्षों की अवधि के लिये बकाया थे जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम से संबंधित लेखे 14 वर्षों के लिये बकाया थे और सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों के लिये यह सीमा एक से सात वर्ष के बीच थी। राज्य शासन को यह देखने की आवश्यकता है कि यह मूल्य-प्रति-धन व्यय है एवं इस तरह की सहायता को समता पूंजी (₹ 2,089.73 करोड़)

एवं ऋण (₹ 88.92 करोड़) को पूंजीगत व्यय के रूप में एवं राजसहायता (₹ 5,457.30 करोड़) तथा अनुदान (₹ 564.21 करोड़) को राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य शासन ने एक अकार्यशील कम्पनी को उस अवधि के लिए, जिसके लेखे बकाया थे, ₹ 4.34 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान) प्रदान की जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बकाया लेखे वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए, लेखे यथोचित अवधि में अद्यतन कर लिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं वहाँ सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता रोक देनी चाहिए।

3.18 लाभान्श घोषित न किया जाना

राज्य शासन की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के पश्चात् लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभान्श के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। यद्यपि उनके अंतिम रूप से अद्यतन लेखों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 22 उपक्रमों ने शासकीय समता पूंजी ₹ 1,662.62 करोड़ के साथ कुल लाभ ₹ 998.37 करोड़ अर्जित किया, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल छः उपक्रमों ने ₹ 45.63 करोड़ या सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के समग्र लाभ का 4.57 प्रतिशत लाभान्श प्रस्तावित किया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उपक्रमों ने 2017-18 में मध्य प्रदेश शासन की लाभान्श नीति का उल्लंघन कर ₹ 697.80 का करोड़ लाभ अर्जित करने के बावजूद ₹ 139.56 करोड़ का लाभान्श घोषित नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दिया गया है।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम शासन को निर्धारित लाभान्श का भुगतान करें।

3.19 समता पूंजी/ऋणों/प्रत्याभूतियों का मिलान न करना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार समता पूंजी, ऋणों एवं बकाया प्रत्याभूतियों से संबंधित आंकड़ों का राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। जहाँ आंकड़ों का मिलान नहीं होता है, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इससे संबंधित स्थिति **तालिका 3.15** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.15: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों एवं वित्त लेखे के अनुसार समता पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियाँ


(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता पूंजी	28,034.13	20,200.38	7,833.75
ऋण	33,125.36	28,574.53	4,550.83
प्रत्याभूतियाँ	4,999.20	3,901.27	1,097.93

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदायित जानकारी)

यद्यपि वित्त लेखे में प्रदर्शित एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतरों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासकीय विभागों से अपेक्षा है कि वे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गये राज्य शासन के निवेशों, ऋणों एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित अभिलेखों एवं लेखों के अंतरों का मिलान करें।



(डी. साहू)

महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश

ग्वालियर

दिनांक: 20 नवंबर 2019

प्रतिहस्ताक्षरित



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 29 नवंबर 2019

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

क.	सामान्य आंकड़े				
स.क्र.	विवरण	आंकड़े			
1	क्षेत्र	3,08,245 वर्ग कि.मी.			
2	जनसंख्या				
	क. 2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़			
	ख. 2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़			
3	क. जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी			
	ख. जनसंख्या ⁵⁴ का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी			
4	गरीबी रेखा ⁵⁵ से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)	31.70 प्रतिशत			
5	क. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	69.69 प्रतिशत			
	ख. साक्षरता ⁵⁶ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	69.30 प्रतिशत			
6	शिशु मृत्यु दर ⁵⁷ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 34 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2016)	47 प्रति 1000 जीवित बच्चे			
7	जन्म ⁵⁸ के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत 2011-15 में = 68.30 वर्ष)	64.80 वर्ष			
8	मानव विकास सूचकांक ⁵⁹ (क. 1999-2000 = 0.387) (ख. 2007-2008 = 0.467)	0.375(रैंक-20)			
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 चालू मूल्य पर	₹ 7,07,047 करोड़			
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 स्थिर मूल्य पर	₹ 4,99,102 करोड़			
11	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2008-09 से 2017-18)	मध्य प्रदेश	13.50 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य	13.10 प्रतिशत		
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2008-09 से 2017-18)	मध्य प्रदेश	15.20 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य	14.50 प्रतिशत		
13	जनसंख्या वृद्धि दर ⁶⁰ (2008-09 से 2017-18)	मध्य प्रदेश	14.70 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य	11.60 प्रतिशत		
ख.	वित्तीय आंकड़े				
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
	संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर	2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के	15.10	17.66	11.30	9.38
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	14.90	15.86	12.20	1.40
ग.	करेत्तर राजस्व के	9.50	13.31	5.90	-0.28
घ.	कुल व्यय के	15.80	18.86	4.70	7.21
ङ.	पूंजीगत व्यय के	14.00	19.16	1.0	13.28
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	14.50	20.07	6.2	11.87
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	16.20	19.32	10.70	19.22
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	13.40	12.27	8.90	11.35
झ.	पेंशन के	16.20	17.42	22.90	5.65

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं)

⁵⁴ अंतिम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार

⁵⁵ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 160-161

⁵⁶ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 155

⁵⁷ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 151

⁵⁸ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 151

⁵⁹ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 161

⁶⁰ भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट तालिका 14 (1 अक्टूबर 2001-2026 को लिंग अनुसार कुल आबादी का प्रक्षेपण)

परिशिष्ट 1.2 (भाग-क)
सरकारी लेखों की संरचना
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखा: प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 (भाग-ख)
वित्त लेखों की रूपरेखा
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग-1 सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण और भाग-2 इनके विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता है। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.2 (भाग-ग)
चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा
 (संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
मापदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मापदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि}/\text{विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल कर्ज तथा अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज अदायगियां

परिशिष्ट 1.3
वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण			
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18	
भाग-क: राजस्व						
1,23,306.79	I.	राजस्व प्राप्तियाँ	1,34,875.39	1,19,537.37	राजस्व व्यय	1,30,246.09
44,193.65		कर राजस्व	44,810.85	27,903.12	सामान्य सेवाएं	32,100.08
				47,942.43	सामाजिक सेवाएं	58,346.18
9,086.51		करेत्तर राजस्व	9,061.18	21,143.64	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	23,653.44
46,064.10		संघ करों में राज्य का भाग	50,853.07	5,375.57	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,408.88
5,472.39		आयोजनेत्तर अनुदान	4,408.12	11,182.25	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	17,317.45
17,701.96		राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	23,163.80	341.50	सूचना एवं प्रसारण	343.50
788.18		केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	67.37	3,095.05	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,356.73
		राज्य के लिये अन्य अनुदान	2,511.00	290.53	श्रम तथा श्रमिक कल्याण	356.04
				6,332.86	समाज कल्याण एवं पोषण	6,657.75
				181.03	अन्य	252.39
				36,884.73	आर्थिक सेवाएं	32,734.59
				10,311.12	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	11,928.16
				8,817.65	ग्रामीण विकास	6,820.58
				687.61	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	645.33
				12,476.20	ऊर्जा	9,753.26
				2,846.94	उद्योग एवं खनिज	1,959.95
				1,244.95	परिवहन	1,102.25
				223.96	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	212.27
				276.30	सामान्य आर्थिक सेवाएं	312.79
				6,807.09	सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,065.24
	II.	भाग ख में अग्रनित राजस्व घाटा		3,769.42	भाग ख में अग्रनित राजस्व अधिशेष	4,629.30
1,23,306.79		योग	1,34,875.39	1,23,306.79	योग	1,34,875.39

भाग-ख: अन्य					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18
10,898.72	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	10,993.66		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष
24.19	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	19.35	27,288.31	पूंजीगत परिव्यय
				697.84	सामान्य सेवाएं
				3,285.16	सामाजिक सेवाएं
				736.97	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
				564.69	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
				1,111.63	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास
				--	सूचना एवं प्रसारण
				549.83	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
				203.85	समाज कल्याण एवं पोषण
				118.19	अन्य सामाजिक सेवाएं
				23,305.31	आर्थिक सेवाएं
				693.31	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप
				3,169.35	ग्रामीण विकास
				8,470.50	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
				4,666.56	ऊर्जा
				1,515.34	उद्योग एवं खनिज
				4,671.99	परिवहन
				5.00	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण
				113.26	सामान्य आर्थिक सेवाएं
772.05	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	5,069.53	4,940.27	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम
				3,162.56	बिजली परियोजनाओं के लिए
				1,187.07	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिये
				513.29	उद्योग तथा खनिज के लिये
-7.33		सरकारी कर्मचारियों से	0.01	0.10	सरकारी कर्मचारियों को
779.38		अन्यों से	5,069.52	77.25	अन्यों को
0.01	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	-0.05	0.66	अन्तर्राज्यीय परिशोधन

प्राप्तियाँ			संवितरण			
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18	
3,769.42	VII	अधोनीत राजस्व अधिशेष	4,629.30	--	अधोनीत राजस्व घाटा	--
29,847.41	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,892.17	4,925.41	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,776.38
28,580.74		अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	19,975.36	3,907.83	अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	4,683.53
--		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन	--	--	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन	--
--		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	--	--		--
12,66.67		केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,916.81	1,017.58	केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान	1,092.85
--	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--
--	X	आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	--	--	आकस्मिकता निधि से व्यय	--
1,61,078.58	XI	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,71,664.83	1,58,242.07	लोक लेखा संवितरण	1,68,893.44
3,486.38		अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ	3,416.80	2,673.71	अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ	2,736.37
3,701.34		आरक्षित निधियाँ	2,257.81	4,199.61	आरक्षित निधियाँ	3,295.81
1,08,731.65		उचत तथा विविध	1,23,314.51	1,09,573.88	उचत तथा विविध	1,23,204.56
18,063.48		प्रेषण	17,659.89	18,135.36	प्रेषण	16,956.49
27,095.73		जमा एवं अग्रिम	25,015.83	23,659.51	जमा एवं अग्रिम	22,700.21
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		10,993.66	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष	7,135.56
				--	खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	--
				-52.99	रिजर्व बैंक में जमा	-693.65 ⁶¹
				2.01	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.60
				11,044.64	रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश	7,828.61
2,06,390.38		योग	2,14,268.79	2,06,390.38	योग	2,14,268.79

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁶¹ मार्च 2018 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 693.65 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 699.83 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 6.18 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

परिशिष्ट 1.4
2017-18 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना
(संदर्भ: कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमी (-)	अधिक / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें	1,39,115.67	1,34,875.39	-4,240.28	-3.05
स्वयं के कर राजस्व	50,295.21	44,810.85	-5,484.36	-10.90
राज्य माल एवं सेवा कर	0.00	8,696.12	8,696.12	0.00
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	25,910.00	14,984.04	-10,925.96	-42.17
राज्य उत्पाद शुल्क	8,600.00	8,245.01	-354.99	-4.13
वाहन कर	2,550.00	2,691.62	141.62	5.55
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,300.00	4,788.51	488.51	11.36
माल तथा यात्री कर	4,010.00	1,159.30	-2,850.70	-71.09
भू-राजस्व	700.00	490.99	-209.01	-29.86
अन्य कर	4,225.21	3,755.26	-469.95	-11.12
करेत्तर राजस्व	11,679.74	9,061.18	-2,618.56	-22.42
ब्याज प्राप्तियाँ	530.00	639.11	109.11	20.59
विविध सामान्य सेवाएं	212.00	54.11	-157.89	-74.48
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3,700.00	3,640.72	-59.28	-1.60
अन्य करेत्तर राजस्व	7,237.74	4,727.24	-2,510.50	-34.69
संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	51,106.32	50,853.07	-253.25	-0.50
भारत सरकार से सहायता अनुदान	26,034.40	30,150.29	4,115.89	15.81
राजस्व व्यय, जिसमें	1,34,519.27	1,30,246.09	-4,273.18	-3.18
सामान्य सेवाएं	36,699.64	32,100.08	-4,599.56	-12.53
सामाजिक सेवाएं	56,411.27	58,346.18	1,934.91	3.43
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	25,177.17	23,653.44	-1,523.73	-6.05
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,788.20	6,408.88	-379.32	-5.59
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	11,815.30	17,317.45	5,502.15	46.57
सूचना एवं प्रसारण	255.77	343.50	87.73	34.30
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,010.80	3,356.73	-654.07	-16.31
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	588.22	356.04	-232.18	-39.47
समाज कल्याण एवं पोषण	7,510.73	6,657.75	-852.98	-11.36
अन्य	265.08	252.39	-12.69	-4.79
आर्थिक सेवाएं	33,909.47	32,734.59	-1,174.88	-3.46
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	11,174.12	11,928.16	754.04	6.75
ग्रामीण विकास	8,178.25	6,820.58	-1,357.67	-16.60
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	926.35	645.33	-281.02	-30.34
ऊर्जा	9,108.74	9,753.26	644.52	7.08
उद्योग एवं खनिज	2,496.39	1,959.95	-536.44	-21.49
परिवहन	1,457.32	1,102.25	-355.07	-24.36
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	235.75	212.27	-23.48	-9.96
सामान्य आर्थिक सेवाएं	332.55	312.79	-19.76	-5.94
सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,498.88	7,065.24	-433.64	-5.78
पूंजीगत व्यय, जिसमें	31,412.02	30,913.22	-498.80	-1.59
सामान्य सेवाएं	922.36	742.58	-179.78	-19.49
सामाजिक सेवाएं	6,753.12	5,358.38	-1,394.74	-20.65
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,956.70	688.34	-1,268.36	-64.82
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,195.05	1,039.87	-155.18	-12.99
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,187.11	2,364.24	177.13	8.10
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े	1,098.54	1,061.28	-37.26	-3.39

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमी (-)	अधिक / कमी (-) प्रतिशत में
वर्गों का कल्याण				
समाज कल्याण एवं पोषण	198.18	118.16	-80.02	-40.38
अन्य सामाजिक सेवाएं	117.54	86.49	-31.05	-26.42
आर्थिक सेवाएं	23,736.53	24,812.26	1,075.73	4.53
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	444.10	396.32	-47.78	-10.76
ग्रामीण विकास	2,458.23	2,186.54	-271.69	-11.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	9,402.04	7,973.14	-1,428.90	-15.20
ऊर्जा	5,676.10	7,479.57	1,803.47	31.77
उद्योग एवं खनिज	103.73	258.28	154.55	148.99
परिवहन	5,556.78	6,400.35	843.57	15.18
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	4.00	4.00	0.00	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	91.55	114.06	22.51	24.59
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	4,596.40	4,629.30	32.90	0.72
राजकोषीय घाटा (-)	-25,688.97	-22,745.28	2,943.69	-11.46
प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-)	-14,148.24	-11,699.94	2,448.30	-17.30

(स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट पुस्तिकाएं 2017-18)

परिशिष्ट 1.5
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
(i) कर राजस्व	33,552(44)	36,567(41)	40,214(38)	44,194(36)	44,811(33)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
राज्य माल एवं सेवा कर	--	--	--	--	8,696 (19)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,650(50)	18,136(50)	19,806(49)	22,561(51)	14,984(33)
राज्य उत्पाद शुल्क	5,907(18)	6,695(18)	7,923(20)	7,533(17)	8,245(18)
वाहन कर	1,599(5)	1,824(5)	1,933(5)	2,252(5)	2,692(6)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,400(10)	3,893(11)	3,868(10)	3,925(9)	4,789(11)
भू-राजस्व	366(1)	243(1)	277(1)	407(1)	491(1)
माल तथा यात्री कर	2,579(8)	2,686(7)	3,085(8)	3,805(9)	1,159(3)
अन्य कर	3,051(9)	3,090(8)	3,322(8)	3,711(8)	3,755(8)
(ii) करेतर राजस्व	7,705(10)	10,375(12)	8,569(8)	9,086(7)	9,061(7)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	22,715(30)	24,107(27)	38,398(37)	46,064(37)	50,853(38)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,777(16)	17,592(20)	18,330(17)	23,963(20)	30,150(22)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	36	28	26	24	19
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	2	0	0
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	93	6,765	162	772	5,070
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	75,880	95,435	1,05,701	1,24,103	1,39,964
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,541	15,069	19,985	29,847	21,892
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	8,328	13,696	18,659	28,581	19,975
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,212	1,372	1,326	1,266	1,917
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	85,421	1,10,504	1,25,686	1,53,950	1,61,856
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	300	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	94,811	1,10,295	1,32,772	1,61,079	1,71,665
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,80,232	2,21,099	2,58,458	3,15,029	3,33,521
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	69,870(81)	82,373(77)	99,771(83)	1,19,537(79)	1,30,246(80)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	20,591(29)	22,365(27)	25,700(26)	27,903(23)	32,100(25)
सामाजिक सेवाएं	27,768(40)	32,067(39)	42,651(43)	47,942(40)	58,346(45)
आर्थिक सेवाएं	16,972(24)	23,715(29)	25,529(25)	36,885(31)	32,735(25)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4,539(7)	4,226(5)	5,891(6)	6,807(6)	7,065(5)
11. पूंजीगत व्यय	10,813(13)	11,878(11)	16,835(14)	27,288(18)	30,913(19)
सामान्य सेवाएं	197(2)	258(2)	549(3)	698(3)	743(3)
सामाजिक सेवाएं	1,899(17)	2,070(18)	3,024(18)	3,285(12)	5,358(17)
आर्थिक सेवाएं	8,717(81)	9,550(80)	13,262(79)	23,305(85)	24,812(80)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	5,077(6)	12,535(12)	3,158(3)	4,941(3)	1,550(1)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	2	1	0
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	85,762	1,06,787	1,19,766	1,51,767	1,62,709
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,005	4,921	4,860	4,925	5,776
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,243	4,084	3,948	3,908	4,683
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	762	837	912	1,017	1,093
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	300	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	89,767	1,12,008	1,24,626	1,56,692	1,68,485
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	1	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	93,064	1,08,165	1,28,337	1,58,242	1,68,893
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	1,82,831	2,20,174	2,52,963	3,14,934	3,37,378
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	5,879	6,268	5,740	7,781 ⁶²	4,629
22. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-9,882	-11,352	-14,065	-20,304 ⁶³	-22,745
23. प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष(+) (22+24)	-3,491	-4,281	-5,974	-11,225 ⁶⁴	-11,700
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	6,391	7,071	8,091	9,079	11,045
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	14,953	18,668	22,656	32,379	36,462
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁶⁵	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	96,826	1,08,688	1,27,144	155,800	1,72,363
30. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	9,978	20,124	27,530	33,397	14,003
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	21,472	31,885	40,171	40,395	31,653
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	201	68	91	242	-
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	34,465	14,344	15,477	8,607	-
भाग ड राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.63	7.62	7.58	6.91	6.34
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.75	2.16	1.62	1.42	1.28
केन्द्रीय अंतरण ⁶⁶ /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.85	8.69	10.69	10.96	11.46
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.78	1.89	1.91	1.70	6.70
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.51	22.24	22.58	23.74	23.01
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	113.22	120.47	113.51	123.08	120.64
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	81.47	77.14	83.30	78.76	80.05

⁶² उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹ 3,770 करोड़

⁶³ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹ 27,664 करोड़

⁶⁴ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹ 18,585 करोड़

⁶⁵ वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिये सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया

⁶⁶ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	24.24	21.18	21.93	18.85	20.28
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	34.67	31.98	38.16	33.80	39.28
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	35.79	42.88	34.99	42.86	36.10
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	12.61	11.12	14.06	17.98	19.00
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	12.37	10.88	13.60	17.52	18.54
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(-)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.34	1.31	1.08	1.22	0.65
राजकोषीय घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.25	-2.36	-2.65	-3.18	-3.22
प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.79	-0.89	-1.13	-1.76	-1.65
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	NA	NA	NA	NA	NA
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	14.44	15.68	17.28	17.28	16.86
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.03	22.64	23.97	24.37	24.38
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	127.82	122.62	120.50	126.35	127.79
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	378.72 (2.48)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)	231.50 (1.02)	622.36 (2.05)
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.63	0.62	0.63	0.68	0.67

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्त योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उच्च तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए बैंक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- मार्च 2018 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 693.65 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 699.83 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 6.18 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व अधिशेष बनाए रखा है।

परिशिष्ट 1.6
(क) स्वयं के कर राजस्व 2013-18
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2.1; पृष्ठ 11)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	-	8,696
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,650	18,136	19,806	22,561	25,910	14,984
राज्य उत्पाद शुल्क	5,907	6,695	7,923	7,533	8,600	8,245
वाहन कर	1,599	1,824	1,933	2,252	2,550	2,692
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,400	3,893	3,868	3,925	4,300	4,789
भू-राजस्व	366	243	277	407	700	491
माल तथा यात्री पर कर	2,579	2,686	3,085	3,805	4,010	1,159
अन्य कर	3,051	3,090	3,322	3,711	4,225	3,755
योग (क)	33,552	36,567	40,214	44,194	50,295	44,811

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2017-18)

(ख) करेतर राजस्व 2013-18
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2.1; पृष्ठ 11)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ	697	1,341	559	813	818	1,261
सामान्य सेवाएं	598	594	1,279	664	853	516
सामाजिक सेवाएं	2,197	3,696	1,784	2,338	3,755	1,609
आर्थिक सेवाएं	4,213	4,744	4,947	5,271	6,254	5,675
योग (ख)	7,705	10,375	8,569	9,086	11,680	9,061
महायोग (क+ख)	41,257	46,942	48,783	53,280	61,975	53,872

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2017-18)

परिशिष्ट 1.7
31 मार्च 2018 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी
साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति
(संदर्भ: कडिका 1.4.5; पृष्ठ 26)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजना/ पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1,082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
3	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
5	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	0	0.00	1	125.00	0	0.00	1	249.92
6	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
7	उद्यानिकी	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
8	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
9	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1,185.13	5	1,185.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	लोक निर्माण कार्य	127	14,553.14	2	362.77	7	32.47	30	5,429.74	88	8,728.16
12	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
13	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
14	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00
15	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00	0	0.00
16	नगरीय प्रशासन एवं विकास	31	2,828.31	21	2,385.76	1	13.94	4	145.83	5	282.78
योग		197	23,643.69	39	5,402.37	15	431.43	42	8,096.33	101	9,713.56

(स्रोत: संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 1.8
31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 27)

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2018 की स्थिति में
1,08,391.34	आन्तरिक ऋण—	1,23,683.16
70,691.25	ब्याज सहित बाजार कर्ज	83,816.25
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
52.75	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	43.07
16,199.64	अन्य संस्थाओं से कर्ज	17,028.19
21,447.31	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	22,795.26
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
13,917.10	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—	14,741.06
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
35.51	आयोजनेत्तर कर्ज	31.88
13,879.71	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	14,707.30
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
14,493.19	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	14,331.30
11,781.18	जमा	14,096.28
7,633.73	आरक्षित निधियां	5,927.73
1,215.59	उचन्त तथा विविध शेष	1,328.07
884.26	प्रेषण शेष	1,587.66
1,58,816.39	योग	1,76,195.26
	परिसम्पत्तियां	
1,54,388.76	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय—	1,85,264.11
22,671.87	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	30,377.19
1,31,716.89	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,54,886.92
44,995.50	कर्ज तथा अग्रिम	41,469.42
36,964.31	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	33,048.56
8,005.30	अन्य विकास कर्ज	8,401.72
25.89	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	19.14
3.93	अग्रिम	3.40
--	प्रेषण शेष	--
10,993.66	रोकड़—	7,135.56
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
-52.99	रिजर्व बैंक में जमा	-693.65
2.01	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.60
10,628.22	रोकड़ शेष निवेश	7,412.19

31.03.2017 की स्थिति में	परिसम्पत्तियां	31.03.2018 की स्थिति में
416.42	आरक्षित निधि निवेश	416.42
-51,565.46	सरकारी लेखाओं में घाटा-	-57,677.23
-3,769.42	(i) चालू वर्ष के राजस्व अधिशेष में कमी	-4,629.30
0.65	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.03
10.21	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	2.53
31.46	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	-1,485.03
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-47,838.36	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-51,565.46
1,58,816.39	योग	1,76,195.26

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.9
आरक्षित निधियों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.5.2; पृष्ठ 27)

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक शेष	जमा	नामे	अन्त शेष
2015-16				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
योग— ब्याज सहित आरक्षित निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	585.07	13.08	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.10	0.71	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	(-)7.03	12.37	-	नामे (-)5.34
8226-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,289.10	120.17	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,163.31	6.53	-	3,169.84
102-राजस्व आरक्षित निधियां-निवेश लेखे	(-)874.21	113.64	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	5,85,964.44	1,17,400.14	10,905.00	6,92,459.58
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा-निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	92,794.65	49,019.75	10,815.00	1,30,999.40
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,57,688.93	63,500.52	90.00	3,21,099.45
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,35,450.95	4,879.87	-	2,40,330.82
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	-	-	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	-	-	39,457.78
120- प्रत्याभूति मोचन निधि-निवेश लेखा	(-)39,457.78	-	-	(-)39,457.78
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां-निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग— ब्याज रहित आरक्षित निधि	5,89,304.40	1,17,533.39	10,905.00	6,95,932.79
महायोग	5,99,550.84	2,72,033.39	98,605.00	7,72,979.23
2016-17				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
योग— ब्याज सहित आरक्षित निधियां	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	598.15	-	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.81	-	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	नामे (-)5.34	-	-	नामे (-)5.34
8226-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,409.27	-	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,169.84	-	-	3,169.84

विवरण	आरंभिक शेष	जमा	नामे	अन्त शेष
102-राजस्व आरक्षित निधियां-निवेश लेखे	(-)760.57	-	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	6,92,459.58	89,033.15	1,40,281.40	6,41,211.33
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा-निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	1,30,999.40	31,313.35	6,584.10	1,55,728.65
114- खान (mines) कल्याण निधि	3,21,099.45	57,719.80	1,30,347.07	2,48,472.18
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,40,330.82		3,350.23	2,36,980.59
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	1,420.72	1,420.72	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	1,420.72		40,878.50
120- प्रत्याभूति मोचन निधि-निवेश लेखा	(-)39,457.78		1,420.72	(-)40,878.50
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां-निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग- ब्याज रहित आरक्षित निधि	6,95,932.79	90,453.87	1,41,702.12	6,44,684.54
महायोग	7,72,979.23	3,70,133.87	4,21,382.12	7,21,730.98
2017-18				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	10246.44⁶⁷	1,46,909.00	1,46,909.00	10,246.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10246.44	1,46,909.00	1,46,909.00	10,246.44
योग- ब्याज सहित आरक्षित निधि	10246.44	1,46,909.00	1,46,909.00	10,246.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	598.15	-	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.81	-	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	नामे (-)5.34	-	-	नामे (-)5.34
8226-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,409.27	-	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,169.84	-	-	3,169.84
102-राजस्व आरक्षित निधियां-निवेश लेखे	(-)760.57	-	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	6,41,211.33	78,871.97	1,82,671.72	5,37,411.58
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा-निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	1,55,728.65	51,671.97	44,841.00	1,62,559.62
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,48,472.18	-	1,25,889.90	1,22,582.28
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,36,980.59	27,200.00	11,940.82	2,52,239.77
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	-	-	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	40,878.50	-	-	40,878.50
120- प्रत्याभूति मोचन निधि-निवेश लेखा	(-)40,878.50	-	-	(-)40,878.50
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां-निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग- ब्याज रहित आरक्षित निधि	6,44,684.54	78,871.97	1,82,671.72	5,40,884.79
महायोग	6,54,930.98	2,25,780.97	3,29,580.72	5,51,131.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁶⁷ प्रोफार्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 66,800 लाख से कमी

परिशिष्ट 2.1

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 2.2.1; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
2003-04	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 68, 84 पूँजीगत (दत्तमत): 35, 94	2.54
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20, 67 पूँजीगत (प्रभारित): 23	
2008-09	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62 पूँजीगत (दत्तमत): 43	5.80
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24 पूँजीगत (प्रभारित): 24	
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूँजीगत (प्रभारित): 24	12.62
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूँजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूँजीगत (प्रभारित): 23	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूँजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2 पूँजीगत (दत्तमत): 10	34.32
	01 विनियोग	पूँजीगत (प्रभारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूँजीगत(दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूँजीगत (प्रभारित): 41	
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
योग	16 अनुदान एवं 15 विनियोग		660.67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल
प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 2.2.2; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	9,546.27	3,769.89	39.49
2	1	सामान्य प्रशासन (राजस्व प्रभारित)	52.27	15.81	30.25
3	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	134.93	48.88	36.23
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	66.28	29.18	44.03
5	6	वित्त (राजस्व दत्तमत)	12,580.86	3,115.23	24.76
6	6	वित्त (राजस्व प्रभारित)	20.74	17.62	84.96
7	6	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	1,697.11	1,511.72	89.08
8	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	138.60	30.44	21.96
9	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	63.64	20.05	31.51
10	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	10.20	10.20	100.00
11	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	8,383.16	3,199.77	38.17
12	14	पशुपालन (राजस्व दत्तमत)	981.51	225.34	22.95
13	14	पशुपालन (पूँजीगत दत्तमत)	15.84	12.76	80.55
14	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	87.48	22.07	25.23
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	300.00	154.11	51.37
16	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व दत्तमत)	780.06	188.15	24.12
17	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)	2,398.23	667.09	27.82
18	21	लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व दत्तमत)	86.62	43.64	50.38
19	21	लोक सेवा प्रबंधन (पूँजीगत दत्तमत)	15.00	10.31	68.73
20	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूँजीगत दत्तमत)	1,547.10	894.35	57.81
21	23	जल संसाधन विभाग(राजस्व दत्तमत)	1,062.33	241.20	22.70
22	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल (राजस्व दत्तमत)	1,418.47	351.48	24.78
23	25	खनिज साधन (राजस्व दत्तमत)	62.47	29.88	47.83
24	25	खनिज साधन (राजस्व प्रभारित)	650.05	650.05	100.00
25	26	संस्कृति (पूँजीगत दत्तमत)	38.98	10.84	27.81
26	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	734.01	515.58	70.24
27	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	1,102.83	253.89	23.02
28	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	161.52	37.59	23.27
29	30	ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	3,335.70	768.29	23.03
30	33	आदिम जाति कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	1,560.72	669.76	42.91
31	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	611.67	168.68	27.58

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
32	36	परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	55.01	31.11	56.55
33	38	आयुष (पूँजीगत दत्तमत)	46.50	37.81	81.31
34	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) (पूँजीगत दत्तमत)	326.80	251.06	76.82
35	43	खेल और युवक कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	70.45	29.36	41.67
36	44	उच्च शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	549.20	386.97	70.46
37	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (राजस्व दत्तमत)	1,388.65	716.88	51.62
38	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	326.85	97.52	29.84
39	48	नर्मदा घाटी विकास (राजस्व दत्तमत)	52.38	24.02	45.86
40	49	अनुसूचित जाति कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	262.50	58.35	22.23
41	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	942.16	292.30	31.02
42	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	221.50	214.48	96.83
43	55	महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	196.38	78.55	40.00
44	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें (पूँजीगत दत्तमत)	30.00	26.72	89.07
45	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (राजस्व दत्तमत)	3,485.05	884.84	25.39
46	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	28.82	20.28	70.37
47	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	113.00	98.40	87.08
48	67	लोक निर्माण कार्य—भवन (राजस्व दत्तमत)	683.85	174.59	25.53
49	67	लोक निर्माण कार्य—भवन (पूँजीगत दत्तमत)	349.99	150.29	42.94
50	69	घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	37.59	20.95	55.73
योग			58,811.33	21,278.33	36.18

(स्रोत: 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 2.2.2; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत							
1	6-वित्त	12,580.76	0.10	12,580.86	9,465.63	3,115.23	24.76
2	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	4,343.16	4,040.00	8,383.16	5,183.39	3,199.77	38.17
3	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	780.06	Token	780.06	591.91	188.15	24.12
4	23-जल संसाधन विभाग	1,062.33	0.00	1,062.33	821.14	241.19	22.70
5	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,418.47	0.00	1,418.47	1,066.99	351.48	24.77
6	29-विधि और विधायी कार्य	1,078.37	24.46	1,102.83	848.94	253.89	23.02
7	34-सामाजिक न्याय	611.67	0.00	611.67	442.99	168.68	27.58
8	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	1,382.49	6.15	1,388.64	671.77	716.87	51.62
9	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	732.16	210.00	942.16	649.86	292.30	31.02
10	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2,185.05	1,300.00	3,485.05	2,600.20	884.85	25.39
11	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	653.85	30.00	683.85	509.26	174.59	25.53
राजस्व-प्रभारित							
12	25-खनिज साधन	650.05	0.00	650.05	0.00	650.05	100.00
पूँजीगत-दत्तमत							
13	6-वित्त	1,697.11	0.00	1,697.11	185.39	1,511.72	89.08
14	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	300.00	0.00	300.00	145.89	154.11	51.37
15	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,398.23	0.00	2,398.23	1,731.15	667.08	27.82
16	22-नगरीय विकास एवं पर्यावरण	718.87	828.23	1,547.10	652.76	894.34	57.81
17	27-स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	705.01	29.00	734.01	218.42	515.58	70.24
18	30-ग्रामीण विकास	3,235.70	100.00	3,335.70	2,567.41	768.29	23.03
19	33-आदिम जाति कल्याण	903.44	657.28	1,560.72	890.96	669.76	42.91
20	40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	311.80	15.00	326.80	75.74	251.06	76.82
21	44-उच्च शिक्षा	549.20	0.00	549.20	162.23	386.97	70.46
22	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	221.50	0.00	221.50	7.02	214.48	96.83
23	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	281.17	68.82	349.99	199.70	150.29	42.94
पूँजीगत-प्रभारित							
24	पी.डी.-लोक ऋण	9,546.27	0.00	9,546.27	5,776.38	3,769.89	39.49
योग		48,346.72	7,309.04	55,655.76	35,465.13	20,190.63	36.28

(स्रोत: 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.4
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान
(संदर्भ: कड़िका 2.2.3; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व-दत्तमत						
1	9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	18.22 (29.99)	21.08 (31.41)	25.13 (41.32)	16.42 (28.47)	20.05 (31.51)
2	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	334.95 (28.44)	518.65 (21.06)	2,235.89 (63.36)	1,113.97 (26.77)	3,199.77 (38.17)
3	16-मछली पालन	17.77 (26.78)	26.88 (36.15)	19.11 (27.19)	25.11 (29.95)	22.07 (25.23)
4	25-खनिज साधन	6.51 (21.89)	12.35 (32.24)	11.65 (29.81)	9.01 (23.34)	29.88 (47.83)
5	34-सामाजिक न्याय	78.17 (31.90)	95.39 (42.19)	67.30 (29.52)	80.97 (29.97)	168.68 (27.58)
6	48-नर्मदा घाटी विकास	6.24 (26.27)	19.07 (66.17)	7.78 (34.99)	8.29 (29.26)	24.02 (45.86)
7	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	157.11 (44.31)	140.02 (33.23)	117.38 (20.54)	185.43 (27.11)	292.30 (31.02)
8	63-अल्प संख्यक कल्याण	35.81 (53.11)	43.28 (63.28)	45.09 (71.60)	8.13 (32.51)	6.58 (34.27)
राजस्व-प्रभारित						
9	1-सामान्य प्रशासन	6.81 (30.98)	13.69 (31.25)	28.03 (39.81)	17.10 (26.81)	15.81 (30.25)
10	6-वित्त	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)	7.06 (40.86)	17.62 (84.96)
पूंजीगत-दत्तमत						
11	6-वित्त	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)	169.64 (94.34)	1,511.72 (89.08)
12	9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4.84 (98.79)	2.00 (100)	1.49 (49.60)	17.22 (100)	10.20 (100)
13	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)	515.58 (70.24)
14	38-आयुष	12.74 (48.22)	11.18 (54.94)	19.98 (63.44)	25.99 (61.62)	37.81 (81.31)
15	42-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	6.30 (55.99)	3.25 (82.97)	2.40 (72.87)	3.53 (63.66)	3.27 (60)
16	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)	3.00 (100)	20.28 (70.37)
17	64-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	21.36 (85.44)	19.81 (79.24)	25.00 (98.24)	13.53 (66.04)	98.40 (87.08)
18	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)	150.29 (42.94)
पूंजीगत-प्रभारित						
19	पी.डी.-लोक ऋण	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)	3,912.80 (44.60)	4,180.22 (45.91)	3,769.89 (39.49)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कडिका 2.2.4; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5898-8.20 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	14.35	0.00	14.35	100
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	23.40	0.00	23.40	100
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	10.00	0.00	10.00	100
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	10.00	0.00	10.00	100
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-निश्चित पेंशन योजना पर ब्याज	10.00	0.00	10.00	100
6	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	55.85	0.00	55.85	100
7	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	72.83	0.00	72.83	100
8	पी.डी.	लोक ऋण	6003-101-0716- विविध ऋण अदायगी	100.00	0.00	100.00	100
9	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0637- उपाय तथा साधन अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
10	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779-— कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
11	3	पुलिस	2055-800-1416- राज्य सड़क सुरक्षा निधि का गठन	50.00	0.00	50.00	100
12	3	पुलिस	2055-800-0801-1948—राष्ट्रीय आपदा विमोचन प्रणाली	14.18	0.00	14.18	100
13	6	वित्त	2071-01-200-5653—अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	18.54	0.00	18.54	100
14	6	वित्त	2071-01-101-9999—एकीकृत मध्य प्रदेश	16.85	0.00	16.85	100
15	6	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	51.31	0.00	51.31	100
16	6	वित्त	6075-800-6788—राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	0.00	25.00	100
17	6	वित्त	6801-205-0839—ऊर्जा क्षेत्र के लिये वित्तीय पुनर्संरचना ऋण	1,500.00	0.00	1,500.00	100
18	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4058-103-0101-3427- मशीनें और उपकरण, छपाई की मशीनों की खरीद	10.20	0.00	10.20	100
19	10	वन	2406-01-797-3885- वन विकास निधि में अंतरण	35.00	0.00	35.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
20	12	ऊर्जा	6801-190-1203-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	80.00	0.00	80.00	100
21	12	ऊर्जा	6801-190-1203-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	33.00	0.00	33.00	100
22	12	ऊर्जा	6801-190-1202-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	69.00	0.00	69.00	100
23	12	ऊर्जा	6801-190-1202-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	29.03	0.00	29.03	100
24	12	ऊर्जा	6801-205-1201-0700- ग्रीन कोरीडोर	81.29	0.00	81.29	100
25	12	ऊर्जा	6801-205-1201-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	145.30	0.00	145.30	100
26	13	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	2401-102-0101-0694- नमदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	27.25	0.00	27.25	100
27	14	पशुपालन	2403-001-0102-6998- पशु रोग की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	10.76	0.00	10.76	100
28	14	पशुपालन	2403-001-0101-6998- पशु रोग की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	26.88	0.00	26.88	100
29	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0702-9029- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई.एफ.)	35.98	0.00	35.98	100
30	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0423-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	102.00	0.00	102.00	100
31	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0422-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	153.00	0.00	153.00	100
32	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-0103-7711- एम.पी. अबेन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	40.00	0.00	40.00	100
33	23	जल संसाधन	4700-50-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	25.00	0.00	25.00	100
34	23	जल संसाधन	4700-86-800-0101-2897- बांध तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	80.00	0.00	80.00	100
35	23	जल संसाधन	4701-80-800-0101-0643- बघराजी नहर योजना	20.00	0.00	20.00	100
36	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3054-04-337-0103-0134-रखरखाव और मरम्मत-साधारण मरम्मत	10.00	0.00	10.00	100
37	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3054-04-337-0103-4557-सुदृढीकरण	10.00	0.00	10.00	100
38	25	खनिज साधन	2853-02-800-0420-8808- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	23.00	0.00	23.00	100
39	25	खनिज साधन	2853-02-800-0420-6606- खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अन्तरण	650.00	0.00	650.00	100
40	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	17.70	0.00	17.70	100
41	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-2067-पीने का पानी	13.50	0.00	13.50	100
42	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-04-800-0101-8799- छात्रावास भवन का निर्माण	25.20	0.00	25.20	100
43	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-277-0702-8799- छात्रावास भवन का निर्माण	30.00	0.00	30.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
44	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-277-0702-8828- आश्रम/स्कूल भवनों का निर्माण	11.00	0.00	11.00	100
45	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-800-0102-7746- स्किंग डेव्हलपमेंट सेन्टर का निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
46	34	सामाजिक न्याय	2235-60-110-0102-5614- जनश्री बीमा योजना	10.50	0.00	10.50	100
47	34	सामाजिक न्याय	2235-60-110-0101-5614- जनश्री बीमा योजना	17.50	0.00	17.50	100
48	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-2078- हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	13.25	0.00	13.25	100
49	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0102-0816- उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
50	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0101-0816-उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास का निर्माण	22.40	0.00	22.40	100
51	43	खेल युवक कल्याण	4202-03-102-0101-2050- स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर	10.50	0.00	10.50	100
52	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-001-0702-7469- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	14.00	0.00	14.00	100
53	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0103-0736-मुख्यमंत्री कौशल्या योजना	12.50	0.00	12.50	100
54	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0103-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	16.00	0.00	16.00	100
55	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0102-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	16.00	0.00	16.00	100
56	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	37.00	0.00	37.00	100
57	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-03-003-0101-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	13.00	0.00	13.00	100
58	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-205-0102-9133-सरदार सरोवर योजना	100.00	0.00	100.00	100
59	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-205-0101-9133- सरदार सरोवर योजना	25.00	0.00	25.00	100
60	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-5903- पोस्टमैट्रिक शिक्षा	10.00	0.00	10.00	100
61	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0102-6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	10.50	0.00	10.50	100
62	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-0103-7227- तीर्थयात्रा के लिये सब्सिडी	23.00	0.00	23.00	100
63	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-0102-7227- तीर्थयात्रा के लिये सब्सिडी	31.75	0.00	31.75	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
64	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-6885- चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना	10.00	0.00	10.00	100
65	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0702-0647-ग्राम स्वराज अभियान	11.49	0.00	11.49	100
66	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0701-0647- ग्राम स्वराज अभियान	18.67	0.00	18.67	100
67	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	0.00	40.00	100
68	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101-6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	15.00	0.00	15.00	100
69	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेय जल के लिये विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति	10.00	0.00	10.00	100
70	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	0.00	10.00	100
71	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-1203-7336- एम.पी.अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	33.75	0.00	33.75	100
72	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-1202-7336- एम.पी.अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	11.25	0.00	11.25	100
73	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-1202-7336- एम.पी.अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	24.00	0.00	24.00	100
74	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-01-051-0840-केन्द्रीय जेल इंदौर का निर्माण	30.00	0.00	30.00	100
75	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-01-051-1933- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वी.वी.पी.ए.टी. को गोदाम में रखने हेतु निर्माण	25.00	0.00	25.00	100
योग				8,408.46	0.00	8,408.46	100

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.2.5; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	131.32	86.05	45.27	3.61
2	3-पुलिस	5,778.78	5,445.05	333.73	166.71
3	4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	52.32	37.11	15.21	13.96
4	8-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,394.35	1,169.72	224.63	3.38
5	10-वन	2,329.43	1,906.60	422.83	15.06
6	14-पशुपालन	952.05	756.17	195.88	29.46
7	18-श्रम	178.73	165.28	13.45	3.42
8	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,372.60	5,090.52	282.08	25.00
9	21-लोक सेवा प्रबंधन	84.12	42.98	41.14	2.50
10	29-विधि और विधायी कार्य	1,078.37	848.94	229.43	24.46
11	33-आदिम जाति कल्याण	3,162.46	2,786.85	375.61	105.94
12	38-आयुष	385.52	342.79	42.73	4.90
13	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1,610.14	1,576.26	33.88	20.87
14	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	1,382.49	671.77	710.72	6.15
15	55-महिला एवं बाल विकास	4,118.37	3,713.77	404.60	120.58
16	64- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7,764.84	7,091.74	673.10	10.80
17	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	653.85	509.26	144.59	30.00
योग (क)		36,429.74	32,240.86	4,188.88	586.80
ख-पूंजीगत (दत्तमत)					
18	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	705.01	218.42	486.59	29.00
19	30- ग्रामीण विकास	3,235.70	2,567.41	668.29	100.00
20	40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	311.80	75.74	236.06	15.00
21	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	309.99	229.33	80.66	16.86
22	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	281.17	199.70	81.47	68.82
योग (ख)		4,843.67	3,290.60	1,553.07	229.68
ग-राजस्व (प्रभारित)					
23	12-ऊर्जा	516.72	516.72	0	69.87
24	29-विधि और विधायी कार्य	148.80	123.92	24.88	12.71
योग (ग)		665.52	640.64	24.88	82.58
महायोग (क+ख+ग)		41,938.93	36,172.10	5,766.83	899.06

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.2.5; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	1- सामान्य प्रशासन	385.98	92.00	427.16	50.83
2	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	574.77	101.50	659.76	16.51
3	12-ऊर्जा	8,880.67	820.00	9,509.25	191.42
4	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	4,343.16	4,040.00	5,183.39	3,199.77
5	17-सहकारिता	1,433.83	580.00	1,740.14	273.69
6	22-नगरीय विकास एवं पर्यावरण	3442.77	1,608.05	4,525.18	525.63
7	26-संस्कृति	180.45	96.55	250.84	26.16
8	28-राज्य विधानसभा	88.13	10.21	86.68	11.66
9	30-ग्रामीण विकास	1,169.82	132.00	1,187.90	113.92
10	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	118.86	13.43	107.68	24.61
11	32-जनसंपर्क	299.00	107.50	382.64	23.86
12	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	694.76	75.00	764.35	5.41
13	48-नर्मदा घाटी विकास	36.14	16.25	28.37	24.02
14	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	732.16	210.00	649.86	292.30
15	52-चिकित्सा शिक्षा विभाग	777.48	69.61	746.59	100.50
16	53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	24,968.71	6,436.69	28,792.44	2,612.97
17	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2185.05	1,300.00	2,600.20	884.84
18	65-विमानन	32.81	13.50	36.66	9.65
योग (क)		50,344.55	15,722.29	57,679.09	8,387.75
ख-पूँजीगत (दत्तमत)					
19	1- सामान्य प्रशासन	24.70	24.81	43.83	5.68
20	12-ऊर्जा	7,352.23	1,409.16	8,039.74	721.65
21	22-नगरीय विकास एवं पर्यावरण	718.87	828.23	652.76	894.34
22	24- लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	5,926.03	650.00	6,345.02	231.01
23	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	157.20	20.71	145.45	32.46
24	33-आदिम जाति कल्याण	903.44	657.28	890.96	669.76
25	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	81.50	160.50	222.71	19.29
26	37-पर्यटन	91.50	23.56	114.06	1.00
27	48-नर्मदा घाटी विकास	2,689.55	310.00	2,507.42	492.13
28	52-चिकित्सा शिक्षा विभाग	843.30	81.50	883.21	41.59
29	60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	535.69	77.25	491.13	121.81
योग (ख)		19,324.01	4,243.00	20,336.29	3,230.72
महायोग (क+ख)		69,668.56	19,965.29	78,015.38	11,618.47

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय-मूल प्रावधान =78,015.38- 69,668.56=8,346.82
(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.2.6; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
1	3	पुलिस	2055-800-0101-7346- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(+)8.47	0.00	(-)3.24
2	5	जेल	2056-001-2304-निदेशन और प्रशासन	(+)2.26	0.00	(-)1.20
3	6	वित्त	2054-095-2304- निदेशन और प्रशासन	(+)1.37	0.00	(-)5.82
4	6	वित्त	2054-097-1026-कोषालय स्थापना	(+)1.50	0.00	(-)15.25
5	6	वित्त	6075-800-6842-राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	(+)130.00	0.00	(-) 28.00
6	7	वणिज्यिक कर	2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद	(+)12.00	0.00	(-)1.45
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-093-1509- जिला स्थापना	(+)6.13	0.00	(-) 48.39
8	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-101-0452-आयुक्त	(+)1.03	0.00	(-)4.21
9	10	वन	2406-01-004-7781-मलिक मकबूजा लकड़ियों की खरीद	(+)13.64	0.00	(-)1.75
10	10	वन	4406-01-102-0102-6397- नर्सरियों में पौधा तैयारी	(+)2.52	0.00	(-)5.89
11	12	ऊर्जा	2801-80-101-0102-5855- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	(+)628.10	0.00	(-)118.82
12	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-1937- पारेषण प्रणाली को सशक्तीकरण बनाने हेतु जे. आई.सी.ए. द्वारा निवेश	(+)145.30	0.00	(-)102.13
13	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	(+)3.98	0.00	(-)71.55
14	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-198-0801-0621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	(+)35.50	0.00	(-)3.38
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0103-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(+)16.43	0.00	(-)14.55
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-1403-6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	(+)22.60	0.00	(-)18.86
17	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-0103-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(+)8.43	0.00	(-)3.52
18	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(+)136.54	0.00	(-)8.69
19	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-0701-1238- कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन	(+)152.45	0.00	(-)112.16
20	23	जल संसाधन विभाग	4700-13-800-0701-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)140.50	0.00	(-)25.32

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
21	23	जल संसाधन	4700-21-800-0701-6596- सुधार, सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना	(+)7.74	0.00	(-)1.02
22	23	जल संसाधन	4700-56-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)115.00	0.00	(-)5.97
23	23	जल संसाधन	4700-70-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)248.87	0.00	(-)1.26
24	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0102-0671- ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान	(+)29.37	0.00	(-)1.51
25	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-277-0102-8799-छात्रावास भवनों का निर्माण	(+)60.29	0.00	(-)3.16
26	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0581- हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल	(+)3.91	0.00	(-)111.50
27	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-6005- नेशनल सेकेण्डरी एजुकेशन अभियान का कार्यान्वयन	(+)171.44	0.00	(-)1.55
28	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन	(+)9.19	0.00	(-)3.82
29	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101-3803- लघु और सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना	(+)50.55	0.00	(-)10.15
30	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-6476- कौशल विकास की महत्ता का प्रचार प्रसार	(+)2.50	0.00	(-)1.68
31	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-6477- कौशल विकास की महत्ता का प्रचार प्रसार	(+)3.30	0.00	(-)1.73
32	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-02-104-0101-6477- कौशल विकास की महत्ता का प्रचार प्रसार	(+)2.52	0.00	(-)19.28
33	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-001-9091- ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट	(+)27.30	0.00	(-)16.15
34	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51-800-0101-9000- रानी अवंती बाई सागर प्रोजेक्ट जबलपुर, यूनिट- I।	(+)41.98	0.00	(-)1.00
35	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-6398- पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना	(+)14.45	0.00	(-)4.15
36	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-4406- सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	(+)428.14	0.00	(-)22.72
37	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-0101-7227- तीर्थयात्रा के लिये सब्सिडी	(+)54.75	0.00	(-)1.22
38	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-1915- डेन्टल कॉलेज	(+)2.53	0.00	(-)4.36
39	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-9080- रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण	(+)5.52	0.00	(-)2.69
40	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0701-2061- एम.बी.बी. एस. की सीटों में वृद्धि	(+)15.00	0.00	(-)1.10
41	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0101-7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	(+)20.00	0.00	(-)1.44

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
42	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-196-0102-9416- प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+)107.43	0.00	(-)1.45
43	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-197-0102-2773- प्राइमरी स्कूल	(+)46.40	0.00	(-)4.36
44	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-198-0102-2773- प्राइमरी स्कूल	(+)44.00	0.00	(-)1.63
45	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-196-0101-8403- अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान	(+)250.00	0.00	(-)20.16
46	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-198-0102-0581- हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूल	(+)7.70	0.00	(-)1.49
47	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225-02-196-0102-8844- कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा ग्यारहवीं)	(+)4.00	0.00	(-)1.75
48	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-0096- अग्नि पीड़ितों को राहत	(+)15.00	0.00	(-)7.32
49	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249- कीट प्रकोप से फसल क्षति	(+)70.00	0.00	(-)43.00
50	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-192-0102-9416- प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+)7.50	0.00	(-)5.45
51	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-192-0102-9417- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+)9.90	0.00	(-)4.16
52	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-193-0102-9417- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+)4.70	0.00	(-)1.27
53	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-193-0102-9418- माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+)2.40	0.00	(-)1.89
54	10	वन	2406-01-203-0535- इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	(-)21.39	(+)1.19	0.00
55	10	वन	4406-01-101-0102-7882- कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन संरक्षण समूह	(-)14.25	(+)6.01	0.00
56	10	वन	4406-01-102-0101-6397- नर्सरियों में पौधा तैयारी	(-)2.48	(+)2.09	0.00
57	23	जल संसाधन विकास	2700-11-101-0101-2894- बांध तथा नहरें	(-)7.12	(+)1.81	0.00
58	23	जल संसाधन विकास	2701-80-001-0275- आबियान स्थापना	(-)22.74	(+)7.33	0.00
59	23	जल संसाधन विकास	2700-13-101-0101-2894- बांध तथा नहरें	(-)3.21	(+)10.41	0.00
60	23	जल संसाधन विकास	2701-80-800-0101-6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(-)1.34	(+)1.91	0.00
61	23	जल संसाधन विकास	4700-13-800-0703-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)1.50	(+)25.53	0.00
62	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	3054-04-337-0101-4557- सुदृढीकरण	(-)14.71	(+)2.95	0.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
63	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3054-04-337-0101-0134- अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत	(-)11.06	(+)31.43	0.00
64	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	5054-04-800-1401-5226- ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड)	(-)20.98	(+)114.72	0.00
65	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	5054-04-800-0101-2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)	(-)27.14	(+)343.80	0.00
66	34	सामाजिक न्याय	2235-02-800-0801-7569- निःशक्त जनों के लिये बाधारित वातावरण	(-)6.30	(+)1.43	0.00
67	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-0701- अतिथि शिक्षकों का मानदेय	(-)185.34	(+)1.72	0.00
68	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0703-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)30.95	(+)13.48	0.00
69	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0701-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)160.58	(+)2.29	0.00
70	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-0701-9091- ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट	(-)130.49	(+)9.03	0.00
71	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-0102-5177- परियोजना का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान	(-)27.50	(+)1.64	0.00
72	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-196-0101-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन	(-)20.00	(+)2.64	0.00
73	56	ग्रामोद्योग	2851-107-0101-3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	(-)16.21	(+)6.54	0.00
74	56	ग्रामोद्योग	2851-103-0931- केन्द्रीय कार्यालय	(-)1.01	(+)1.50	0.00
75	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-0101-6221- छोटे एवं मध्यम शहरों के लिये अधो-संरचना विकास योजना	(-)13.00	(+)2.05	0.00
76	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	2059-01-053-4220- शिक्षा – चिकित्सा महाविद्यालय	(-)21.48	(+)4.48	0.00
77	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-01-051-0101-8042- विश्राम भवन/गृह निर्माण/ पुनर्निर्माण /पुनर्स्थापना	(-)2.64	(+)1.06	0.00
योग					(+)597.08	(-)905.57

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
2017-18 के दौरान सारभूत समर्पण
(संदर्भ: कडिका 2.2.7; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
1	1	सामान्य प्रशासन	2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	25.48	13.44	52.75
2	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-1338-मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना	6.00	3.11	51.83
3			2235-60-200-2653- पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान	2.00	1.36	68.00
4			4235-60-800-1314- सैनिक रेस्ट हाउस	1.60	1.25	78.13
5	10	वन	2406-01-001-0701-5317- गहन वन प्रबंधन	6.60	3.82	57.88
6			2406-01-001-0103-0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	0.84	0.76	90.48
7			2406-01-001-0101-0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	2.52	2.27	90.08
8			2406-01-101-0801-0664- इको सिस्टम सर्विसेस इम्पूवमेन्ट प्रोजेक्ट	5.00	4.56	91.20
9			2406-01-101-0701-7489- आयुष सहित औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय मिशन	1.00	0.90	90.00
10			2406-01-797-3885- वन विकास विधि में अन्तरण	35.00	31.50	90.00
11			14	पशुपालन	2403-101-0701-1458- जानवरों की मुख्य बीमारीयों का व्यवस्थित नियंत्रण	12.40
12	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-192-0420-7297- खनिज क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति	5.00	3.50	70.00
13			4215-01-102-0703-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	13.00	10.19	78.38
14			4215-01-102-0702-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	24.72	18.40	74.43
15			4215-01-102-0702-6032- भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	6.55	5.92	90.38
16			4215-01-102-0702-7162- ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	3.25	3.13	96.31
17			4215-01-102-0702-7233- इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम	6.00	6.00	100.00
18			4215-01-102-0702-9029- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन. सी.ई.एफ.)	35.98	35.98	100.00
19			4215-01-102-0701-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	27.28	16.64	61.00
20			4215-01-102-0423-7297- खनिज क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति	102.00	102.00	100.00
21			4215-01-102-0422-7297- खनिज क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति	153.00	153.00	100.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
22			4215-01-800-0701-6032- भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	7.20	5.49	76.25
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-7628- सर्वसेवा परियोजना का क्रियान्वयन	25.00	20.00	80.00
24			2053-800-7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	10.00	5.20	52.00
25			2053-800-7364- जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को अनुदान	11.00	9.50	86.36
26			2053-800-9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	2.60	2.35	90.38
27			2053-800-0701-9039- ई-डिस्ट्रिक्ट योजना का क्रियान्वयन	1.00	1.00	100.00
28			4059-01-051-6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	15.00	8.45	56.33
29	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4216-01-700-6989- विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत	3.50	2.18	62.29
30			4217-01-050-0101-3115- भू अर्जन का भुगतान	10.00	10.00	100
31	23	जल संसाधन विकास	2700-15-101-0102-2894- बांध तथा नहरें	3.55	1.78	50.14
32			2701-80-800-0103-2250- नहरें और टैंक	3.32	3.13	94.28
33			2705-800-0701-3701- राज्य स्तर पर आयाकट सेल	7.53	4.14	54.98
34			4701-48-800-0102-3366- मध्यम प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य	80.00	58.74	73.43
35			4701-95-800-0102-2897- बांध तथा संलग्न कार्य	50.00	35.03	70.06
36			4702-800-0102-6079- सुधार, सुदृढीकरण, पुर्नस्थापना (आर.आर. आर.)	35.00	22.19	63.40
37			4705-222-0701-2823- फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियन्सी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	15.00	11.60	77.33
38			4705-800-0701-6648- वृहद एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल का निर्माण, करेक्शन आफ सिस्टम डिफिशियन्सी	32.88	17.08	51.95
39	25	खनिज साधन	2853-02-800-0420-8808- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	23.00	22.85	99.35
40			4853-01-004-0420-2713- प्रयोगशाला	1.00	0.92	92.00
41			4853-01-800-0420-0182- अन्य खनिजों का सर्वे	7.00	7.00	100
42	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)	2202-01-101-0703-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	15.00	8.92	59.47

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
43		शिक्षा)	2202-01-101-0702-6011- साक्षर भारत	20.00	16.90	84.50
44			2202-01-101-0702-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	32.00	19.04	59.50
45			2202-01-101-0103-6716- निःशुल्क गणवेश प्रदाय	15.01	10.01	66.69
46			2202-01-101-0101-0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	17.70	17.70	100
47			2202-01-101-0101-6716- निःशुल्क गणवेश प्रदाय	36.98	21.98	59.44
48			2202-01-108-0701-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	45.00	26.77	59.49
49			2202-01-108-0101-6813- साइकिलों का प्रदाय	56.00	39.20	70.00
50			2202-01-108-0102-6813- साइकिलों का प्रदाय	19.00	13.30	70.00
51			2202-01-108-0103-6813- साइकिलों का प्रदाय	14.00	9.80	70.00
52			2202-03-103-0101-2067- पीने का पानी	13.50	13.50	100
53			4202-01-201-0703-8810- सर्व शिक्षा अभियान	93.00	56.70	60.97
54			4202-01-201-0703-8810- सर्व शिक्षा अभियान	437.00	311.97	71.39
55			4202-04-800-0101-8799- छात्रावास भवनों का निर्माण	25.20	25.20	100
56	29	विधि और विधायी कार्य	2014-105-0101-1486- स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	2.50	2.25	90.00
57			2014-105-0101-1487- स्कैनिंग तथा अंकीकरण	3.25	2.15	66.15
58			2015-105-4311- संसद के लिये चुनाव कराने के प्रभार	8.84	5.16	58.37
59			2052-090-7389- वकीलो का कल्याण	7.00	3.67	52.43
60			2052-090-0101-9066- विधि विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	2.43	2.04	83.95
61			7610-202-9246- न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण	0.10	0.10	100
62			2515-800-0103-1208- ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	8.52	4.87	57.16
63			2515-800-0102-1208- ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	10.53	5.76	54.70
64	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-001-0802-5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275 (1)	25.00	24.09	96.36
65			2225-02-277-0102-6502- पोस्ट मेट्रिक छात्रावास	9.43	6.93	73.49
66			4225-02-800-0102-7746- स्कील डेवलपमेंट सेन्टर का निर्माण	10.00	10.00	100

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
67	34	सामाजिक न्याय	2235-60-110-0102-5247- आम आदमी बीमा योजना	5.40	4.35	80.56
68			2235-60-110-0102-5614- जनश्री बीमा योजना	10.50	10.50	100
69			2235-60-110-0101-5247- आम आदमी बीमा योजना	9.00	7.60	84.44
70			2235-60-110-0101-5614- जनश्री बीमा योजना	17.50	17.50	100
71	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	4851-800-0101-6481- ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अनुदान	1.00	0.81	81.00
72	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-6283- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान	15.83	15.70	99.18
73			2202-03-103-1203-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	6.51	65.10
74			2202-03-103-1202-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	5.00	3.75	75.00
75			2202-03-103-1201-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	1.80	1.66	92.22
76			2202-03-103-0103-0742- अनु. जाति/जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	2.50	2.50	100
77			2202-03-103-0102-0742- अनु. जाति/जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	2.00	2.00	100
78			2202-03-103-0101-7134- नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान	5.37	3.49	64.99
79			4202-01-203-1203-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	21.81	72.70
80			4202-01-203-1202-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	39.00	28.36	72.72
81			4202-01-203-1201-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	114.20	83.03	72.71
82			4202-01-203-0703-7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	37.00	28.33	76.57
83			4202-01-203-0702-7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	31.27	26.31	84.14
84			4202-01-203-0701-7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	146.73	104.54	71.25
85			45	लघु सिंचाई कार्य	4702-101-0701-6079- सुधार, सुदृढीकरण, पुर्नस्थापना (आर.आर. आर.)	75.00
86	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-001-0702-7469- राष्ट्रीय हायर एजुकेशन मिशन	14.00	14.00	100
87			2203-104-0103-0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	80.00	64.00	80.00
88			2203-104-0102-0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	105.00	84.00	80.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
89			2203-104-0101-0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	315.00	252.00	80.00
90	48	नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-6818- सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय	20.00	11.00	55.00
91			4700-45-800-0703-9091- ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट	20.00	15.00	75.00
92	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0803-7765- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	40.00	35.61	89.03
93			2225-01-277-0603-0538- शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	5.00	3.65	73.00
94			2225-01-277-0103-8735- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय (लड़के/लड़कियां)	4.00	3.45	86.25
95	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0703-1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो इरिगेशन योजना	35.20	27.13	77.07
96			2401-119-0703-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	14.83	11.54	77.82
97			2401-119-0702-5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	14.00	9.65	68.93
98			2401-119-0702-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	19.50	16.60	85.13
99			2401-119-0102-0694- नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	10.00	8.30	83.00
100			2401-119-0102-6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	10.50	10.50	100
101			2401-119-0102-6520- सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	5.67	5.12	90.30
102			2401-119-0101-6520- सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	18.13	10.26	56.59
103			2401-119-0101-6522- सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	13.42	10.12	75.41
104			2401-119-0101-7370- शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	13.42	9.68	72.13
105	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2505-01-198-0703-6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	500.00	439.23	87.85
106			2515-800-0802-7886- मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	40.00	28.02	70.05
107			3604-196-0103-0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	21.00	11.81	56.24

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
108			3604-196-0102-0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	27.56	15.38	55.81
109			3604-196-0101-0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	82.69	45.00	54.42
110	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2415-01-120-0101-9051- बोहानी जिला नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	0.50	0.50	100
111	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-9248- किशोरी शक्ति योजना	3.30	3.30	100
112			2235-02-102-0103-6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	5.00	2.77	55.40
113			2235-02-102-0102-6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	5.00	3.00	60.00
114			2235-02-102-0101-6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	41.35	25.67	62.08
115			2235-02-102-0101-8808- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	4.92	2.90	58.94
116			2235-02-103-0801-1327- वन स्टॉप सेन्टर (सखी)	4.92	4.92	100
117			2235-02-103-0703-6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी. एस.)	8.17	4.23	51.77
118			2235-02-103-0703-6917- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई. जी.एम.एस.वाई.)	6.46	4.51	69.81
119			2235-02-103-0702-6917- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई. जी.एम.एस.वाई.)	9.68	6.76	69.83
120			4235-02-102-0102-5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	27.00	20.16	74.67
121			4235-02-102-0101-5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	63.00	33.34	52.92
122			4235-02-800-0701-6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी. एस.)	1.00	1.00	100
123	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2215-01-101-0102-0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	55.42	40.12	72.39
योग				3,969.53	3,053.36	76.92

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)
 (संदर्भ: कंडिका 2.2.8; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण
(क) राजस्व-दत्तमत						
1	25	खनिज साधन	62.47	29.88	30.09	0.21
2	56	ग्रामोद्योग	248.36	37.28	41.83	4.55
योग (क)			310.83	67.16	71.92	4.76
(ख) पूंजीगत-दत्तमत						
3	1	सामान्य प्रशासन	49.51	5.68	6.77	1.09
4	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	6,576.04	231.02	231.78	0.76
योग (ख)			6,625.55	236.7	238.55	1.85
महायोग (क+ख)			6,936.38	303.86	310.47	6.61

(स्रोत: 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 2.2.9; पृष्ठ 38)

			(₹ करोड़ में)
स. क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
I-अनुदान			
(क) राजस्व (दत्तमत)			
1	5	जेल	4.61
2	7	वाणिज्यिक कर	336.90
3	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	228.00
4	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	20.05
5	16	मछली पालन	22.07
6	17	सहकारिता	273.69
7	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	24.60
8	32	जनसंपर्क	23.86
9	36	परिवहन	11.61
10	38	आयुष	47.63
11	43	खेल और युवक कल्याण	19.87
12	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	23.00
13	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	11.90
14	62	पंचायत	22.47
15	63	अल्प संख्यक कल्याण	6.58
16	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	142.02
17	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	8.37
18	69	घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	20.95
योग (क)			1,248.18
(ख) पूंजीगत (दत्तमत)			
19	6	वित्त	1,511.72
20	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.20
21	12	ऊर्जा	721.65
22	17	सहकारिता	17.55
23	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	154.11
24	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	32.46
25	38	आयुष	37.81
26	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	41.59
27	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	121.81
28	63	अल्प संख्यक कल्याण	1.95
29	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	98.40
30	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	8.70
31	69	घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	4.73
योग (ख)			2,762.68
(ग) राजस्व (प्रभारित)			
32	6	वित्त	17.62
33	12	ऊर्जा	69.87
योग (ग)			87.49
महायोग (क+ख+ग)			4,098.35

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण
(संदर्भ: कडिका 2.2.9; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
(क) राजस्व दत्तमत					
1	1	सामान्य प्रशासन	50.83	31.20	19.63
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	48.88	4.68	44.20
3	3	पुलिस	500.43	459.20	41.23
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	29.18	26.08	3.10
5	5	जेल	4.61	0.00	4.61
6	6	वित्त	3,115.23	0.17	3,115.06
7	7	वाणिज्यिक कर	336.90	0.00	336.90
8	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	228.00	0.00	228.00
9	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	20.05	0.00	20.05
10	10	वन	437.89	409.13	28.76
11	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	16.51	0.18	16.33
12	12	ऊर्जा	191.42	2.23	189.19
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	3,199.77	3,108.03	91.74
14	14	पशुपालन	225.34	223.47	1.87
15	16	मछली पालन	22.07	0.00	22.07
16	17	सहकारिता	273.69	0.00	273.69
17	18	श्रम	16.86	7.70	9.16
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	307.09	0.68	306.41
19	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	188.15	130.86	57.29
20	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	525.63	11.95	513.68
21	23	जल संसाधन विकास	241.20	177.05	64.15
22	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	351.48	334.11	17.37
23	26	संस्कृति	26.16	25.07	1.09
24	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	974.93	491.94	482.99
25	29	विधि और विधायी कार्य	253.89	244.57	9.32
26	30	ग्रामीण विकास	113.92	111.12	2.80
27	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	24.60	0.00	24.60
28	32	जनसंपर्क	23.86	0.00	23.86
29	33	आदिम जाति कल्याण	481.55	406.34	75.21
30	34	सामाजिक न्याय	168.68	134.28	34.40
31	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	5.41	2.75	2.66
32	36	परिवहन	11.61	0.00	11.61
33	38	आयुष	47.63	0.00	47.63
34	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	54.75	3.01	51.74
35	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	363.81	8.16	355.65
36	43	खेल और युवक कल्याण	19.87	0.00	19.87
37	44	उच्च शिक्षा	196.97	93.78	103.19
38	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	32.22	29.10	3.12
39	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	23.00	0.00	23.00
40	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	716.88	414.45	302.43
41	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	292.30	289.35	2.95
42	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	11.90	0.00	11.90

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गईं
43	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	100.50	0.19	100.31
44	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,612.97	2,192.55	420.42
45	55	महिला एवं बाल विकास	525.18	523.57	1.61
46	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	884.84	6.80	878.04
47	62	पंचायत	22.47	0.00	22.47
48	63	अल्प संख्यक कल्याण	6.58	0.00	6.58
49	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	683.90	75.13	608.77
50	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	142.02	0.00	142.02
51	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	174.59	91.92	82.67
52	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	8.37	0.00	8.37
53	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	20.95	0.00	20.95
योग (क)			19,357.52	10,070.80	9,286.72
(ख) पूंजीगत दत्तमत					
54	6	वित्त	1,511.72	0.00	1,511.72
55	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	30.44	0.05	30.39
56	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.20	0.00	10.20
57	10	वन	18.37	17.15	1.22
58	12	ऊर्जा	721.65	0.00	721.65
59	14	पशुपालन	12.76	8.26	4.50
60	17	सहकारिता	17.55	0.00	17.55
61	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	154.11	0.00	154.11
62	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	667.09	603.19	63.90
63	21	लोक सेवा प्रबंधन	10.31	8.45	1.86
64	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	894.35	2.57	891.78
65	23	जल संसाधन विभाग	1,052.06	997.69	54.37
66	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	515.58	502.85	12.73
67	30	ग्रामीण विकास	768.29	587.02	181.27
68	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	32.46	0.00	32.46
69	33	आदिम जाति कल्याण	669.76	592.98	76.78
70	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	19.29	2.00	17.29
71	36	परिवहन	31.11	0.59	30.52
72	38	आयुष	37.81	0.00	37.81
73	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	251.06	2.00	249.06
74	43	खेल और युवक कल्याण	29.36	0.05	29.31
75	44	उच्च शिक्षा	386.97	299.38	87.59
76	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	19.06	7.83	11.23
77	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	97.52	0.11	97.41
78	48	नर्मदा घाटी विकास	492.12	432.50	59.62
79	49	अनुसूचित जाति कल्याण	58.35	54.86	3.49
80	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	41.59	0.00	41.59
81	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	214.48	0.06	214.42
82	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	20.28	19.28	1.00
83	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	121.81	0.00	121.81
84	63	अल्प संख्यक कल्याण	1.95	0.00	1.95

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचते	समर्पण	बचते जो समर्पित नहीं की गई
85	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	98.40	0.00	98.40
86	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	8.70	0.00	8.70
87	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	150.29	110.70	39.59
88	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	4.73	0.00	4.73
योग (ख)			9,171.58	4,249.57	4,922.01
(ग) राजस्व प्रभारित					
89	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	495.39	8.99	486.40
90	6	वित्त	17.62	0.00	17.62
91	12	ऊर्जा	69.87	0.00	69.87
92	25	खनिज साधन	650.05	0.05	650.00
93	29	विधि और विधायी कार्य	37.59	35.37	2.22
योग (ग)			1,270.52	44.41	1,226.11
(घ) पूंजीगत प्रभारित					
94	पी.डी.	लोक ऋण	3,769.89	6.09	3,763.80
योग (घ)			3,769.89	6.09	3,763.80
महायोग (क+ख+ग+घ)			33,569.51	14,370.87	19,198.64

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.13
सर्मपण आदेश जो महालेखाकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये
(संदर्भ: कंडिका 2.2.9.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	44	2, 5, 6, 7,11,13,14,15,16,17,18,21,30,31,33,34,35,38,39, 40, 43,46,47, 49,50, 51,52,53,55,56,58,60	2,347.20	वित्त वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृति जारी की गई थीं।
2	21	7,11,17,19,20,22,32,42,43,47,53,56,64,66,67	3,108.07	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात् लेखों को बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
3	4	10,27,36,38	86.61	योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
4	3	18,23	27.05	चाही जानकारी प्राप्त न होने के कारण।
5	1	23	0.32	स्वीकृति पत्र में विसंगति के कारण।
6	1	38	2.68	बजट में विसंगति के कारण।
योग	74	44	5,571.93	

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.14
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ
बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.2.10; पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते				
1	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	16.25	14.86
2	23	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	86.86	64.10
3	48	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	105.90	103.70
4	48	4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4.50	4.44
5	48	4801— बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	54.32	54.78
योग (उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते)			267.83	241.88
उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी				
6	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	266.72	266.66
7	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	7.00	4.21
8	23	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	51.02	47.88
9	23	4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	6.35	5.24
10	48	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	36.41	36.81
11	48	4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	3.34	3.29
12	48	4801— बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10.31	10.17
योग (उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी)			381.15	374.26
उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता				
13	48	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1.34	1.34
योग (उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता)			1.34	1.34
उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय				
14	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	4.21	4.34
15	48	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1.76	1.40
16	48	4801— बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2.74	2.21
योग (उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय)			8.71	7.95
उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षा और प्रशिक्षण				
17	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	1.76	1.92
योग (उद्देश्य शीर्ष 24— परीक्षा और प्रशिक्षण)			1.76	1.92
उद्देश्य शीर्ष 31—वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान				
18	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	1.61	1.81
19	48	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4.93	4.17
20	48	4801— बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.27	3.39
योग (उद्देश्य शीर्ष 31— वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान)			10.81	9.37
उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव				
21	26	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	4.00	4.00
22	48	4700— मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	90.44	69.50
23	48	4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1.99	1.83
24	48	4801— बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.96	3.72
योग (उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव)			100.39	79.05
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
25	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	15.00	15.00
26	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	10.00	9.00
27	30	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	195.00	195.00
28	37	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	13.50	13.50
29	52	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2.50	0.27
योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)			236.00	232.77

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.15

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.2.10; पेज 39)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन				
1	1	2015— चुनाव	1.22	1.22
2	3	2055—पुलिस	160.93	160.72
3	6	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन	6.73	7.85
4	7	2039— राज्य उत्पाद शुल्क	13.86	0.00
5	8	2029—भू-राजस्व	14.73	0.25
6	17	2425—सहकारिता	1.03	0.95
7	19	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	40.15	33.20
8	29	2014— न्यायिक प्रशासन	4.67	2.71
9	32	2220—सूचना तथा प्रचार	2.50	2.49
10	39	2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	2.03	1.38
11	43	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	8.38	7.45
12	44	2202—सामान्य शिक्षा	44.70	44.39
13	47	2203—तकनीकी शिक्षा	3.51	1.38
14	47	2230—श्रम तथा रोजगार	75.43	28.04
15	52	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	17.46	11.36
16	56	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	2.86	3.35
17	64	2217—शहरी विकास	13.00	12.36
योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन)			413.19	319.10
उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् कार्य				
18	20	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	13.46	11.91
19	39	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.75	1.77
योग (उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् कार्य)			15.21	13.68

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.16
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कंडिका 2.2.11; पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2018	मार्च 2018
1	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6876	41.80	41.80	41.76	100	100
2	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7140	22.16	22.16	22.16	100	100
3	12-ऊर्जा	9023	238.48	238.48	238.48	100	100
4	12-ऊर्जा	1933	1050.69	1050.69	1050.69	100	100
5	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1920	40.00	40.00	40.00	100	100
6	23-जल संसाधन विभाग	1905	48.05	48.05	48.05	100	100
7	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	6484	192.60	192.60	192.60	100	100
8	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	6813	26.70	26.70	26.70	100	100
9	37-पर्यटन	7404	15.00	15.00	15.00	100	100
10	37-पर्यटन	6316	53.56	53.56	53.56	100	100
11	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	7490	22.97	22.97	22.97	100	100
12	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0475	967.00	967.00	967.00	100	100
13	64- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1325	229.75	229.75	229.75	100	100
योग			2,948.76	2,948.76	2,948.76		

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.17

8443- सिविल जमा-800-अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 2.2.12; पृष्ठ 40)

(₹ लाख में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखा का शीर्ष तथा योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-0801-0908- कृषि संगणना	727.83	146.59	70.00
2	29- विधि और विधायी कार्य	2014-102-0101-0573- उच्च न्यायलय (भारत)	785.40	547.80	400.00
3	33- आदिम जाति कल्याण	4225-02-800-0602-5211- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के तहत स्थानीय विकास कार्यक्रम	44,880.39	26,858.98	707.70
4	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-001-0801-7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2,560.00	2,296.95	2,146.66
5	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	52,413.06	48,487.80	858.03
6	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0702-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	28,490.85	22,151.83	400.01
7	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0703-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	18,994.76	13,607.44	135.59
8	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0701-6917 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	13,878.37	8,259.41	754.47
9	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0701-1936- न्यायतंत्र का सशक्तीकरण	2,500.00	2,467.93	2,450.00
10	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	4216-01-106-0701-1936- न्यायतंत्र का सशक्तीकरण	1,500.00	1,450.00	1,450.00
योग			1,66,730.66	1,26,274.73	9,372.46

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.18
विभिन्न योजनाओं में सारभूत बचतें, जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक थी
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजना का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2501-06-198-6836-0702-V-42-009-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	108.67	38.85	36
2	2216-03-198-5198-0701-V-42-009- प्रधानमंत्री आवास योजना	3,056.57	303.26	10
3	2216-03-198-5198-0702-V-009- प्रधानमंत्री आवास योजना	3,056.57	303.26	10
4	2216-03-198-5198-0703--V-009- प्रधानमंत्री आवास योजना	1,378.28	151.63	11
5	2505-01-198-6923-0702-V-42-009- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	400.00	43.05	11
6	2505-01-198-6923-0703-V-42-009- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1,100.00	439.23	40
7	2215-02-198-5206-0701-V-42-009- स्वच्छ भारत मिशन	1,420.22	117.81	8
8	2215-02-198-5206-0702-V-42-009- स्वच्छ भारत मिशन	698.59	156.46	22
9	2215-02-198-5206-0703- V-42-009- स्वच्छ भारत मिशन	551.71	122.02	22
10	2515-00-198-6931-0701-V-42-001- मिड-डे मील प्रोग्राम	178.20	47.03	26
11	2515-00-198-7886-0801-V-42-001- मिड-डे मील प्रोग्राम, सामग्री परिवहन	36.00	17.15	48
12	2515-00-198-7886-0802-V-009 मिड-डे मिल प्रोग्राम, सामग्री परिवहन	36.00	28.02	78
13	2216-03-198-5131-0102-V-42-009- मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	14.40	14.40	100
14	2216-03-198-5131-0103- V-42-009- मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	15.87	15.87	100
15	4515-00-800-6084-0422-V-32- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना	63.00	38.01	60
16	4515-00-800-6084-0103-V-32- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना	158.00	45.06	29
17	2515-00-198-0647-0701-V-007- ग्राम स्वराज अभियान	18.67	18.67	100
18	2515-00-198-0647-0702-V-007- ग्राम स्वराज अभियान	11.49	11.49	100
19	3604-00-197-4610-0101-V-42-008- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	240.8	13.55	6
20	3604-00-197-4610-0103-V-42-008- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	61.16	10.57	17
21	2853-02-198-6299-0101-V-007- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	214.48	18.28	9
22	3604-00-196-0819-0101-V-42-007- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	82.69	60.50	73
23	3604-00-196-0819-0102-V-42-007- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	27.56	20.14	73
24	3604-00-196-0819-0103-V-42-007- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	21.00	15.34	73
25	2225-01-196-4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	130.00	20.66	16
26	2202-01-789-3496- मध्यमिक विद्यालय	263.00	12.47	5
27	2225-02-789-0494- आश्रम	88.15	12.98	15
28	2235-60-789-198-5863- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	312.39	14.04	4
29	2235-198-9142- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	378.75	49.38	13
30	2235-198-8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	384.19	34.08	9
	योग	14,506.41	2,193.25	15

परिशिष्ट 2.19
व्यक्तिगत जमा खातों में रखे योजनाओं की निधि का विवरण
(संदर्भ: कड़िका 2.3.4; पृष्ठ 42)

(₹ लाख में)

स.क्र.	योजना का नाम	आहरित आदेश और दिनांक	राशि
1	1213- प्रधानमंत्री आवास योजना	4407-08/28.03.2018	26.76
2	1221-0101- 14वां वित्त आयोग अनुदान	4512-13/31.03.2018	17,450.75
3	1221-0102- 14वां वित्त आयोग अनुदान	4514-15/31.03.2018	8,525.00
4	1221-0103- 14वां वित्त आयोग अनुदान	4516-17/31.03.2018	4,107.25
5	4610-197-0101- स्टाम्प शुल्क	4506-07/31.03.2018	2,782.65
6	4610-197-0102- स्टाम्प शुल्क	4508-09/31.03.2018	1,886.25
7	4610-197-0103- स्टाम्प शुल्क	4510-11/31.03.2018	317.07
8	4610-197-0103- स्टाम्प शुल्क	4371-72/28.03.2018	552.25
9	6098-0103- पंचायत भवन निर्माण	4417/28.03.2018	21.00
10	6086-0101- अधोसंरचना विकास	4427/28.03.2018	87.00
11	6086-0102- अधोसंरचना विकास	4429/28.03.2018	352.00
12	6086-0103- अधोसंरचना विकास	4431/28.03.2018	204.00
13	6087-0101- संरक्षण ग्रांट	4433-34/28.03.2018	630.00
14	6087-0102- संरक्षण ग्रांट	4445/28.03.2018	210.00
15	6087-0103- संरक्षण ग्रांट	4447-48/28.03.2018	160.00
16	6093- नल जल योजना	4411-12/28.03.2018	400.00
17	6098-0101- पंचायत भवन निर्माण	4413/28.03.2018	100.00
18	6098-0102- पंचायत भवन निर्माण	4415/28.03.2018	30.00
19	6107-0101- सामान्य उद्देश्य	4518-19/31.03.2018	30.29
20	6107-0102- सामान्य उद्देश्य	4520-21/31.03.2018	15.92
21	6107-0103- सामान्य उद्देश्य	4522-23/31.03.2018	12.46
22	6299-0101- खनिज योजना	4500-01/31.03.2018	133.24
23	6299-0101- खनिज योजना	4449-50/28.03.2018	197.11
24	6299-0102- खनिज योजना	4451-52/28.03.2018	1.40
25	6299-0103- खनिज योजना	4453-54/28.03.2018	347.33
26	0658- आंगड़बाड़ी योजना	4369-70/28.03.2018	6,450.00
27	7668-0101- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4375-76/28.03.2018	4,694.37
28	7668-0101- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4524-25/31.03.2018	20.00
29	7668-0102- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4377-78/28.03.2018	2,995.09
30	7668-0103- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4379-80/28.03.2018	1,023.38
31	8209-196-8888- जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय	4502-03/31.03.2018	3.21
32	8209-197-8888- जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय	4504-05/31.03.2018	5.75
33	8214-8888- सचिवालयीन व्यवस्था	4526-27/31.03.2018	84.09
34	8392-8888- जिला पंच सम्मेलन	4498-99/31.03.2018	0.12
	योग		53,855.74

परिशिष्ट 3.1
31 मार्च 2018 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खातों में अन्तर
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3; पृष्ठ 47)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	व्यक्तिगत जमा खाताधारक का नाम	महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार शेष	कोषालय के अभिलेख के अनुसार शेष	अन्तर
1	किराया नियंत्रण अधिकारी, इंदौर	46,00,618	46,03,170	-2,552
2	प्राचार्य, आई.टी.आई., इन्दौर	26,63,131	26,88,936	-25,805
3	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर	72,24,812	19,45,512	52,79,300
4	दिव्यांग कल्याण संघ, इन्दौर	71,806	0	71,806
5	मध्य प्रदेश नेत्रहीन संघ, इन्दौर	15,25,376	13,647	15,11,729
6	श्रम आयुक्त, इन्दौर	1,86,34,345	3,04,47,538	-1,18,13,193
7	कृषि अभियंता, इन्दौर	2,66,164	0	2,66,164
8	अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, इन्दौर	7,36,841	0	7,36,841
9	परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, इन्दौर	9,13,842	0	9,13,842
10	अध्यक्ष, नेहरू केन्द्र, लालबाग, इन्दौर	1,08,861	0	1,08,861
11	जिलाध्यक्ष, इन्दौर	13,24,24,282	0	13,24,24,282
12	जिलाध्यक्ष/अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	1,72,60,280	1,72,47,620	12,660
13	जिलाध्यक्ष/अधीक्षक, जिला जेल	67,15,991	51,81,340	15,34,651
14	संभागीय वन अधिकारी, इन्दौर	-89,63,349	8,98,795	-98,62,144
15	उप संचालक, उद्यान, इन्दौर	8,000	0	8,000
16	संचालक, पुनर्वास, नर्मदा घाटी विकास अभिकरण, इन्दौर	1,46,57,42,146	0	1,46,57,42,146
17	कोषालय अधिकारी, इन्दौर	56,385	0	56,385
18	श्रम उपायुक्त, इन्दौर	52,78,948	0	52,78,948
19	उप निदेशक वास्ते निदेशक, नर्मदा घाटी विकास अभिकरण, इन्दौर सिटी	6,37,77,195	0	6,37,77,195
20	प्रबन्धक, कुक्कूट पालन फार्म, इन्दौर	74,96,805	79,35,521	-4,38,716
21	महिला आई.टी.आई., इन्दौर	1,06,900	51,07,400	-50,00,500
22	आर.पी.आई., शासकीय महाविद्यालय, आर.ए.यू.आई.एन.सी.	57,900	0	57,900
23	बाल शिक्षा मंदिर, इन्दौर	1,28,127	0	1,28,127
	योग	1,72,68,35,406	7,60,69,479	1,65,07,65,927

परिशिष्ट 3.2
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (मण्डल) में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.3.5; पृष्ठ 50)

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	31 मार्च 2018 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	कटनी	2,753.95	1,546.63	1,207.32
2	छिन्दवाड़ा	3,135.45	267.57	2,867.88
3	मंडला	1,847.05	1,797.58	49.47
4	जबलपुर	4,715.15	2,432.25	2,282.90
5	सिवनी	2,479.85	2,428.05	51.80
6	नरसिंहपुर	1,977.45	1,739.11	238.34
7	देवास	2,634.45	1,841.73	792.72
8	मंदसौर	4,472.25	3,644.48	827.77
9	रतलाम	2,825.45	2,137.51	687.94
10	नीमच	4,688.15	4,293.45	394.70
11	शाजापुर	1,880.69	1,717.30	163.39
12	आगर मालवा	535.00	355.00	180.00
13	सागर	3,583.45	2,366.91	1,216.54
14	छतरपुर	2,793.26	2,384.93	408.33
15	दमोह	2,617.65	2,267.49	350.16
16	पन्ना	2,614.25	2,461.82	152.43
17	टीकमगढ़	2,183.45	1,673.49	509.96
18	सीधी	1,225.85	1,207.74	18.11
19	सिंगरौली	3,120.25	1,320.26	1,799.99
20	सतना	2,129.95	349.72	1,780.23
21	रीवा	2,879.05	2,199.59	679.46
22	शहडोल	1,588.40	743.97	844.43
23	उमरिया	1,774.85	1,774.74	0.11
24	अनूपपुर	2,467.70	2,393.03	74.67
25	छिड़ौरी	1,272.65	764.00	508.65
26	बैतूल	1,311.80	1,275.21	36.59
27	विदिशा	1,681.65	1,481.65	200.00
28	मंडीदीप (रायसेन)	1,151.65	87.99	1,063.66
29	राजगढ़	1,588.45	971.94	616.51
30	भोपाल	4,147.65	1,659.64	2,488.01
31	सीहोर	769.25	614.98	154.27
32	ग्वालियर	2,755.05	1,519.88	1,235.17
33	शिवपुरी	1,467.55	1,416.09	51.46
34	गुना	789.25	32.35	756.90
35	अशोकनगर	1,644.05	657.41	986.64
36	मुरैना	3,229.65	0.00	3,229.65
37	भिण्ड	768.20	385.99	382.21
38	मलनपुर (भिण्ड)	224.25	26.04	198.21
39	श्योपुर	461.85	406.31	55.54
40	इंदौर	1,811.05	1,615.19	195.86

स.क्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	31 मार्च 2018 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र
41	बुरहानपुर	1,717.65	1,581.26	136.39
42	धार	1,306.85	1,253.00	53.85
43	खरगौन	1,367.05	744.53	622.52
44	झाबुआ	4,084.65	3,667.22	417.43
45	बड़वानी	681.65	615.79	65.86
46	होशंगाबाद	1,712.65	1,458.49	254.16
47	हरदा	646.85	389.72	257.13
	योग	99,514.35	67,969.03	31,545.32

परिशिष्ट 3.3
लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कडिका 3.4; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0029-भू-राजस्व	490.99	210.94	42.96
2	0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,788.51	517.72	10.81
3	0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	643.72	336.59	52.29
4	0039-राज्य उत्पाद शुल्क	8,245.01	4,343.45	52.68
5	0043-विद्युत कर तथा शुल्क	2,590.29	547.07	21.12
6	0049-ब्याज प्राप्तियाँ	639.11	98.36	15.39
7	0055-पुलिस	124.33	65.00	52.28
8	0056-जेल	3.86	3.83	99.22
9	0059-लोक निर्माण कार्य	124.83	124.66	99.86
10	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	132.67	33.23	25.05
11	0071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	47.93	8.01	16.71
12	0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	128.98	46.75	36.25
13	0211-परिवार कल्याण	0.19	0.18	94.74
14	0215-जलपूर्ति तथा सफाई	17.25	9.77	56.64
15	0217-शहरी विकास	18.41	18.41	100
16	0220-सूचना तथा प्रचार	0.23	0.21	91.30
17	0230-श्रम तथा रोजगार	26.63	4.42	16.60
18	0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	24.14	22.74	94.20
19	0401-फसल कृषि-कर्म	48.88	33.86	69.27
20	0403-पशुपालन	4.89	4.14	84.66
21	0404-डेयरी विकास	0.05	0.05	100
22	0405-मछली पालन	9.49	1.05	11.06
23	0406-वानिकी तथा वन्य जीवन	1,108.28	325.45	29.37
24	0408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	0.12	0.02	16.67
25	0425-सहकारिता	12.73	2.46	19.32
26	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2.08	1.93	92.79
27	0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	11.13	6.79	61.01
28	0700-मुख्य सिंचाई	25.49	9.30	36.48
29	0701-मध्यम सिंचाई	144.21	20.16	13.98
30	0702-लघु सिंचाई	354.20	354.20	100
31	0810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	7.16	6.05	84.50
32	0851-ग्राम तथा लघु उद्योग	15.08	10.60	70.29
33	0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,640.73	1,658.08	45.54
34	0875-अन्य उद्योग	0.05	0.02	40
35	1452-पर्यटन	53.56	53.56	100
36	1601-केन्द्र सरकार से सहायतानुदान	25,346.82	23,650.94	93.30
	योग	48,832.03	32,530.00	

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.4
लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कडिका 3.4; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2075-विविध सामान्य सेवाएं	23.51	22.71	96.60
2	2204-खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	180.07	124.61	69.20
3	2216-आवास	8,550.64	1,332.00	15.58
4	2217-शहरी विकास	5,683.93	4,350.01	76.53
5	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,356.73	377.79	11.25
6	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,131.12	236.91	20.94
7	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	221.10	205.31	92.86
8	2401-फसल कृषि कर्म	5,784.37	1,977.79	34.19
9	2403-पशुपालन	789.05	81.06	10.27
10	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,794.59	798.57	16.66
11	2700-मुख्य सिंचाई	172.18	20.09	11.67
12	2701-मध्यम सिंचाई	295.99	104.65	35.36
13	2702-लघु सिंचाई	169.00	159.00	94.08
14	2705-कमान क्षेत्र विकास	8.16	4.55	55.76
15	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	985.38	678.71	68.88
16	2852-उद्योग	629.56	629.38	99.97
17	3054-सड़क तथा सेतु	1,102.25	255.36	23.17
18	3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	108.72	64.17	59.02
19	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.86	8.86	100
20	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	688.34	74.58	10.83
21	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,826.15	963.87	52.78
22	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	493.25	55.52	11.26
23	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,061.28	540.79	50.96
24	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	3.08	0.46	14.94
25	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2,186.54	1,564.54	71.55
26	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,103.79	4,217.40	82.63
27	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,403.48	1,247.21	88.87
28	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,195.37	479.28	40.09
29	4852-लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.85	3.85	100
30	4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.97	1.97	100
31	4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.40	3.40	100
32	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,392.33	2,823.54	44.17
33	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5.42	5.42	100
34	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00	100
	योग	54,367.46	23,417.36	

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.5
लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति
(संदर्भ: कडिका 3.6; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014-न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029-भू-राजस्व	104	1.20
4	2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2055-पुलिस	12	1.76
8	2075-विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
9	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
10	2205-कला तथा संस्कृति	01	0.15
11	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
12	2217-शहरी विकास	684	321.34
13	2220-सूचना तथा प्रचार	35	1.50
14	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
15	2230-श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
16	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
17	2236-पोषण	09	86.65
18	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	06	22.94
19	2401-फसल कृषि-कर्म	3,090	439.99
20	2403-पशुपालन	495	201.86
21	2405-मछली पालन	3,536	11.12
22	2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1,585	4,577.27
23	2425-सहकारिता	644	251.80
24	2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1,021.62
25	2505-ग्राम रोजगार	34	158.42
26	2702-लघु सिंचाई	280	12.55
27	2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
28	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
29	2852-उद्योग	2,987	187.07
30	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
31	3452-पर्यटन	185	81.05
32	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
33	4402-मुद्रा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
34	6425-सहकारिता के लिए कर्ज	59	1.70
योग		20,666	17,793.21

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.6
दुर्विनियोग, हानि एवं गबन इत्यादि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014-न्याय प्रशासन	03	11.34	-	-	01	2.41	-	0.00	01	0.44	-	-	05	14.19
2	2015-निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2040-वाणिज्यिक कर	01	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.70
4	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	-	-	05	799.21	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
5	2055-पुलिस	133	182.95	70	32.10	73	30.36	24	21.78	5	7.25	4	4.92	309	279.36
6	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	01	0.17	-	-	02	8.58
7	2202-सामान्य शिक्षा	09	269.60	23	226.12	22	176.87	09	12.05	03	1.21	37	27.09	103	712.94
8	2203-तकनीकी शिक्षा	04	28.25	03	2.57	09	23.77	01	1.03	-	-	-	-	17	55.62
9	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	02	3.75	01	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.20
10	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	01	2.29	02	8.11	02	13.89	02	5.45	02	21.21	05	9.99	14	60.94
11	2211-परिवार कल्याण	01	43.99	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.67	03	47.66
12	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	-	-	02	2.23	02	2.20	01	0.48	-	-	-	-	05	4.91
13	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	01	3.99	05	4.83	06	8.82

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
14	2230—श्रम तथा रोजगार	05	7.71	05	2.25	01	0.05	02	6.89	-	-	-	-	13	16.90
15	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	02	9.16	-	-	01	1.31	01	4.04	-	-	03	1.62	07	16.13
16	2401—फसल कृषि—कर्म	12	55.18	09	14.51	04	4.63	-	-	-	-	03	0.47	28	74.79
17	2403—पशुपालन	-	-	04	4.91	04	1.37	01	0.24	06	6.66	05	5.89	20	19.07
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	723	300.03	113	392.51	184	222.61	346	301.74	257	132.35	1,113	253.71	2,736	1,602.95
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	-	-	01	42.31	01	0.90	02	3.34	-	-	04	46.55
20	2505—ग्राम रोजगार	01	0.00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.00*
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	03	4.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.22
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.47	01	0.47
योग		902	936.14	238	1,492.87	304	521.78	388	354.60	280	198.64	1,183	325.63	3,295	3,829.66

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*नगण्य

परिशिष्ट 3.7
सरकारी सामग्रियों की चोरी, दुर्विनियोग, हानि के प्रकरण
(संदर्भ: कडिका 3.7; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014-न्याय प्रशासन	04	5.16	01	9.03	05	14.19
2	2015-निर्वाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2040-वाणिज्यिक कर	-	-	01	0.70	01	0.70
4	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	447.59	07	382.84	11	830.43
5	2055-पुलिस	16	19.73	293	259.63	309	279.36
6	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
7	2202-सामान्य शिक्षा	43	76.87	60	636.08	103	712.95
8	2203-तकनीकी शिक्षा	11	12.46	06	43.16	17	55.62
9	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.45	02	3.75	03	4.20
10	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	04	6.76	10	54.18	14	60.94
11	2211-परिवार कल्याण	-	-	03	47.66	03	47.66
12	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
13	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	01	3.99	05	4.83	06	8.82
14	2230-श्रम तथा रोजगार	09	3.84	04	13.06	13	16.90
15	2235-महिला एवं बाल कल्याण	03	2.47	04	13.66	07	16.13
16	2401-फसल कृषि-कर्म	15	9.88	13	64.91	28	74.79
17	2403-पशुपालन	08	7.16	12	11.91	20	19.07
18	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	41	12.02	2,695	1,590.93	2,736	1,602.95
19	2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.44	03	46.11	04	46.55
20	2505-ग्राम रोजगार	-	-	01	नगण्य	01	नगण्य
21	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	02	4.10	03	4.22
22	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	01	0.47	-	-	01	0.47
योग		167	620.02	3,128	3,209.65	3,295	3,829.66

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.8
2017-18 के दौरान अपलेखित प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

स. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2040-वाणिज्यिक कर	अतिरिक्त पीसीसी वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	01	0.14
2	2055-पुलिस	महानिदेशक पुलिस, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन एवं वायरलेस	26	10.03
3	2202-सामान्य शिक्षा	संचालक, लोक शिक्षा, भोपाल	चोरी के कारण हानि	02	0.15
4	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	अतिरिक्त पीसीसी, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	50	4.82
5	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	अतिरिक्त पीसीसी, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	02	0.20
6	नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन.व्ही.डी.ए.)	मुख्य अभियंता, एन.डी.ई. / एमएनव्हीडीए, भोपाल	कांक्र्रीट मिक्सर	11	4.96
योग				92	20.30

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.9
2017-18 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली
(संदर्भ: कड़िका 3.7; पृष्ठ 55)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग/ हानि/चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	01	2014-न्याय प्रशासन	गबन	2012-13	5,78,900	5,78,900
2	01	2014-न्याय प्रशासन	हानि	2013-14	25,900	25,900
	02			योग	6,04,800	6,04,800
3	01	2055-पुलिस	हानि	2001-02	15,500	15,500
4	01	2055-पुलिस	हानि	2002-03	20,341	20,341
5	01	2055-पुलिस	चोरी	2002-03	3,990	3,990
6	01	2055-पुलिस	हानि	2003-04	11,774	11,774
7	02	2055-पुलिस	हानि	2005-06	86,386	86,386
8	01	2055-पुलिस	हानि	2007-08	60,000	60,000
9	02	2055-पुलिस	हानि	2009-10	1,13,800	1,13,800
10	01	2055-पुलिस	हानि	2011-12	1,08,774	1,08,774
11	01	2055-पुलिस	चोरी	2011-12	25,000	25,000
12	01	2055-पुलिस	हानि	2012-13	45,000	45,000
13	01	2055-पुलिस	हानि	2013-14	2,46,070	2,46,070
14	03	2055-पुलिस	हानि	2014-15	1,85,251	1,85,251
15	01	2055-पुलिस	चोरी	2015-16	16,000	16,000
16	01	2055-पुलिस	हानि	2016-17	33,978	33,978
17	01	2055-पुलिस	हानि	2017-18	2,75,000	2,75,000
	19			योग	12,46,864	12,46,864
18	01	2202-सामान्य शिक्षा	गबन	2009-10	23,515	23,515
19	01	2202-सामान्य शिक्षा	गबन	2016-17	8,27,044	8,27,044
	02			योग	8,50,559	8,50,559
20	01	2203-तकनीकी शिक्षा	गबन	2010-11	1,03,016	1,03,016
	01			योग	1,03,016	1,03,016
21	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1979-80	24,101	24,101
22	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1981-82	675	675
23	02	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1985-86	44,946	44,946
24	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1989-90	25,410	25,410
25	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1990-91	35,704	35,704
26	04	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1991-92	22,416	20,181
27	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1994-95	10,098	10,098
28	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1995-96	16,466	16,466
29	02	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1998-99	7,084	7,084
30	03	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1999-2000	6,490	6,490
31	03	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2000-01	1,79,753	1,79,753
32	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2002-03	2,234	2,234
33	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2003-04	2,003	2,003
34	02	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2004-05	13,646	13,646
35	06	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2005-06	1,64,313	1,58,643
36	01	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2006-07	85,159	85,159

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग / हानि / चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
37	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2007-08	61,787	61,787
38	02	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2008-09	13,923	3,378
39	04	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2009-10	51,589	51,589
40	09	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2010-11	1,19,919	1,19,919
41	03	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2011-12	59,586	59,586
42	02	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2012-13	4,957	4,957
43	13	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2013-14	10,06,637	10,06,637
44	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2014-15	4,499	4,499
45	09	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2015-16	27,862	27,862
46	04	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2016-17	62,588	62,588
47	217	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2017-18	6,93,367	6,93,367
	296			योग	27,47,212	27,28,762*
	320		कुल योग		55,52,451	55,34,001*

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

*हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।

परिशिष्ट 3.10
रोकड़ पुस्तिकाओं का अनुचित संधारण/संधारण न किया जाना
 (संदर्भ: कंडिका 3.16; पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	रोकड़ बही के संधारण न किए जाने की अवधि	राशि जो रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं की गयी
1	1037/04.09.2018	जिला पंचायत, सिवनी	2016-17	1.71
2	514/01.12.2017	जनपद पंचायत, करकेली	04/2013 से 09/2017	11.64
3	582/27.12.2017	जनपद पंचायत, अमर पाटन	04/2013 से 10/2017	3.45
4	413/26.09.2017	नगर परिषद, शाहपुरा, डिण्डौरी	04/2011 से 08/2017	0.00*
5	235/07.02.2017	महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल	10/2015 से 12/2016	19.09
6	143/14.10.2016	कमाण्डेंट, 24वीं बटालियन, जौरा	04/2010 से 09/2016	1.05
7	213/29.12.2016	कमाण्डेंट, 26वीं बटालियन, गुना	12/2008 से 11/2016	10.51
8	145/04.10.2016	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), होशंगाबाद	05/2010 से 09/2016	0.69
9	04/22.04.2016	जिलाध्यक्ष, दतिया	10/2014 से 03/2016	1.03
10	179/29.11.2016	जिलाध्यक्ष, उज्जैन	05/2015 से 10/2016	3.57
11	19/06/2016-04/2017	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, डिण्डौरी	2015-16 से 04/2017	0.33
12	28-02/2016 से 07/2018	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर	06/2017	2.13
13	283/16.03.2017	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, पन्ना	2015-16	0.62
14	02/03.04.17	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मंदसौर	2012-17	1.33
15	55/13.06.2017	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, छिन्दवाडा	2013-16	1.81
16	52/06.06.2017	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, देवास	11/2009 से 02/2013	0.34
17	121/22.09.2017	संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण, सागर	05/2012 से 06/2017	0.18
18	06/20.04.2017	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास एजेन्सी, सीहोर	04/2010 से 03/2017	0.45
19	81/01.08.2017	सहायक आयुक्त, श्रम विभाग, भोपाल	2014-15 से 2016-17	1.95
20	103/29.08.2017	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्याय, देवास	06/2015 से 03/2017	4.09
21	128/26.09.2017	श्रम अधिकारी, मालनपुर, भिण्ड	04/2011 से 08/2018	2.78
22	133/23.10.2017	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्याय, भोपाल	01/2011 से 09/2017	0.06
23	35/16.05.2017	जिला आपूर्ति अधिकारी, सीहोर	01/2016 से 04/2016	0.13

स.क्र.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	रोकड़ बही के संघारण न किए जाने की अवधि	राशि जो रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं की गयी
24	02/2017 से 12/2017	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य), सीधी	02/2017 से 12/2017	16.37
25	03/2016 से 12/2017	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य), रीवा	06/2017 से 12/2017	4.55
26	05/2016 से 04/2017	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य), नरसिंहपुर	05/2016 से 04/2017	40.30
27	01/2014 से 06/2017	वन संरक्षक, (आर.के.एफ.), झाबुआ	05/2016 से 06/2017	7.26
कुल योग				137.42

* ₹ 27,910

परिशिष्ट 3.11
31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश
(संदर्भ: कंडिका 3.17; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	वर्ष, जिसके लेखे बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति				
					समता पूंजी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति
क. कार्यशील कंपनियां									
एक वर्ष									
1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	39.32	2016-17	2017-18	0.00	0.00	8.22	0	0
2	उज्जैन स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	0.1	2016-17	2017-18	0	0	96	0	0
3	भोपाल स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	200	2016-17	2017-18	0	0	100	0	0
4	इन्दौर स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	200	2016-17	2017-18	0	0	1	0	0
5	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	21.91	2016-17	2017-18	0	0	0	117.09	0
6	मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड	0.69	2016-17	2017-18	0	0	0	146.31	0
7	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	5,129.13	2016-17	2017-18	2,079.70	35.84	188.40	4,317.97	64.23
उप-योग					2,079.70	35.84	393.62	4,581.37	64.23
दो वर्ष									
8	मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	81.09	2014-15	2016-17 तक	0	22.16	0	0	0
				2017-18	0	22.16	0	0	0
9	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	10.75	2010-11	2016-17 तक	3.7	8.76	3.09	80.3	0
				2017-18	0	0	0.59	24	0
10	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	36.18	2003-04	2016-17 तक	6.33	0	21.77	98.5	0
				2017-18	0	0	3.68	66.5	51
11	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1.26	2015-16	2016-17	0	0	17.21	0	0
				2017-18	0	0	21.08	0	0
12	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम लिमिटेड	0.8	2015-16	2016-17	0	0	3.5	0	0
				2017-18	0	0	3.15	512.4	0
13	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	113.97	2015-16	2016-17	0	0	47.31	94.23	0
				2017-18	0	0	49.21	0	0

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	वर्ष, जिसके लेखे बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति				
					समता पूंजी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति
उप-योग					10.03	53.08	170.59	875.93	51
योग (क)					2,089.73	88.92	564.21	5,457.30	115.23
ख. अकार्यशील कम्पनियां									
एक वर्ष—निरंक									
दो से पाँच वर्ष—निरंक									
पाँच वर्ष अधिक									
1	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	6.86	2011-12	2016-17 तक	0	0	4.34	0	0
				2017-18	0	0	0	0	0
योग (ख)					0	0	4.34	0	0
कुल योग (क+ख)					2,089.73	88.92	568.55	5,457.30	115.23

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.12
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.18; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ/हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लाभांश	घोषित लाभांश/किया गया प्रावधान
क. कार्यशील कंपनियां							
1	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	33.53	156.18	159.47	6.706	7.78
2	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	63.05	281.55	320.87	12.61	12.58
3	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2017-18	0.97	9.06	13.39	0.194	0
4	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2017-18	0.37	1.35	6.85	0.074	0
5	मध्य प्रदेश पुलिस गृह-निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	13.97	54.77	59.35	2.794	0.25
6	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	53.44	219.97	239.97	10.688	0
7	इन्दौर स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	0.34	2	105.56	0.068	0
8	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड	2017-18	0.26	0.5	5.5	0.052	0
9	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2017-18	2.19	-7.24	4.88	0.438	0
10	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2016-17	6.17	22.44	44.35	1.234	0
11	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.1	2.71	3.97	0.02	0
12	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	91.81	332.93	335.13	18.362	18.38
13	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	32.48	-234.17	2,754.52	6.496	0
14	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18	32.73	-2,961.89	3,289.37	6.546	0
15	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	552.89	-9,344.81	-6,295.38	110.578	0
16	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम लिमिटेड	2015-16	0.4	0.4	1.2	0.08	0
17	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	20.31	117.97	120.8	4.062	4.06
18	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	2015-16	5.92	5.88	30.85	1.184	0
19	मध्य प्रदेश होटल निगम लिमिटेड	2017-18	0.42	-0.72	0.88	0.084	0
20	मध्य प्रदेश विक्रम उद्योगपुरी (उज्जैन) लिमिटेड	2017-18	1.02	6.52	119.38	0.204	0
21	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	2017-18	8.1	13.43	23.43	1.62	0
22	मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन	2017-18	77.9	310.22	318.28	15.58	2.58
योग (क)			998.37	-11,010.95	1,662.62	199.674	45.63

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ/हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लाभांश	घोषित लाभांश/ किया गया प्रावधान
ख. अकार्यशील कम्पनियां							
1	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कम्पनी लिमिटेड	2017-18	0.07	-6.28	-5.28	0.014	0
2	मध्य प्रदेश जे. पी. कोल फील्ड्स लिमिटेड	2017-18	0.01	-9.63	0.37	0.002	0
योग (ख)			0.08	-15.91	-4.91	0.016	0
कुल योग (क+ख)			998.45	-11,026.86	1,657.71	199.69	45.63

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in